

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1981 (कार्तिक 16, 1903)  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1981 (KARTIKA 16, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

#### संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 24 सितम्बर 1981

सं० ए० 32013/1/81-प्रशा० 1—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को राष्ट्र-पति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	य० रा० गांधी	26-5-81 से 25-8-81 तक
2.	वेद प्रकाश	26-5-81 से 31-7-81
3.	बी० के० भट्टाचार्य	16-6-81 से 15-9-81
4.	एस० के० मिश्र	29-6-81 से 28-9-81

एच० सी० जाटव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 सितम्बर 1981

सं० ए०-19013/2/81-प्रशा०-1—राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. नटराजन, भा. लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा को

16 सितम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं० ए०-38013/2/81-प्रशा०-111—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का. ज्ञा सं० 33/12/73-स्था. (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के संवर्धन में के. स. रो. के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री जे. एल. सूद को 30 सितम्बर, 1981 के अपराह्न से निवृत्त आयु प्राप्त पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की राष्ट्रपति द्वारा सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

य. रा. गांधी  
अवर सचिव  
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

सं० 2/46/75-ई. एस. टी.—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 2/46/75-स्थापना दिनांक 3 मार्च और 30 जून, 1981

को जारी रखते हुए, निदेशक महोदय श्री कौलाश चन्द्र सक्सेना की नियुक्ति उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर दिनांक 15-10-1981 से आगामी छः मास के लिए या किसी नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व हो, तदर्थ रूप से सहर्ष बढ़ाते हैं।

एस. एस. रिजवी  
उप निदेशक (वरिष्ठ)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1981

सं. ए.-22020/71/80-प्रशा.-3—आशुलिपिक ग्रेड 'बी' के पद पर रूपए 650-30-740-35-880-द. अ.-40-990-40-1040 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर पदोन्नति हो जाने पर, श्री एम. पी. एस. चौहान ने दिनांक 5-9-80 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड 'बी' आशुलिपिक) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

द्वारका नाथ  
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. जे.-12/65-प्रशा.-5—58 वर्ष की निवृत्ति की आय प्राप्त करने पर श्री जालिम सिंह उमारव सिंह ठाकोर, वरिष्ठ लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध स्कंध, बम्बई, दिनांक 30-9-1981 (अपराह्न) से सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त हो गये।

सं. ए.-20023/4/78-प्रशा.-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर, चण्डीगढ़ में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक-अभियोजक के रूप में कार्य कर रहे चण्डीगढ़, हरियाणा के अधिकारी श्री राजपाल विज की सेवाएं दिनांक 9-9-1981 के अपराह्न से राज्य सरकार को वापस सौंप दी गईं।

सं. ए.-20014/485/80-प्रशा.-1—महाराष्ट्र राज्य पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी श्री एस. ए. नामदे को दिनांक 15-9-81 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य अपराध स्कंध, बम्बई में अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

सं. ए.-19036/3/81-प्रशा.-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्वारा, मणिपूर पुलिस के प्रतिनियुक्त पुलिस उप-अधीक्षक श्री एस. दारेन्द्र सिंह को दिनांक 6-10-1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

की. ला. ग़ोदर  
प्रशासनिक अधिकारी (स्था.)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. इ-38013 (4)/5/81-कार्मिक—मिस्त्री से स्थानांतरित होने पर, श्री एस. के. बनर्जी ने 21 मई, 1981 के

अपराह्न से के. आ. सु. व. यूनिट, बी. सी. सी. एल. भरिया के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. इ-38013 (4)/5/81-कार्मिक—भिलाई से स्थानांतरण होने पर श्री इशम सिंह ने 8 जुलाई, 1981 के पूर्वाह्न से के. आ. सु. व. यूनिट एच. आई. एल. रसायनी के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं. इ-38013 (4)/5/81-कार्मिक—मद्रास से स्थानांतरण होने पर श्री बी. पी. प्रभाकरण ने 9 जुलाई, 1981 के पूर्वाह्न से के. आ. सु. व. यूनिट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं. इ-38013 (4)/5/81-कार्मिक—कोचीन से स्थानांतरण होने पर, श्री बी. पी. प्रभाकरण ने 4 जुलाई, 1981 के अपराह्न से के. आ. सु. व. प्रशिक्षण रिजर्व फोर्स, वरिष्ठ क्षेत्र, मद्रास, के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. इ-38013 (4)/5/81-कार्मिक—एस. एच. ए. ओर. सेंटर, को स्थानांतरित होने पर श्री एल. बी. जोसेफ ने 1 जुलाई, 1981 के पूर्वाह्न से के. आ. सु. व. यूनिट, बी. एस. एस. सी. थुम्बा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. इ-38013 (4)/11/81-कार्मिक—कोचीन से स्थानांतरित होने पर श्री आर. जी. थम्पी ने 29 जुलाई, 1981 के पूर्वाह्न से के. आ. सु. व. यूनिट वरिष्ठ क्षेत्र मुख्यालय, मद्रास के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं. इ-38013 (4)/11/81-कार्मिक—मद्रास से स्थानांतरण होने पर, श्री आर. जी. थम्पी ने 21 जुलाई, 1981 के अपराह्न से के. आ. सु. व. यूनिट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. इ-38019/29/80-कार्मिक—भारतया इलक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद में स्थानांतरित होने पर श्री ए. एस. एम. राव ने 28 जुलाई, 1981 के अपराह्न से के. आ. सु. व. यूनिट इण्डिया गवर्नमेंट प्रिन्ट, हैदराबाद के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सुरेन्द्र  
महानिदेशक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महानिदेशक (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सं. कल्याण/1131—महानिदेशक द्वितीय उत्तर प्रदेश कार्यालय के लेखाधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान का निधन अगस्त, 1981 को हुआ गया

एस. जे. एस. आहलूवालिया  
वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशासन)

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा  
रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अक्टूबर 1981

सं. 3804/ए-प्रशासन/130/78-81—निदेशक लं

परीक्षा, रक्षा सेवाएँ, अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री ए. सी. साहू, वर्तमान समय में विज्ञान तथा तकनीकी विभाग में प्रतिनियुक्त का, अगले आदेश पर्यन्त, लेखापरीक्षा विभाग, रक्षा सेवाएँ में स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में 27-7-81 में प्रपत्र पदोन्नत करते हैं।

इन्दर पाल सिंह  
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा,  
रक्षा सेवाएँ

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्ट्रियाँ सेवा

आर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

सं० -41/जी/81—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर निम्नलिखित अधिकारीगण प्रत्येक के मामले दर्शायी गई तारीख से सेवा निवृत्त हुए।

क्र० सं०	नाम एवं पद	सेवा निवृत्ति तारीख
1.	श्री नारायण चन्द्र दे, स्थानापन्न टी०एस०- थ्रो० (मौलिक एवं स्थायी एस० ए०)	31-8-81 (अपराह्न)
2.	श्री हरि भूषण घोष, स्थानापन्न एस०थ्रो० (मौलिक एवं स्थायी एस०थ्रो०)	31-8-81 (अपराह्न)
3.	श्री अमिय रंजन बासु, स्थानापन्न एस०थ्रो० (मौलिक एवं स्थायी एस०थ्रो०)	31-8-81 (अपराह्न)

श्री. के. के. नेहरो, सहायक महानिदेशक

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. ए-17011/199/81-प्र-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने निरीक्षण निदेशक, कलकत्ता के कार्यालय में भण्डार परीक्षक (इजीनियरी) श्री जी. डी. धीर को दिनांक 18-8-1981 के पूर्वाह्न में और आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी निरीक्षणार्थ में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इजीनियरी) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं. प्र-6/247(383)—राष्ट्रपति, मद्रास निरीक्षणालय के अधीन हवराबाद उप कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इजी.) श्री बी. जी. राव को दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी मंडल के अधीन निरीक्षण निदेशक, मद्रास के कार्यालय में तदर्थ आधार पर निरीक्षण अधिकारी (इजी.) (भारतीय निरीक्षण सेवा प्रप

“ए” के ग्रेड 111) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. एल. कपूर  
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

सं. 6405बी/ए-19012 (2-सी बी एम)/81/19बी.— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी-सहायक (भू-भौतिकी) श्री सी. भानु मूर्ति को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द. रां. -35-880-40-1000-द. रां. -40-1200 रु. के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-7-1981 के पूर्वाह्न में पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

सं. 6416बी/ए-19012 (2-जी आर पी)/81-19बी.— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी) श्री जी. रामा प्रभु को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द. रां. -35-880-40-1000-द. रां. -40-1200 रु. के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-7-81 के पूर्वाह्न में पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

सं. 6427बी/ए-19012 (1-सी बी आर)/80-19ए.— श्री च. बनेगोपाल राव को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु. प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर ~~650-30-740-35-810-द. रां. -35-880-40-1000-द. रां. -40-1200 रु.~~ के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, 13 अगस्त, 1981 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. 6477बी/ए-19011 (4-एच एल एम)/78-19बी.— खनिज समन्वयण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.) में स्थाई भर्ती होने के फलस्वरूप डिप्टीनिंग इंजीनियर (कनिष्ठ) श्री एच. एल. महेता ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सेवाओं में 8-8-79 (अपराह्न) में त्याग-पत्र दे दिया है।

वी. एम. कृष्णस्वामी  
महा निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1981

सं. 3/15/61-एस-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री यू. के. शेट्टे, लेखाकार आकाशवाणी, बम्बई 30-9-81 (पूर्वाह्न) में प्रशासनिक अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं. 2/2/66-एस-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री एम. वी. ओजारकर, लेखाकार आकाशवाणी, जल

सं. 30-9-81 (पूर्वाह्न) में प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी, पुना के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 अक्टूबर 1981

सं. ए - 32013/1/80-एस-पांच—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री एस. पी. सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उपग्रह दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली को आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में 29 सितम्बर, 1981 की पूर्वाह्न से तदर्थ रूप में स्थानापन्न क्षमता में लेखा निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 13 अक्टूबर 1981

सं. 10/16/78-एस-तीन—श्री आनन्द कुमार, सहायक इंजीनियर, आकाशवाणी, बम्बई को उनका त्यागपत्र स्वीकृत होने पर, 10 सितम्बर, 1981 की उपराह्न से आकाशवाणी में सेवा मुक्त कर दिया गया है।

सं. 9/6/81-एस-तीन—श्री सी. एल. शर्मा, सहायक इंजीनियर, आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर ने स्वच्छकता से सेवा निवृत्त होने की आज्ञा मिलने पर उस कार्यालय में 6-8-81 की पूर्वाह्न से सहायक इंजीनियर के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एच. एन. बिस्वास  
प्रशासन उपनिवेशक  
कृते महानिदेशक

पत्र सूचना कार्यालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 सितम्बर 1981

सं. ए. 12026/3/81-स्थापना—प्रधान सूचना अधिकारी एतद्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की सहायक श्री आर. एन. दुर्गा, जो दूरदर्शन महानिदेशालय में कार्यरत थीं, को पत्र सूचना कार्यालय के लक्षित कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दिनांक 22 अगस्त, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

मदन मांहुन शर्मा  
महायक प्रधान सूचना अधिकारी  
कृते प्रधान सूचना अधिकारी

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

सं. 17-17/74-प्रशासन-1—मांरीशम सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त से लौटने पर डा. एस. आर. मेहता ने केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में 5 अप्रैल 1980, पूर्वाह्न से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (क्षेत्रीय अध्ययन प्रदर्शन केंद्र) के पद का कार्यभार संभाल लिया था।

इस निदेशालय की 24 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 17-17/74-प्रशासन-1 को रद्द माना जाता है।

दिनांक 17 अक्टूबर 1981

सं. ए. 19019/61/77-एन. आइ. सी. डी./प्रशा-1—राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के उप सहायक निदेशक (पशु चिकित्सा विज्ञान) डा. बी. सी. रमन्ना का इस्तीफा 25 अगस्त, 1981 (पूर्वाह्न) में गंजूर कर दिया है।

सं. ए. 19019/34/77 (एन. एम. डी.)/प्रशा-1—रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर नियुक्त हो जाने के परिणाम स्वरूप डा. डी. पी. मैन मजूमदार ने 9 सितम्बर, 1981 उपराह्न से केन्द्रीय मन्दि-चिकित्सा रांची से मन्दिचिकित्सा विज्ञान के सह प्राध्यापक के पद का भार छोड़ दिया है।

ओ. पी. बाली  
उप निदेशक प्रशासन (सं. एवं प.)

परमाणु ऊर्जा विभाग

नयी परमाणु विद्युत परियोजना

बलुन्दशहर, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

सं. न. प. वि. प./प्रशा. 26 (1)/81/एस/13109—नयी परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता, भारी पानी परियोजना तृतीकोरीन के स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रैंड एस. बी., श्री आर. के. चक्रवर्ती को दिनांक अगस्त 14, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए नयी परमाणु विद्युत परियोजना में स्थानापन्न रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रैंड एस. बी. के पद पर नियुक्त करते हैं।

अ. व. भाविया  
प्रशासन अधिकारी  
कृते मुख्य परियोजना अभियन्ता

कय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

सं. क. ग. नि./23/4/79-स्थापना/19802—निदेशक कय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस निदेशालय के कय सहायक श्री शशिकान्त नारायण वरामुख को स्थानापन्न सहायक कय अधिकारी के पद पर संख्या 650-30-740-35-810-द. सं.-35880-40-1000-द. सं.-40-1200/के बतन क्रम में निम्नलिखित अर्थाथों के लिए इसी निदेशालय में तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं

(1) 13-7-1981 (पूर्वा.) से 14-8-1981 (अप.) तक

(2) 17-8-1981 (पूर्वा.) से 30-9-1981 (अप.) तक

बी. जी. कूलकणी  
महायक कार्मिक अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

सं. ए-12025/1/79-ई. एस.—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ने श्री के. एस. नारायणसुब्रह्मण्यम को नागर विमानन विभाग में दिनांक 15-9-1981 (अपराह्न) में अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में विमान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

सं. ए. 32013/1/80-ई. एस.—इस विभाग की दिनांक 6-4-1981 की अधिसूचना सं. ए. 32013/1/80-ई. एस. के क्रम में राष्ट्रपति ने सर्व श्री एल. एन. लाल विभाग और एम. एन. नागर की नागर विमानन विभाग में सहायक निदेशक विमान सुरक्षा (इंजी.)/वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधि-



कारी (इजी.) के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति को आगे आगे दिनांक 31-12-1981 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दी है।

जगदीश चन्द्र गर्ग  
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहृतालय  
मदुरई, दिनांक 11 सितम्बर 1981  
सूचना

सी. सं. 11/39/21/81-सतकर्ता—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्वारा श्री आर. सी. मात्यूस, आपरेटर दूर संचार, कडलूर सीमा शुल्क प्रभाग, को तदर्थक सूचना दी जाती है कि प्रकाशन की इस तारीख से एक महीने के अवसान पर उनकी सेवाएं पर्यवसित हो जाएगी।

पी. एन. विट्टल दास  
सहायक समाहर्ता (मुख्यालय)  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

#### केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-110022, दिनांक सितम्बर 1981

सं. ए०-19012/976/81-स्था पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग निम्नलिखित अधिकारियों को स० 650-30-740-द०रो०-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से छः महीनों की अवधि के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, स्थानापन्न होने के लिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं :-

क्र०	अधिकारी का नाम	अतिरिक्त	जहां पदस्थापित
सं०	तथा पदनाम	पदनाम	दिनांक
		सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर का पदभार ग्रहण करने की तारीख	
1	2	3	4

#### सर्वश्री

1.	एस० के० बास, पर्यवेक्षक	11-9-81	सी०एम०डी० डी० (पूर्वाह्न) -1 निदेशालय
2.	सिद्धिदानन्द प्रसाद, पर्यवेक्षक	23-7-81	नीव इंजीनियरी (पूर्वाह्न) अभिकल्प निदेशालय
3.	एन० सी० डे०, पर्यवेक्षक	17-8-81	पी० एण्ड डी० (पूर्वाह्न) सर्किल, नई दिल्ली
4.	बी० एस० भण्डारी, पर्यवेक्षक	11-9-81	गंगा बसिन जल (पूर्वाह्न) संसाधन संगठन, नई दिल्ली।

1	2	3	4
5.	जी० एम० श्रीकान्तेश्वरम्, पर्यवेक्षक	1-4-81 (पूर्वाह्न)	केन्द्रीय बाढ़ पूर्वी नियंत्रण कक्ष, निजामाबाद
6.	बी० बी० मिह, पर्यवेक्षक	6-10-80 (पूर्वाह्न)	जल संसाधन उप-मंडल, दरभंगा
7.	जे० बी० आर० सेट्टी, पर्यवेक्षक	8-5-81 (पूर्वाह्न)	चान्दा (पश्चिमी) गेजिंग उपमंडल, चान्दा
8.	बी० के० मिन्हा, पर्यवेक्षक	17-7-81 (पूर्वाह्न)	सोन नदी आयोग, पटना
9.	ए० के० कोले, पर्यवेक्षक	22-7-81 (पूर्वाह्न)	सोन नदी आयोग, पटना
10.	एम० बसक, पर्यवेक्षक	31-8-81 (पूर्वाह्न)	जी०एफ०सी०सी०, पटना
11.	ए०के० राय, पर्यवेक्षक	22-8-81 (पूर्वाह्न)	आर०डी०(जे०आर०सी०) अन्वेषण मंडल, शिलांग

दिनांक 15 अक्टूबर 1981

सं. ए०-19012/918/81-स्थापना-पांच—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह ख) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग निम्नलिखित पर्यवेक्षकों को पदोन्नति पर अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स० 650-30-740-~~द०रो०-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200~~ के वेतनमान में प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीखों से नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

1.	श्री बी० विवेकानन्द, अतिरिक्त सहायक निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	26-8-81 (पूर्वाह्न)
2.	श्री आर० सी० शर्मा, अतिरिक्त सहायक निदेशक, ई० आर० डी० डी० एक निदेशालय।	19-6-81 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के पद पर उपर्युक्त तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

ए० भट्टाचार्य, अवर सचिव

#### केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 23 सितम्बर 1981

स. 22/1/81-प्रशासन-1 (ब)---अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, एतद्वारा श्री हरदशान्त सिंह-1, पर्यवेक्षक कार्या, 14 सितम्बर, 1981 पूर्वाह्न से आगामी आदश होने तक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप ख) सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 14 अक्टूबर 1981

सं. 22/1/81-प्रशा. 1 (बी)—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्वारा, श्री वाई. डी. शिर्बाद, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप बी) सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में 24-9-1981 (पूर्वाह्न) में आगामी आदेश मिलने तक नियुक्त करते हैं।

सन्तोष विश्वास  
अवर सचिव

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

कंपनी विधि बोर्ड

कंपनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कंपनी अधिनियम 1956 और मेसर्स जोधपुर कामर्सियल बैंक लिमिटेड—जोधपुर के विषय में

जयपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

सं. सांख्यिकी/242—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स जोधपुर कामर्सियल बैंक लिमिटेड—जोधपुर का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श. प्र. दीक्षित  
कंपनियों का रजिस्ट्रार  
राजस्थान, जयपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और एरो फार्मा लैबोरेटरीज प्राइवेट लि. के विषय में।

हैदराबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. 855/टी. ए. आर्. /560—कंपनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एरो फार्मा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

कंपनी अधिनियम 1956 और रामसीस टीस इंडिया लिमिटेड के विषय में।

हैदराबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. 1089/टी. ए. आर्. /560—कंपनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रामसीस टीस इंडिया लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट लिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

कंपनी अधिनियम 1956 और सपना प्लास्टिकस प्राइवेट लि. के विषय में।

हैदराबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

सं. 1430/टी. ए. आर्. /560—कंपनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सपना प्लास्टिकस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वि. एस. राजू  
कंपनियों का रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निदेश सं० III 518/अर्जन/81-82—अतः मुझे, हृदय नारायण आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

श्रीरजिमकी सं० प्लॉट नं० 98 का अंश पाटलीपुत्रा कोआपरेटिव गृह निर्माण समिति लिमिटेड पटना-13 है तथा, जो पाटलीपुत्रा कालोनी, थाना पाटलीपुत्रा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक वास्तविकता कमा करने या उससे बचने में सौ के लिए; और/या

- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सावधानी के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री के० के० शरण वलद स्व० बाबू रामनन्दन सहाय निवास 98 पाटलीपुत्रा कालोनी, थाना पाटलीपुत्रा जिला पटना-13 (अन्तरक)

(2) श्री प्रो० (डा०) उमाकान्त मिश्रा वलद श्री गिरजा प्रसाद मिश्रा 29 पाटलीपुत्रा कालोनी, पटना-800013 और स्थाई निवास स्थान ग्राम मिसरापुर पत्तानय कुमठा, थाना सुल्तानगंज, भागलपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का रकबा 6.6 कट्ठा जो करीब-करीब 9000 वर्गफीट होता है मौजा पाटलीपुत्रा कालोनी थाना पाटलीपुत्रा जिला पटना में स्थित है तथा पूर्णरूप से बमिका सं० 1259 दिनांक 21-2-81 में वर्णित है एवं निबन्धन जिला अवर निबन्ध पदाधिकारी पटना द्वारा सम्पन्न हुआ है ।

हृदय नारायण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना ।

तारीख : 14-10-81

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.—-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 3 नि० म० अ० आ०/एक्वीजिशन 2/एस०-आर-  
1/2-81/7381—चूकिमें, विमल बशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी मध्या में रोड, चन्द्रावल रोड है एव जो चन्द्रावल रोड में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण सलग्न अतिसूच. में दिया गया है जो पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वा) के अधिनियम पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति वा उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) श्री सुशील मोहन बेहल जेड-ब(-एल-50  
जेल रोड हरी नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री विनोद कुमार अरोडा,  
1544 दिना नाथ भवन,  
चन्द्रावल रोड, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होगी, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

में रोड, चन्द्रावल रोड, दिल्ली।

विमल बशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-II, नई दिल्ली।

दिनांक 15-10-1981

मोहर ७

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-II नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० नि० सं० आ० आ०/एकवीजीशन II/एम० आर०-  
2/2-81/4215--चूक में, विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-  
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

श्रीर ज़िम्मे को संख्या कृषि भूमि है एवं जो ग्राम दत्ताव कला में  
स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण सभान अनुसूची में  
दिया गया है) के पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16वां) के अधीन पंजीकरण अधिनियमों के दिनांक 16 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिता  
(अन्तरिता) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल-निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण ज्ञात में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनों के अन्तर्गत प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अन्तरण  
में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

2-316GI/81

- (1) श्री. सूरज भान शर्मा और चन्दर भान शर्मा,  
मुमुत्र राम प्रसाद ग्राम दीचाव कला दिल्ली ।  
(अन्तरक)
- (2) श्री. किरपाल सिंह कर्ता एच० यू० एफ० सुपुत्र और  
प्रताप सिंह चावधा सी-4, राजोरी गाँव, दिल्ली ।  
(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियाँ करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि का क्षेत्र 8 बीघे और 17 बिघे, ग्राम दीचाव कला  
दिल्ली ।

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जेंट रेंज-II, नई दिल्ली।

दिनांक : 15-10-1981

माहूर :

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एक्वीजीशन-2/एस-आर-  
/2-81/4207—चूंकि मैं, विमल बशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है एवं जो ग्राम कावीपुर, दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण प्राय प्राधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात्:-

(1) श्री राजिन्दर सिंह सुपुत्र नारायण सिंह  
ग्राम कावीपुर, दिल्ली; राज्य दिल्ली;

(अन्तरक)

(2) श्री सुवास खन्ना और चन्दर खन्ना सुपुत्र श्री केदार  
नाथ खन्ना।

22-बी/1, प्रोरिजोनल रोड, करोल बाग,

नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति में से किसी व्यक्ति को उक्त सूचना के तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि का क्षेत्र 24 बीघे और 8 बिघे, खसरा नं०  
1332 (4-16), 1333 (3-8), 1334 (1-16), 1335  
(4-16), 1338 (4-16), 1340 (4-16), ग्राम कावीपुर  
दिल्ली राज्य दिल्ली।

विमल बशिष्ठ

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

सोहर :

प्ररूप. आर्. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली;

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1981

निर्देश सं० 3 वि० ग० पा० आ०/एकत्रीकरण 2/एस-आर-

2/2-81/4192-विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या विभाजित है एवं जो इलाहाबाद जिले में स्थित है, (जिसका निरीक्षण निम्नलिखित विवरण में इन अनुसूची में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अन्तर्गत पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त ~~सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--~~

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों ~~के अधीन~~ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

धन: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री आशा राम, सुपुत्र श्री भोला राम,  
ग्राम-नामपुर,  
गाजियाबाद, वर्तमान पता--ग्राम होलम्बा कलन,  
दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री कार्ल: राम,  
सुपुत्र श्री शेर सिंह  
239, होलम्बा कलन, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गया है।

अनुसूची

4 बीघे और 16 बिघे खसरा सं० 59/15, 59/16 और 5 बीघे और 14 बिघे का खसरा सं० 59/25, ग्राम-होलम्बा कलन, दिल्ली स्टेट, दिल्ली।

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक: 7-8-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एकीजीशन-2/एस० आर-

1/2-81/7387—चूक में, विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 1049 बार्ड नं० 3, है एवं जो गांधी गली, फतेहपुरी, दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री कनवार किशोर,  
सुपुत्र श्री नवल किशोर  
1063, गांधी गली, फतेहपुरी,  
दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री राम किशन जैन,  
सुपुत्र श्री शेर सिंह जैन,  
निवासी 1049, गांधी गली,  
फतेहपुरी दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या तत्समर्थ व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

नं० 1049 बार्ड-3, गांधी गली, फतेहपुरी, दिल्ली

विमल वशिष्ठ

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

माहूर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश न० 3 नि० म० आ०/एकीजीशन 2/एस-आर-1/  
2-81/7431—चकिम, विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी मूल्यांकन 1, हे एच जा ग्राम बसई दारापुर आबादी पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण प्रयुक्ती में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वा) के अधीन पंजीकरण अधिकारी दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण का गढ़ है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसने दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक विधि से प्रयुक्त करने के लिए नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिक्ती :—

(1) श्री केदारनाथ सुपुत्र स्वर्गीय श्री जिया लाल  
20-इस्ट एवन्गु मेन मार्केट दूसरी मजिल  
पंजाबी बाग, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री शिव नारायण गुप्ता सुपुत्र श्री सत्य पाल गुप्ता  
1/15, जयदेव पार्क,  
रोहताक रोड, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के कार्य-वाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हस्त-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप न० 1 बसई दारापुर, आबादी पंजाबी बाग, नई दिल्ली

विमल वशिष्ठ

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एक्वीजीशन 2/एस०आर०-

1/2-81/7471—यतः मुझे, विमल वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या शाप नं० 78, है तथा जो राजौरी गार्डन, दिल्ली में स्थित है, जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त संपत्ति लिखित में वास्तविक रूप में कम नहीं हो सकेगा।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित शक्तियों, अर्थात्

(1) श्री भूपिन्दर सिंह, तरनोक सिंह, सुखदेव सिंह सुपुत्र एस० वाई० सिंह श्रीमती जस्मर कौर और अमरजीन कौर सुपुत्री एस० तेहल सिंह निवासी 3162, सेक्टर 28-डी, चण्डीगढ़

(अन्तरक)

(2) श्री बोध राज गुप्ता सुपुत्र एल० शंकरदास, निवासी एफ-78, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को पर सूचना की तारीख से 30 दिनों के अन्तर्गत, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-के-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० एफ/78, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

सहायक आयुक्त

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० अ० अ०/एकवीजीशन 2/एस० आर०-1  
2-81/7451—शुक्रि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 56, है एवं जो बाली नगर, नई  
दिल्ली में स्थित है, जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनु-  
सूची में दिया गया है की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16) के अधीन पंजीकरण अधिकारी नई दिल्ली स्थित कार्यालय  
में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उत्के दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 'तब-पाया-बैदा'  
प्रतिफल से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
आवधिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण न हुई तबो आय हो बाधन, उक्त अधि-  
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री हरनाम शाह भाटिया सुपुत्र श्री बालक राम,  
मकान नं० 35,  
ब्लाक जी०, मीरीगंगा नगर, राजस्थान  
(अन्तरक)
- (2) श्री मंजीत कौर पत्नी एस० चरण जीत सिंह और  
राज पाल सिंह सुपुत्र एस० बलवन्त सिंह,  
एच-28, बाली नगर, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके अनिक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में कृतबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदक्षरी के नाम लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—दोनों प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में  
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस  
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 56, बाली नगर, नई दिल्ली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली।

दिनांक: 15-10-1981

सोहरा 2

प्ररूप आई० टी० एम० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) द्वारा की

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० अ० अ०/एक्वीजीशन 2/एसआर०-1/  
2-81/7462—चूकि मै, विमल वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इतमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
र० से अधिक है

और जिनकी मख्या 1/11, है एवं जो आबादी बेदियां गंदानाला  
वाडें 7, काश्मेरी में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण  
संलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908  
(1908 का 16वां) के अधीन, पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली  
स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूरयमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दूरयमान प्रतिफल में, ऐसे दूरयमान प्रतिफल का पन्ध्र  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत; उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तित्वों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम को धारा 269-ग'के अनुसार में,  
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कृष्ण वन्ती पत्नी श्री लक्ष्मी दास 2282,  
गली हिगा बेगम,  
फाटक ह्वास खान दिल्ली,  
वर्तमान पता—इन्डियन इन्वैस्टमेंट फूड कमीशन  
क्वाटर नं० 15, मनीया भवन मेन्टेकूम (इस्ट)  
बम्बई-400055

(अन्तरक)

(2) श्री शिला देवी पत्नी सतपाल न० 537,  
गली बेहल साहिब,  
मोरी गेट, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के  
अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
प्रम्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

इसमें उक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20 के अन्तर्गत  
है, वही प्रयुक्त होगा, जो उस अध्याय में  
दिया गया है।

अनुसूची

सिगल स्टोरी प्रो० नं० 1/11, आबादी गली बेदियन,  
गंदानाला वाडें नं० 1, काश्मीरी गेट दिल्ली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली।

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आर्इ.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निवेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एकवीजीशन-2/एस०-आर०-1/  
2-81/7448—चूकि मै, विमल वशिष्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या 11/23 है एवं जो पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली  
में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में  
दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय  
में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबल, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तिओं  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

3—316GI/81

(1) कुमारी शान्ता बजाज पत्नी स्वर्गीय श्री देश राज  
बजाज एच-48 कीर्ती नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री राम नाथ बजाज सुपुत्र स्वर्गीय श्री परमानन्द  
बजाज, 23/11, पूर्वी पटेल नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्त :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप नं० 11, ब्लाक नं० 23, क्षेत्रफल 86.7 वर्ग गज,  
पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली।

विमल वशिष्ट  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर, 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० ग्रा० ग्रा०/एकजीवीगणन 2/एल-आर 1/2-81/7450—चूँकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्रो० नं० 1295, है एवं जो माली बाड़ा दिल्ली-6, में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तुविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्री सुभाष चन्द,  
महेश चन्द कमलेश कुमार दिनेश कुमार,  
पुत्रगण श्री श्रीचन्द निवासी 1371  
वैद्य बाड़ा देहली-6 (अन्तरक)

(2) श्री परमेश्वरी देवी पत्नी श्री गणपत राय  
(2) श्री गणपत राव सुपुत्र श्री गोविन्द दास,  
1295 वैद्य बाड़ा माली बाड़ा दिल्ली-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अनुसूची-20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान प्रो० नं० 1295 वाक्या वैद्य बाड़ा,  
माली बाड़ा इलाका नं० 5, देहली-6

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली।

दिनांक : 15-10-1981

सील:

प्ररूप आइ. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर, 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एक्जीवीशन 2/एस०-

आर-1/2-81/7384—चक्र में विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या सोप नं० 1, ह एन जो मेन रोड, मलका गज, दिल्ली में स्थित है, (जिम्हा अधिक विस्तृत विवरण सलग्न अनुसूची में दिया गया है) का पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वा) के अधीन पंजीकरण प्राधिकारी दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से दायित्व नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक क दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आयों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जयदेवीधनी विधवा पत्नी श्री राम चन्द निवासी नं० 1169, चाहराहत दिल्ली

(2) सुभाष पत्नी श्री प्रेम चन्द सुपुत्री स्वर्गीय राम चन्द निवासी 14, खोल खुर्द, पलवल फरीदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री राजिन्दर सिंह सुपुत्र श्री रतन सिंह निवासी सी-5/176, लारेस रोड, दिल्ली

(अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सा अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा जहाँ-जहाँ-तक के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप नं० 1, मेन रोड, मालका गज, दिल्ली क्षेत्रफल 556 वर्ग फिट चार्ज 2/3 जी० एफ० और 1/3 मेणफ० एफ०

विमल वशिष्ठ

सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निवेदन सं० 3 ति० सं० आ० आ०/एम्प्लीवीशन 2/एस० आर-1  
2-81/7420—चूकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०  
से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्री० न० 310, है एवं जो कूचा संजोगीराम  
नया बास, इलाका न० 7 में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत  
विवरण सख्या अनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण अधिनियम  
1908 (1908 का 16वा) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के  
दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से  
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से  
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम  
के अधीन कर देने के अन्तरण के वापिसव में कमी करने  
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन-या अन्य आस्तियों को,  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,  
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती  
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए  
था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,  
यें उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,  
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हेमराज निवासी 226,  
कूचा संजोगीराम, नया बांस, देहली-6

(अन्तरक)

(2) श्री शेरबती देवी पत्नी श्री परमेश्वरी दास,  
108, मस्जिद तहवर खां नया बास देहली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामोल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी  
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्वीकृतिकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अड्डाय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

श्री मंजिली प्रकान न० 310, कूचा संजोगी राम नया बांस  
इलाका न० 7, दिल्ली-6

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली।

दिनांक 15-10-1981  
मोहर



प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एकजीवीशन 2/एस० आर  
1/2-81/7357—चूकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
₹० से अधिक है

और जिसकी संख्या 65/22, है एव जो न्यू रोहतक रोड, करोल  
बाग, में स्थित है, (जिसका अधिक वित्त विवरण संलग्न अनुसूची  
में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी को नई दिल्ली स्थित  
कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से  
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की  
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल के ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है,  
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में  
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

- (1) श्री जीवन लाल खन्ना,  
सुपुत्र गनपत राय खन्ना,  
1, सी/19, न्यू रोहतक रोड  
श्री खैराती राम खन्ना सुपुत्र श्री गनपत राय  
खन्ना निवासी एन-160 ग्रेटर कैलाश-1,  
नई दिल्ली  
जे० एन० खन्ना सुपुत्र गनपत राय खन्ना एन-198  
जी० के०-1, नई दिल्ली (अन्तरक)
- (2) श्री परदुमन सिंह जैन मोहिन्दर सिंह जैन,  
सुपुत्र श्री बासु लाल जैन,  
4799 डिपुटी गंज, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

65/22 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.—-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर, 1981

निदेश सं० 3 न० सं० आ० आ०/एकीकरण 2/-एस०-

आर-1/2-81/7422—नूक मुझे विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सख्या सोप न० 329 और 330 प्रो० नं० 171 और 326-ए, 335 है एवं जो दरीबा कला, दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण सलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अध्यापक पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से कम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए प्रत्येक वर्ष प्रतिफल, निम्नलिखित उद्धरण :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शक्ति कुमार राजपूत सुपुत्र स्वर्गीय श्रीधर सिंह एलीयस धन सिंह 1560 कूचा सेठ दरीबा कलां, दिल्ली

(अन्तरक)

(2) मै० गंडा राम, एण्ड सन्स द्वारा श्री गंडी राम सुपुत्र श्री जगत राम, निवासी 28, सीरी फोर्ट रोड मस्जिद मठ, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप नं० 326 और 330 प्रो० नं० 171 (पुरानी) और 326-ए० से 335, (न्यू), दरीबा कलां, दिल्ली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रोज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

गील :

प्ररूप धाई० टी० एन०एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० ग्रा०आ०/एकजीवीशन 2/एस-आर-1/  
2-81/7396—चुकि मैं विमल वशिष्ठ

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या नं० 5105, 5106 वाई नं० 13, है  
एवं जो मंडी रुई सदर बाजार, दिल्ली-6, में स्थित है, (जिसका  
अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है की  
पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन  
पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी,  
1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी घन या अन्य धारितियों  
को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया या या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री राम नारायण गुप्ता

सुपुत्र राम नाथ गुप्ता

330 गली प्रकाश बाजार तेलीवारा दिल्ली-6

(अन्तरक)

श्री सत्य प्रकाश सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरगु लाल

4232, गली बारना सदर बाजार,

दिल्ली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करावा हें।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाकेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
पूरना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में लिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

2 सोप सिगल स्टोरी मंजिल नं० 5105 और 5106,  
वाई नं० 13, मंडी रुई सदर बाजार, दिल्ली-6

विमल वशिष्ठ

सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

माहूर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महाश्वक आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एक्वीजीशन 2/एस-आर-1/2-81/7440—चूंकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है); की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्रो० नं० 2691ए, है एवं जो मस्जिद कालेखां दरिया गंज में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री शितल प्रकाश तनेजा  
निवासी ए/47, प्रीत विहार,  
दिल्ली-92

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी श्री रामकिशन गुप्ता,  
निवासी, 1950 गली नोलावाली  
बाजार सीताराम, दिल्ली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान लगभग 45 वर्ग गज, प्रो० नं० 2691/ए, मस्जिद कालेखां इलाका नं० 11 दरिया गंज दिल्ली।

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयुक्त आयुक्त  
अर्जन रेंज II, नई दिल्ली।

दिनांक : 15-10-1981

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एकवीजीशन 2/एस०-  
आर०-2/2-81/4212--चूंकि मैं, विमल वशिष्ठ,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित  
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी संख्या एम०-12, है एवं जो राजोरी गार्डन, दिल्ली  
में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में  
दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित  
कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिकल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिकल से पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और  
अंतरक (अंतरको) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित  
उद्देश्य में उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम, के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के  
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
परिणामों अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया या या किया जाना चाहिए या छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्त-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा  
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्--  
4-316QL81

(1) श्री सौदागर मल सुपुत्र श्री गुरदीत्ता मल,  
मकान नं० 11,  
जीवनी ब्लाक गंगाराम वाटिका, दिल्ली

(2) श्री विश्वनाथ सुपुत्र श्री फकीर चन्द,  
ए-2/41, राजोरी गार्डन,  
नई दिल्ली

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के धार्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त धार्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

2/3 हिस्से प्रो० नं० एस-12, क्षेत्रफल 133.1/3 वर्ग  
गज, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली।

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त,  
अर्जन रज II, नई दिल्ली

दिनांक . 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० सं० आ० आ०/एकजीवीशन 2/एस-आर-2/  
2-81/4240—चूँकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि इलाकर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/  
रुपए में अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है एवं जो ग्राम दिचांव कलां  
में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची  
में दिया गया) है की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय  
में दिनांक फरवरी, 1981

को उचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यद्यपि यह बिबान  
करने का कारण है 'स यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार'  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)  
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक  
लिखित में वास्तविक का न कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय ग्राम-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण  
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा  
(1) के अधीन, निम्नलिखित शर्तों में, अर्जातः—

(1) श्री सिंह राम, जय पाल सिंह, राम पाल सिंह  
और सुरेश सिंह सुपुत्र शंकर, सभी निवासी ग्राम  
शाहपुरजेट, दिल्ली  
(अन्तरक)

(2) श्री एस० नन्द सिंह चावला कर्ता एच० यू० एफ०,  
सुपुत्र श्री प्रताप सिंह चावला सी-4,  
राजोरी गार्डन, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी  
अवधि बाद, में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 7 बिघे और 11 बिघे ग्राम दिचांव कलां दिल्ली

विमल शिष्ट  
सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली।

दिनांक: 15-10-1981

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एम०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० म० आ० आ०/एकवीजीशन 2/एसआर-2/2-81/4225—चूँकि मैं, विमल वशिष्ठ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकार को यत्र विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति बाजार उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 27, है एवं जो कृष्णा पार्क, पोसंगीपुर, में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तर्गत (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच हुए अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निर्धारित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कायित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या धन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों पर्याप्त :—

(1) श्री एस० अजीत सिंह आनन्द,  
सुपुत्र एस० बीन्ट सिंह आनन्द,  
3027 गली नं० 2,  
चुना मंडी पहाड़ गंज, दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्दर अग्निहोत्री  
सुपुत्र श्री बलदेव राम अग्निहोत्री,  
और श्रीमती विपला अग्निहोत्री पत्नी श्री आर० सी० अग्निहोत्री डी-11/20, जनकपुरी, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धारणा:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् अवधियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधिबाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटनाशर्तों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 27, कृष्णा पार्क, ग्राम पोसंगीपुर, दिल्ली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त,  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

क्रयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 110002

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निदेश सं 3 नि० सं० ग्रा० ग्रा०/एक्सीजीशन-II/एस०

ग्रा०-II/81-82/2-81-4264—चूंकि मैं विमल वशिष्ठ

क्रयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है एवं जो 1 प्लॉट नं० 44 गांव तातारपुर देहली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए दृश्य बाधा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बान्ध, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायिल्स में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् B-1

(1) श्री राम सहाय ब्राह्मलुवालिया  
सुपुत्र श्री आत्मा राम निवासी ए-2/194 जनकपुरी  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री चरण दास छावड़ा  
सुपुत्र श्री खान चन्द छावड़ा निवासी जे-13/44-  
वी० राजोरी गाडग इहदे

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शंकोर:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संशुद्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 44-बी, ब्लॉक जे-13, गांव तातारपुर देहली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली।

दिनांक : 14-10-1981

मोहर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज II, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 अक्टूबर, 1981

सं० 3 नि०स०आ०आ०/एवर्वाजीशन-II/एस आर-II/  
2-31/4251 चंकि मैं विमल वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है एवं जो 1 बीघा 8 बिसवा जमीन गांव दिन्दार पुर देहली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण मानद अनुसूची में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी 1981,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्सियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री कामोम सुपुत्र श्री ईदु निवासी गांव दिन्दारपुर देहली ।

(अन्तरक)

(2) श्री मत्तपाल मनहोत्रा सुपुत्र श्री रामचन्द्र मनहोत्रा निवासी बी०एफ०—25, टैगोर वार्डन नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कराई हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए गए पत्रों ।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1 बीघा 8 बिसवा एग्रीकल्चर जमीन दिन्दार पुर गांव में

विमल वशिष्ठ  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रोज II, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:-

दिनांक 14-10-81

मोहर :-

रूप आई. टी. एम. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

संदर्भ 3 नि० सं० आ० आ०/एक्वीजीशन 2/एस-आर० II/2-81-7417, —चूँकि मैं, विमल वशिष्ठ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (और जिसे इसमें इसके अन्तर्गत अधिनियम का संशोधन है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति निम्नलिखित उक्त मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सोप न० 42, है एव जो पुरानी रोहतक रोड, दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 वाँ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में द्वै किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित करने के अर्थ में उक्त अधिनियम में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में भुविषा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसूचन में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री करन चन्द सुपुत्र श्री मखनलाल सोप न० 42, पुरानी रोहतक रोड, दिल्ली, (अन्तरक)

(2) श्री दिवान चन्द सुपुत्र श्री रोशन लाल, एलीयस रोशन दास,, 98 जनता क्वाटर, जनकपुरी, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सरकारी भवन सोप न० 42, पुरानी रोहतक रोड, दिल्ली ।

विमल वशिष्ठ  
सक्षम अधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त अर्जन-रेंज 2,  
नई दिल्ली ।

दिनांक : 15-10-81

मोहर :

प्ररूप शाह . टी. एन. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन संचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, नई दिल्ली—110002

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

मंदमं 3 नि० सं० ग्रा० ग्रा०/एक्वीजीशन-II/एम० आर०-  
II/2-81/4294—चूंकि मैं, विमल वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सधम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/ रु. से अधिक है

घोर जिसकी सं० मकान नं० डब्ल्यू जे-9 है एवं जो प्लॉट नं० 10  
मुखराम पार्क चौखंडी देहली में स्थित है, (जिसका अधिक  
विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है) को पंजीकरण  
अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण  
अधिकारी के स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्त-  
रिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में  
नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,  
और/या

(ख) एसा किसी आय या किसी भद्र या अन्य वास्तव्यों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) से  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किन्हीं अन्य कारणों से अन्तरण  
नहीं किया;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तिलक राज सुपुत्र परवारी ज्ञान निवासी डब्ल्यू  
जैड मुखराम पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रणजीत कुमार कोहली सुपुत्र श्री ग्रामप्रकाश  
कोहली निवासी डब्ल्यू जैड-105 मुखराम पार्क  
तिलक नगर, देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से 45  
दिनों की अवधि में तलाशकर्ता व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिनों की अवधि में, या यदि  
बाध में समाप्त हो जाये, तो भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सा-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अज्ञेयताकारी के  
पास लिखित में लिखे जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें पयुक्त शर्तों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ माना जायेगा जहाँ इस अधिनियम में दिया  
गया है।

अनुसूची

मकान नं० डब्ल्यू जे-9 प्लॉट नं० 10 मुखराम पार्क,  
चौखंडी देहली।

विमल वशिष्ठ  
सधम प्राधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जुन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक : 14-10-81

माहूर :

सं. नं. आर्. टी. एन. एम.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर, 1981

संदर्भ 3 निं. सं. आं. आं/एकीजीशन-II/एम. आर.-  
II/2-81/4250—चूंकि मैं, विमल वशिष्ठ,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इससे  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के  
अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० के  
अधिक है  
और जिसकी सं० है एवं जो एग्रीकल्चर जमीन व गांव दिन्दार  
पुर में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची  
में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का  
16 वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के स्थित कार्यालय में  
दिनांक फरवरी, 1981  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत के अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्धृत उक्त अन्तरण विहित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में रुमी  
करों का उक्त धारा में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
का प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के  
सुविधा के लिए;

धन: अथ, उक्त अधिनियम, को धारा 269-ग के अनुसरण  
में मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-ब की धारा (1)  
के अधीन निर्णालिसित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री कामीम सुपुत्र श्री डडु निवासी गांव दिन्दारपुर  
देहली ।

(अन्तरक)

(2) श्री परशोतम लाल मलहोत्रा सुपुत्र श्री रामचन्द्र  
मलहोत्रा निवासी वि० एफ०-25 टगो गार्डन 7  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करना है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोग:—

(क) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्समन्वधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि तार में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्ष  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

संज्ञाकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम,  
के अन्वय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ  
होगा, जो उन अन्वय में दिया गया है ।

अनुसूची

एग्रीकल्चर जमीन गांव दिन्दार पुर देहली

विमल वशिष्ठ  
सक्षम अधिकारी  
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जुन रेंज-II, नई दिल्ली ।

दिनांक : 14-10-81

गाँहर १२

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

जी० आई० आर० सं० डी०-40/अर्जन—अतः मुझे, अमरसिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 182 है तथा जो आई० टी० कालेज, क्रांसिंग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 7-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अस्तित्व (अस्तित्वों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तित्वी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5—316GI/81

(1) प्रगतिशील सहकारी गृह निर्माण समिति लि० निराला-नगर, लखनऊ द्वारा इसके सेक्रेट्री श्री एस० पी० मिश्रा

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धर्मराजो देवी

(अन्तरित)

(3) श्रीमती धर्मराजो देवी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है :)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 1 व 2 पर्यमायणी क्रमशः 2060 व 3960 वर्ग-फिट/कुल क्षेत्रफल 6020 वर्गफिट स्थित नजल प्लॉट नं० 12 खसरा नं० 992 आई० टी० कालेज क्रांसिंग लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण संपत्ति जो सेलडीड तथा फार्म 37-जो संख्या 874 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 7-2-1981 किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ.

दिनांक 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 अक्टूबर 81

निदेश सं० 11289 यतः, मुझे, राधा बालकृष्ण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेयन वियू कूनूर में स्थित है (और इससे उपापद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कूनूर (डाकूमेंट सं० 287/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम का धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सयद यूसुफ

(अन्तरक)

(2) श्री धिल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण प्लेयन वियू टैगर हिल कूनूर (डाकूमेंट सं० 287/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक : 6-10-81

मोहरः

प्रकृत अर्द्ध. टी. एन. एस -----

(1) श्री पलनी और अवरस

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री के० सुन्दरराजू

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० 9313—यतः मुझे, राधा, बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 236 है, जो अग्रा साले पांडिचेरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पांडिचेरी (डाकूमेंट सं० 358/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अनुसूची

भूमि और निर्माण—236 अग्रा साले पांडिचेरी (डाकूमेंट सं० 358/81)

राधा बालकृष्णन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 8-10-81

मोहर :

प्ररूप आर्ह. टी. एन. एस.-----

(1) श्री श्री वी० बालसुब्रमनियन

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री अम्मिनि बाबुकुट्टन

(अन्तरक)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 16143—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 29 घिल नगर I स्ट्रीट पुलियूर है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाख्य अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोठमपाखम (डाकू-मेंट सं० 930/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आम की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बनें के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-29 घिल नगर I स्ट्रीट मद्रास (डाकू-मेंट सं० 930/81)

राधा बालकृष्णन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक : 8-10-81

मोहर :



प्रक़प आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री पी० तिरुमलैस्वामी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

(2) श्री सी० रा० कन्नयन और राजा

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

अर्जन रेंज-II, मद्रास

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 11336 यतः मुझे, राधा बालकृष्णन,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है के स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

और जिसकी सं० 11/45 है जो राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर (डाकूमेंट सं० 197/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

भूमिसूची

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भूमि और निर्माण—11/45, राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर, डाकूमेंट सं० 697/81)

राधा बालकृष्णन

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

नोट: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसार धाय, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 8-10-81

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस -----

(1) श्री रा० के० सी० नटराजन

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री सुब्रमनियम और जेल्लम्माल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 9268 यतः, मुझे, राधा बालकृष्ण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० रा—3 है जो। फ्रास स्ट्रीट तिल्लैनगर, ट्रिची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिची (डाकूमेंट सं० 372/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1981,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—रा० 3, रुकमनि इल्लम, 1 फ्रास स्ट्रीट, ट्रिची (डाकूमेंट सं० 372/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 8-10-81

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

(1) नारायणि ग्रम्माल और अवरस

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एस मुनिलाल राम बादिलाल एस जादिलाल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निर्देश, सं०, 11356—यत् मुझे राधा बालकृष्ण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 25/50, 49 है जो तामस स्ट्रीट कोयम्बटूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुमूचा में आरपूरण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर, (डाकुमेंट सं० 1504/81 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 25-50, 49,  
तामस स्ट्रीट, कोयम्बटूर (डाकुमेंट सं० 1504/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

दिनांक : 8-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्तूबर 1981

निर्देश सं० 16161—अतः मुझे राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० 33, है जो राजा बातर स्ट्रीट, मद्रास-17 में स्थित (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय टी० नगर (डाकुमेंट सं० 543/81 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुन्दरराज राजधी पाल

(अन्तरक)

(2) श्री पी० विजयालक्ष्मी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्दितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-33, राजाबातर स्ट्रीट, मद्रास-17  
(डाकुमेंट सं० 543/81)

राधा बालकृष्णन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक 8-10-1981

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री मितम्मा वेसिकाचारी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री सावित्री अम्माल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 9320, यतः मुझे, राधा बालकृष्णन,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5, है लासनम रोड, बेनकाटा पारक,  
ट्रिची में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ट्रिची (डाकुमेंट  
सं० 734/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि उपाबद्ध संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम्से दृश्यमान प्रतिफल का  
बहुत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या उक्त अपस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

6-316GI/81

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-5 लासनम रोड, बेनकाटा पारक,  
ट्रिची (डाकुमेंट सं० 734/81)

राधा बालकृष्णन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक : 8-10-1981

माहिर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री कृष्णस्वामी मुद्दलियार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

(2) श्री बासकरन और रेवती

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास तारीख 8 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 9257-यन: मुझे, राधा बालकृष्ण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिमकी सं० 4, है जो यादव स्ट्रीट कठलूर में स्थित (और  
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय कठलूर (डाकुमेंट सं० 190/82) में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
16 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-4 यादव स्ट्रीट, कठलूर, (डाकुमेंट  
सं० 190/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख ; 8-10-81  
मोहर .

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री बालवेकंटराम चेट्टियार

(अन्तरक)

(2) श्री सुतुस्वामी घलोडर

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 11341—यनः, मुझ, राधा बालकृष्ण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिग बाजार स्ट्रीट, है जो कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर (डाकुमेंट सं० 1220[81] में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ना प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निर्माणांकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन वार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निर्णयित व्यक्तियों, अर्थात्:--

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण बिग बाजार स्ट्रीट कोयम्बटूर (डाकुमेंट सं० 1220/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-10-81

माहुर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री बालब्रह्मराम चट्टियार

(अन्तरक)

(2) श्री विजयलक्ष्मी

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 11341—यतः मुझे, राधा बालकृष्णन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिग बजार स्ट्रीट है जो कोयमबटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबटूर (डाकुमेंट सं० 1221/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वृद्धि, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—बिग बजार स्ट्रीट, कोयमबटूर (डाकुमेंट सं० 1221/81)

राधा बालकृष्णन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रजन रेंज, मद्रास

दिनांक : 8 अक्टूबर 1981

माहूर :



प्रकृत आर्.टी.एन.एस.-----

(1) श्री बाल वेंकटराम चेट्टियार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री समपूरनम श्रममाल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करा होंगी।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 81

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

निर्देश सं० 11341—यतः मुझे, राधा बालकृष्ण, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

श्रीर जिनकी सं० विंग ब्राजार स्ट्रीट है, जो कोयम्बटूर में स्थित है (श्रीर उगा उपाध में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर (डाकूमेंट सं० 1222/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1981

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में तथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

भूमि और निर्माण—विंग ब्राजार स्ट्रीट, कोयम्बटूर (डाकूमेंट सं० 1222/81)

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन अन्तरितीयों की धाराओं अर्थात्:—

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज II, मद्रास

दिनांक : 8-10-81

माहुर :

रूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री बालबेकराम चेट्टियार

(अन्तरक)

(2) श्री समपूरनम श्रमाल

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 11341-यत., मुझे, राधा बालकृष्ण,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० विंग बाजार स्ट्रीट, है, जो कोयम्बटूर में स्थित  
है (और इसमें उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर (डाकूमेंट सं० 2371/  
81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन अर्जन, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वारत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शक्य :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

भूमि और निर्माण-विंग बाजार स्ट्रीट, कोयम्बटूर (डाकू-  
मेंट सं० 2371/81)

राधा बालकृष्ण  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, मद्रास

अंतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

दिनांक : 8-10-81

सांहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज I-, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 31/फरवरी/81—यत, मुझे, आर० रविचन्द्रन,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
एक पत्रात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25000/- रु० से अधिक है  
और जिसकी सं० टी० एस० सं० 22/2, वार्ड "ई" ब्लॉक सं० 8,  
पल्लपट्टी गांव, सेलम में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में  
और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
जे० एस० आर०-II सेलम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन 25-2-1981,  
(डॉक्यूमेंट सं० 861/81)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक  
के दायित्व में कमी करने या उल्लेख बचने में  
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या पर्य्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,  
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने  
में सुविधा के लिए;

धन: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री आर० कुप्पुसामी चेट्टीयार  
(अन्तरक)  
(2) श्री वी० मानिकम  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि-बाव  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
से किसी व्यक्ति द्वारा;  
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—टी० एस० सं० 22/2 वार्ड "ई"  
ब्लॉक सं० 8, पल्लपट्टी गांव, सेलम —डॉक्यूमेंट सं० 861/81)

आर० रविचन्द्रन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज I, मद्रास

दिनांक 3-10-81

मोहर .

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कार्यालय अर्जन रेंज I, मद्रास-600006

मद्रास-600006, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 32/फरवरी/81—यतः मुझे, आर० रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन आर० रविचन्द्रन का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. में अधिक है

और जिसको सं० टी० एस० सं० 29, वॉरड—ई, ब्लॉक सं० 8, पल्लपट्टी गांव, सेलम में स्थित है (और इससे उपाय अन्तःसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-II, नेलम डाकूमेंट सं० 862/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-1981,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री आर० कुप्पुसामी चेट्टीयार और अद्रस (अन्तरक)  
(2) श्रीमती गौरी अम्मान (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्षः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में छिपाने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—टी० एस० सं० 29 वॉरड—ई, ब्लॉक-8, पल्लपट्टी गांव, सेलम—डाकूमेंट सं० 862/81)

आर० रविचन्द्रन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज I, मद्रास

दिनांक 3-10-81

मोहर :

प्रकृष आर्ई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज-I, मद्रास-600006

मद्रास, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 33/फरवरी/81—यतः, मुझे, आर० रविचन्द्रन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसका सं० टी० एस० सं० 29, वार्ड—“ई” ब्लॉक—8 पल्लपट्टी गांव है, जो सेलम में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकता अधिकारों के कार्यालय, जे० एस० आर०—II सेलम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-81, डाकमेंट सं० 863/81)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7-316GI/81

(1) श्री आर० कुप्पुसामी चेट्टीयार और अदर्स (अन्तरक)

(2) श्री एम० रवी० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—टी० एस० सं० 29, वार्ड—“ई”, ब्लॉक—8, पल्लपट्टी गांव सेलम—डाकमेंट सं० 863/81)।

आर० रवीचन्द्रन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रजन रेंज I, मद्रास

दिनांक : 3-10-81

मोहुर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज मद्रास 1-600006

मद्रास, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निदेश सं० 70/फरवरी/81—यतः सुझे, आर० रविचन्द्रन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकरणी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. में अधिक है

और सिजकी सं० टी० एस० सं० 29, वार्ड—“ई”, ब्लॉक सं० 8, पल्लपट्टी है, जो गांव मेलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारका अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० -II सेलम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-1981, (डाकूमेंट सं० 979/81)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण ने हुई किसी सामान्य वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:-

(1) श्री आर० कुप्पुसामी चेट्टीयार और अदर्स

(2) श्री एम० रमेश (अन्तरक)  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—टी० एस० सं० 29 वार्ड “ई”, ब्लॉक सं० 8, पल्लपट्टी गांव, सेलम—डाकूमेंट सं० 979/81) ।

आर० रविचन्द्रन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज I, मद्रास

दिनांक : 3-10-81

माहुर :

प्रत्येक आर्जेंटिनी एं. एस. एं. एस.

(1) श्री आर्जेंटिनी कुपुसामी चेट्टीयार और श्रद्धम।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

(2) श्री एम० राजा

(अन्तरिती)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० 71/फरवरी/81—यत्, मुझे, आर्जेंटिनी रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना प्रकाशित करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० सं० 29, वार्ड 'ई' ब्लॉक सं० 8, पक्कपट्टी गाव, तै, जो रोन्म में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में आने वाले पूर्ण रूप से वर्णित है), रथजस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, जे० एस० आर्जेंटिनी-2 रोन्म में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25 फरवरी, 1981 को (डाकुमेंट सं० 980/81)

का सूचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के परिपत्र में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा क्रिमो अथवा किसी धन या अन्य क्रिमो तथो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना के प्रकाशन के तत्पश्चात्, या भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अवाहनाओं के पास लिखित में किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—टी० एस० सं० 29, वार्ड "ई" बिकाक सं० 8, पक्कपट्टी गाव, तैकम—डाकुमेंट सं० 980/81

आर्जेंटिनी रविचन्द्रन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 3-10-1981

मोह

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1981

निर्देश सं० राज/सहा० आ० अर्जन/1081—यतः मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) (जिसे इसमें इससे पूर्व 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 28 फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, - उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी श्री सी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री एच० एम० रहमतअली पुत्र हज्जाह्म जी बोहरा निवासी सब्जी बाजार, झालरापाटन सिटी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

प्लॉट नं० 56, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा की सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 464 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान,

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-10-1981

मोहर :



प्ररूप आई० टी० एन० एम०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज/सहा० आ० अर्जन/1082—यतः मुझे, एम०  
एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-  
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है  
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 फरवरी,  
1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसूचन  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा:—

(1) डा० युधिष्ठिर देव शर्मा पुत्र सूर्यनारायण शर्मा  
निवासी सोकियो का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना  
देश किसानपोल बाजार, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ईश्वरी पत्नी श्री खीयतदास निवासी  
कंवरनगर, जयपुर।

(अन्तरिती)

मे यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पत्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

मकान बाके दणहरा कोठी ग्राम विजयमहल जयपुर  
क्षेत्रफल 571 वर्गमीटर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम  
संख्या 313 दिनांक 4-2-81 पर पंजीयक विक्रय पत्र में  
और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान,

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-10-1981

मोहरः

राजपत्र आर्. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1080—यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल के साथ अनाधिकृत रूप में खरीदने और बिक्री यह विचार करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बनें के अन्तरक के दायित्व से बन्नी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन का अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी श्री सी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी० मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31 न्यू ग्रेन मंडी, कोटा (अन्तरक)

(2) श्री अबासअली श्री रहमत निवासी झालरापाटन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 56 न्यू ग्रेन मंडी कोटा में स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 467 दिनांक 26-2-81 पर पंजीयक विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-10-1981  
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज/सहा० आ० अर्जन/1079—यतः मुझे  
एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है). को धारा  
269-ब के अधीन रजिस्ट्रार अधिकारी को, पत्र विज्ञापन करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिगडा उबिन बाजार  
मूल्य 25,000/- रु० के अधीन है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है,  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 26  
फरवरी, 1981 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्यन्त  
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तर के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण  
निश्चित में वास्तविकता से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धातियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी सी० पी० कोठारी एवं  
श्रीमती डी० मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी  
निवासी 30-31, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा ।

(अन्तरक)

(2) श्री निजामुद्दीन पुत्र रहमान अली खां निवासी झालरा-  
पाटन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करना हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधीनस्थ अधिकारी के  
पत्र लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें उपरोक्त धारा 269-ब (1) की धारा, जो उक्त  
अधिनियम के धारा 269-ब के परिभाषित है  
उक्त अधिनियम की धारा 269-ब में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 56 पर स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक,  
कोटा द्वारा क्रम संख्या 466 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध  
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-10-1981

मोहरः

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1085--यतः मझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 45 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 2 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती नेन कंवर पत्नी स्व० श्री ठाकुर नारायण सिंह जी आफ साखून निवासी 45 गोपाल बाड़ी, जयपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्द सिंह बालिग व मान सिंह, करण सिंह व हनमत सिंह नाबालिगान पुद्दान मदन सिंह बकिवालय पिता खुद निवासी 45 गोपाल बाड़ी, जयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जयपुर नगर, चौकड़ी हवाली गहर, गोपाल बाड़ी में प्लॉट नं० 45 का हिस्सा जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 289 दिनांक 2 फरवरी, 1981 में और विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 15-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन्. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1078—यतः मुझे,

एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

8—316GI/81

(1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी श्री सी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी० मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31, न्यू, ग्रेन मंडी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अमीना बाई पत्नी श्री रहमतअली जी बोहरा निवासी झालरापाटन सिटी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 56, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा में स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 465 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-10-1981

मोहर ३

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1089—यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि म्हावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 7 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पट्टे प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) कुमारी नीति कपूर पुत्री रघुबीर कपूर, 86, गोपाल बाड़ी, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री भजनलाल मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, ए-7, बजाजनगर, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त म्हावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 7, म्हाबीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 314 दिनांक 4-2-1981 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 16-10-1981

सोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1086—यतः मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 348 है तथा जो जौघपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जौघपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसिद्ध निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसूची में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री जोगा राम जी सिरखी निवासी मावी तहसील बिलाड़ा जिला जौघपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री रवीन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह राजपूत भाटी, निवासी जौघपुर (फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया), पावटा जौघपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 348, सखीनगर, पावटा ऐरिया, जौघपुर जो उप पंजीयक, जौघपुर द्वारा क्रम संख्या 681/181 दिनांक 2-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान,

समक्ष प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 16-10-1981

मोहर :

प्रकृष घाई० टी० एन० एच०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1088—यतः मुझे,  
एम० एल० चौहान,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),  
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह  
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका  
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है  
और जिसकी सं० प्लॉट नं० 16 है तथा जो जौधपुर में  
स्थित है; (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूरा रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जौधपुर में,  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
दिनांक 27 फरवरी, 1981 ।  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के  
लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल सिंह उज्जवल पुत्र श्री हेतदान जी उज्जवल  
निवासी पावटा बी० रोड़, जौधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धैरों बाई पत्नी शिवनारायण जी एच  
श्याम सुन्दर पुत्र श्री शिवनारायण जी, जौधपुर  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन  
के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में वृत्तबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताखरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

संश्लेषण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में  
दिया गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 16, फर्स्ट पोलो रोड़, जौधपुर जो उपपंजीयक,  
जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 428 दिनांक 27-2-81 पर पंजी-  
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 16-10-1981

मोहर :



प्ररूप आई० टी० एन० एन०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1087—यतः मुझे,  
एम० एल० चौहान,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)  
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की  
धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित  
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं० मकान है तथा जो जौधपुर में स्थित है,  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जौधपुर में, रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक  
10 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के  
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा  
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात्:—

(1) श्री माधो सिंह पुत्र बहुदुर सिंह निवासी रसाला  
रोड़, जौधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री चान्द मल पुत्र जबर चन्द जी भण्डारी निवासी  
श्रीसिया जिला जौधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही  
अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान का भाग जो पावटा, रसाला रोड़, जौधपुर पर स्थित  
है और उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 231 दिनांक  
10-2-1981 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप  
से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 16-10-1981

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/1090—यतः मुझे,  
एम० एल० चौहान,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जितना उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
₹० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो जौधपुर में स्थित है,  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जौधपुर में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 10  
फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से  
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उतने वचन में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी कितनी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्त-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री माधो सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी रसाला  
रोड़, जौधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कल्पना भण्डारी पत्नी प्रकाश भण्डारी  
निवासी जौधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्वष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही  
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

जयपुर

पावटा एरिया, रसाला रोड़, जौधपुर में स्थित मकान  
का ग्राउन्ड फ्लोर जो उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या  
232 दिनांक 10-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और  
विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

एम० एल० चौहान,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 16-10-1981  
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 मितम्बर 1981

निर्देश सं० अमृतसर/81-82/238—यतः मुझे, आनंद  
सिंह, आई० आर० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-  
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्लॉट है तथा जो गुरु नानक वाड़ा अमृतसर  
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कायम नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

(1) श्री मतपाल शर्मा पुत्र गंडा राम शर्मा मकान  
नं० 4763, गुरु नानक वाड़ा अमृतसर।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरुमुख सिंह पुत्र गुरुमेल सिंह वासी गांव  
घसीट पुरा तहसील तरन तारन जिला अमृतसर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) और कोई।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी  
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लॉट 340 वर्ग गज (खसरा नं० 104  
मिन) जो गुरु नानक वाड़ा अमृतसर में है जैसा कि मेल डीड  
नं० 3543/1 तिथि 25-2-1981 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई० आर० एस०,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज-3 चन्द्रपुरी टेलर रोड़, अमृतसर

दिनांक : 25-9-1981

मोहर :

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की संधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 5 अक्टूबर, 1981

निर्देश सं० अमृतसर/81-82/239—मतः मुझे, आनंद सिंह, आई० आर० एस०,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लॉट है तथा जो रानी का बाग, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वारियत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

- (1) श्रीमती रत्न भंडारी पुत्री पदम चंद भंडारी वासी रानी का बाग, अमृतसर।  
(अन्तरक)
- (2) श्रीमती इन्द्रा खोसला पत्नी श्री रोशन लाल वासी कटड़ा हूलो अमृतसर।  
(अन्तरिती)
- (3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) और कोई  
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमृतसरी

एक भूमि का प्लॉट 250-29 वर्ग मी० खसरा नं० 691, 692 जो रानी का बाग अमृतसर में है जैसा कि सेल डीड नं० 3393/1 तिथि 9-2-81 रजिस्ट्रींग अधारिटी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई० आर० एस०  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज-3 चन्द्रपुरी टेलर रोड़, अमृतसर

दिनांक : 5-10-1981

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 5 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० अमृतसर/81-82/240—यतः मुझे, आनंद सिंह आई० आर० एस०

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें हमके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 208 ईस्ट मोहन नगर है तथा जो ईस्ट मोहन नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 24 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उनके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

9-316GI/81

- (1) चैयार मैन, अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अमृतसर।  
(अन्तरक)
- (2) मैसर्स विरदी इंडस्ट्रीज (शटलज) प्राइवेट लिमिटेड, 208 ईस्ट मोहन नगर, अमृतसर।  
(अन्तरिती)
- (3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएवार हो।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) और कोई  
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लॉट 604.8 वर्ग मीटर है जो ईस्ट मोहन नगर अमृतसर में है जैसा कि सेल डीड नं० 3531 तिथि 24-2-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई० आर० एस०

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, चन्द्रपुरी टेलर रोड, अमृतसर

दिनांक : 5-10-1981

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एच०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय  
माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन अक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०  
से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है  
(और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक  
5 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परम प्रतिशत  
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से उचित नहीं के समान है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को, पिछले भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती रबाब बानो वि०/आफ गुलाम अब्बास  
दाऊदी बोहरा 288, थोरापुरा बाखल उज्जैन  
2. हकीमुद्दीन सन/आफ गुलाम अब्बास दाऊदी  
सियागंज इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गायत्री बाई पत्नी हरी लाल ताम्रकार  
गोलगंज छोटीमाता व्यायाम शाला के पास छिन्द-  
वाड़ा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

गोलगंज स्थित प्लॉट नं० 188 का भाग रकाब 736.67  
स्केयर फीट ।

विजय माथुर,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 24-9-1981

सोहरा :

प्रकृप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय  
माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सहायक प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
उक्त संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से  
अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है  
(और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक  
5 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
एक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और  
अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए एक  
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में नास्तिक रूप से कल्पित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने  
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती बिलकिस बानो डा०/आफ गुलाम अब्बास  
पत्नी शब्बर हुसैन ताबाबाला, 14/1 महारानी रोड़  
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी शंकर लाल ताम्रकार  
मोहल्ला गोलगंज छोटी माता व्यायाम शाला के  
पास, छिन्दवाड़ा।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की  
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त संपत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिकारकारी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अन्वय 20-क में परिभाषित है,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोलगंज स्थित प्लॉट नं० 188 का भाग  
रकबा—734.69 स्केयर फीट।

विजय माथुर,  
सहायक प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 24-9-1981

माह 9

प्रमुख आई. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०—अतः मुझे, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (और इससे उपाखंड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अल्प आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती नसीमबानो पुत्री गुलाम अब्बास दाऊबी पत्नि इनायत हुसेन सुवासरोवाला नि० रहमानी कालोनी मम्बरा जि० थाना महाराष्ट्र।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मथुरा बती आई पत्नि कुन्दनलाल ताम्रकार मोलानाथ, छोटीमाता व्यायाम शाला के पास छिन्दवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोलगंज में स्थित प्लॉट नं० 188 का भाग रकबा 732.  
41 वर्गफुट

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल।

दिनांक : 24-9-1981

मोहर :



प्ररूप आई. टी. एन. एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) डा० फकददीन पुत्र गुलाम अब्बास दाऊदी बोहरा, नि० सार्देन हास्पिटल बाम्बे।

(अन्तरक)

(2) श्री कुन्वनलाल पुत्र बुद्धलाल ताम्रकार नि० गोलगंज छिन्दवाड़ा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोलगंज मेन रोड पर स्थित तिमजला मकान नं० 20/447 का लगभग 1/3 भाग प्लॉट रकबा—569.30 वर्ग फुट।

विजय माथुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

दिनांक : 24-9-1981

माथुर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय  
माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, जैसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्त-  
रिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया-  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अधीन :-

1. (1) श्री हकीमुद्दीन पुत्र गुलाम अब्बास दाऊदी बोहरा,  
नि० सियागंज इन्दौर (2) श्रीमती रत्नाबाबाने  
विधवा गुलाम अब्बास दाऊदी, 288, भोरापुरा  
बाखल, उज्जैन ।

(अन्तरक)

2. श्री हरीलाल पिता बुद्धलाल ताम्रकार, निवासी,  
गोलगंज, छोटी माता व्यायाम शाला, छिन्दवाड़ा ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

गोलगंज मेनरोड पर स्थित तिमंजला मकान नं० 20/447  
का लगभग 1/3 भाग । प्लॉट रकबा 569.87 वर्ग गज ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल ।

दिनांक : 24-9-1981  
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)---प्रतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो गोलगंज में स्थित है और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 5-2-1981 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री सज्जाव हुसेन पुत्र गुलाम अब्बास दाऊदी बोहरा---  
288 श्रीरापुरा बाबल, उज्जैन ।

(अन्तरक)

(2) श्री शंकरलाल पुत्र बुद्धलाल ताम्रकार, नि० गोलगंज, छिन्दवाड़ा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोलगंज मेनरोड पर स्थित तिमंजला मकान नं० 20/447 का लगभग 1/3 भाग । रकबा 560 वर्ग फीट ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल ।

दिनांक : 24-9-1981

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एम० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए०सी० (अर्जन)---अतः मुझे, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण के द्वारा किसी आय की बाब में उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायस्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जन :—

(1) श्री रमेशचन्द्र घोष पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्दूक्टर शारदा टाकज के पीछे, मोतीपारा दुर्ग ।

(अन्तरक)

(2) श्री मिश्रीलाल पुत्र घेवरचन्द्र कांकरिया, जि० सदर बाजार, दुर्ग ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के अन्तर्ग में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिर्मंजला बिल्डिंग के ग्राउण्ड तल का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकज के पीछे, मोतीपारा दुर्ग में स्थित है ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहर :

प्ररूप आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आर्.टी.एन.सी० —अतः मुझे, विजय माथुर,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण के रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन, 26-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्ट्रक्टर, शारदा  
टाकिज के पीछे, मोतीपारा, दुर्ग ।  
(अन्तरक)
- (2) श्रीमती चम्पादेवी पत्नि मिश्रीलाल कांकरिया  
सदर बाजार दुर्ग ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

तिमंजला बिल्डिंग के ग्राउण्ड फ्लोर का लगभग 1/2 भाग  
जो शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग में स्थित है ।

विजय माथुर  
सक्षम अधिकारी  
(निरीक्षी) सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ऐ० सी० (अर्जन)---अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 28-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:--

(1) रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्द्रकटर शारदा, टाकिज के पीछे मोतीपारा, दुर्ग ।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया सदर बाजार दुर्ग ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिमंजला बिल्डिंग के प्रथम तल का लगभग 1/2 भाग, जो शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा में दुर्ग में स्थित है । प्लान नं० 193-एक्स ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
(निरीक्षी) सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

श्री १३७

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ऐ० सी०—अतः मुझे, विजय माथुर,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन प्रथम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्यावर सम्पत्ति जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन, 28-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)  
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तथा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
हाथिएव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी अन्न या अन्य प्राप्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित परिणाम अर्थात्:--

(1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्द्रक्टर शारदा  
टाकजि के पीछे मोतीपारा दुर्ग ।

(अन्तरक)

(2) श्री भासकरण पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया सदर बाजार ;  
दुर्ग ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख  
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधीक्षताकारी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिया  
गया है ।

अनुसूची

तिमजला बिल्डिंग के प्रथम तल का व लगभग 1/2 भाग  
शारदा टाकजि के पीछे, मोतीपारा दुर्ग में स्थित है । प्लॉट नं०  
193 ए ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहर #

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 1981

निर्देश सं० आई० ए०सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 25-2-1981 को,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धने-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ध्वाडा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्द्रक्टर नि० शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया नि० सदर बाजार दुर्ग।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसाब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम न अथवा 20-न में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिमठजला बिल्डिंग के दूसरे तल का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा में स्थित है प्लॉट नं० 193 ए।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहं ड।



प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)---अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. का अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 25-2-1981

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण में हुई क्रिपे आय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

- (ख) एसी निरति आय या क्रिपे आय या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्स्ट्रक्टर नि० शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा, दुर्ग ।

(अन्तरक)

- (2) श्री सूरजमल पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया, सदर बाजार, दुर्ग ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिमंजला बिल्डिंग के दूसरे तल का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग में स्थित है । प्लान नं० 193 ए ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 22-9-1981

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981

निर्देश सं० आई० ऐ० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय  
माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269  
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 173 है, तथा जो जयप्रकाश वार्ड में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कटनी में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 11-2-1981

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायत्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या पिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रेमचन्द (2) हरीलाल वल्द बासामल लालवानी  
साकिन 91 पेडर रोड, बम्बई (3) निर्मल कुमार  
वल्द बासामल लालवानी 91 पेडर रोड, नबरंग  
बम्बई नं० 26 (4) नानकी बाई विधवा चन्द्रभान  
लालवानी बबली विजयकुमार, कन्हैयावलाल, मोहन-  
लाल, वीरेन्द्र कुमार नि० जीवन ज्योती को-ऑपरेटिव,  
सोसायटी काडबी, रोड, नागपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लोकूमल वल्द ईशरवास (2) मोहनलाल  
वल्द लोकूमल सिन्धी, नि० कैमोर त० मुडवारा ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

जयप्रकाश वार्ड कटनी में स्थित मकान नं० 173 ।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज भोपाल ।

दिनांक : 3-10-1981

मोहरः

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जुन—अतः मुझे, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो महंगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 19-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्र प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा क लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बाबूलाल रामचन्द्र अग्रवाल नि० 699 दाना-गली मऊ।

(अन्तरक)

(2) मै० कमल कुमार सूरज मल वडजात्या कर्ता—कमल कुमार सूरजमल वडजात्या 14 डायमण्ड कालोनी इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन्तर्ण के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अन्तर्ण के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 672, 673, 674 और 674-1/2 ग्राम महू गांव में स्थित।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 23-9-1981

मोहर :

प्ररूप आर्द्ध. टी. एन्. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आर्द्ध०ए०सी०—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है, तथा जो रतलाम में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 19-2-1981 को, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) 1. श्रीमती मुशीलाबाई पत्नी अमृतलाल श्रोवरसियर  
2. चम्पा लाल पुत्र नानालाल जैन  
नि० झकनावक रतलाम (अन्तरक)
- (2) 1. श्री जौहर अली 2. मजार अली 3. मुस्तफा  
4. यूसुफअली द्वारा हकीमुद्दीन पुत्र अब्बास  
भाई बोहरा चांदनी चौक रतलाम (अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करती हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाढ़ में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन व गैरेज सह नीमच रोड रतलाम में स्थिति है। क्षेत्रफल 6253.44 वर्ग फीट।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 29, सितम्बर, 1981.

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)  
की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—अतः मुझे;

विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो शाहपुर में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 10 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण ने हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा की 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

11—316GI/81

(1) 1. श्री गुलाब राव पिता वामन राव  
2. श्रीमती मनोरमा बाई पत्नी वामन राव देश मुख  
नि० शाहपुर बुरहानपुर

(अन्तरक)

(2) श्री हरीभाई पिता सोन जी निम्बोरकर नि० शाहपुर बुरहानपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—कुआं—बिजली की मोटर पम्प व खड़ी फसल सहित  
—क्षेत्रफल 6.88 एकड़ जो ग्राम शाहपुर त० बुरहानपुर में है।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 19 सितम्बर 1981।

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम; 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय  
माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्यावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो फोफनार में स्थित है  
(और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, बुरहानपुर में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के  
अधीन, 17 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है  
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से  
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया  
है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उसे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को,  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि-  
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,  
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,  
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री माधौ पुत्र गनपत चौधरी नि० बडसिगी, बुरहान-  
पुर

(अन्तरक)

(2) 1. श्री वामन पिता डोरा० 2. नारायण पिता वामन  
चौधरी नि० बडसिगी, बुरहानपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में  
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, पक्षीहस्तागरी  
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में  
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस  
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि-कुआं व बिजली की मोटर क्षेत्रफल 8.30 एकड़  
ग्राम फोफनार त० बुरहानपुर में स्थिति है।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 19 सितम्बर 1981

सिद्ध ३

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—अतः मुझे,

विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो संग्रामपुर में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसका दृश्यमान प्रतिफल में, ए०में दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) 1. श्रीमती तारकाबाई विधवा प्रभाकर, 2. रमेश, 3. अरुण पुत्रगण प्रभाकर ति० संग्रामपुर, बुरहानपुर (अन्तरक)

(2) 1. श्री सीताराम पिता गरवड़ महाजन  
2. तुकाराम पिता गरवड़ महाजन फोफनार त० बुरहानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थितीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि वृक्षों सहित—23.89 एकड़ जो ग्राम संग्रामपुर त० बुरहानपुर में है।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेन्ज, भोपाल

तारीख : 19 सितम्बर 1981  
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो ग्राम बड़सिगी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 13 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पञ्चह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिल्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मंकर पिता किसन महाजन सुरक गुराडा त० बुरहानपुर

(अन्तरक)

(2) 1. श्री सोनजी पिता डोरारुं चौधरी 2. श्रीराम 3. बलीराम पुत्र सोनजी 4. श्रीमती गीताबाई पत्नी सोनजी—नि० बड़सिगी, बुरहानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 20.25 एकड़ कुआं व वृक्षों के साथ ग्राम बड़सिगी त० बुरहानपुर।

विजय माथुर

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 19 सितम्बर 1981

साक्षर 13



## प्रकट आई० टी० एन० एच०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—अतः मुझे,  
विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार  
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो ओमार्गिद में स्थित है  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
20 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल  
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक  
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)  
की वजह से अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किमी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री रामचन्द्र पिता नीलमन नि० आलमगंज ।  
गनपत पिता नीलमन, नि० आलमगंज ।  
शंकर पिता नीलमन, नि० आलमगंज  
बुरहानपुर

(अन्तरक)

2. अंसार हाजसिंग सोसाइटी, बुरहानपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो  
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में  
परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस  
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 0.75+0.75+0.75=2.25 एकड़ जो  
ओमार्गिद, बुरहानपुर में स्थित है।

विजय माथुर  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 19-9-1981  
मोहर :

प्रारूप आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

कार्यालय, दिनांक 24 सितम्बर 1981।

निर्देश सं० आई० ए० सी०-अर्जन/भोपाल-- अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थान पर उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 110 है, तथा जो प्रकाशनगर में स्थित है (और इससे उपावह अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 23 फरवरी 1981 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरीत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण नियम में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्रीमती कलावती पत्नी देवेन्द्र कुमार 11 प्रकाश नगर इन्दौर

(अन्तरक)

2. श्री फकीर चन्द भोज राज अग्रवाल, 63-आर०एन० टी० मार्ग--इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संकेत न० 110 प्रकाश नगर इन्दौर।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 24 सितम्बर 1981।

मोहर ॥

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

कार्यालय, दिनांक 23 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई०ए०सी०—अतः मुझे विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो महुगाव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 20 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत-उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुरूप में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल नि० 699  
दाना गली मऊ।

(अन्तरक)

2. श्री कमलकुमार सुरजमल बड़जात्या कर्ता—कमल  
कुमार सुरज मल बड़जात्या 14 डाइमन्ड कालोनी  
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 3.228 हेक्टर ग्राम महु गांव दो कुआ व पेड़।

विजय माथुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेन्ज, भोपाल

दिनांक : 23 सितम्बर 1981।

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1981।

निर्देश सं० आई०ए०सी०-अर्जन भोपाल—अतः मुझे,  
विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रतलाम में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 25 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्वये  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथा

1. श्री सज्जाद हुसैन पिता सरफ़अली बोहरा।
2. योगेन्द्र कुमार पिता मोती लाल पोखवाल।
3. मुकेश कुमार अशोक कुमार न्यूबैंक कालौनी रतलाम।

(अन्तरक)

मोडैला स्टील्स एंड अलायज लि० रतलाम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेष:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 2.150 हेक्टर जो रतलाम में स्थित है।

विजय माथुर  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख: 21-9-1981

मोहुर

प्रकृष भाई. टी. एन्. एस.-----  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
 धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, रोहतक

रोहतक, तिथि, 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० सोनीपत 1/81-82—प्रतः मुझे,

गो० सी० गोपाल

इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि, 21 कनाल 9 मरले इमारत सहित है तथा जो जेटेली (सोनीपत) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ना प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

12—310GI/81

1. मै० राय इन्जीनियरिंग कं०, राय, बजरिये श्री दलीप सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, नि० राय।

(अन्तरक)

2. मै० सनगरो सीड्स प्रा० लि०। सी-33, नई सञ्जी मन्डी, आजादपुर, दिल्ली-110033।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि इमारत के साथ गांव जठेरी, जि० सोनीपत में स्थित है जिसका अधिक-विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय सोनीपत में, रजिस्ट्री संख्या 7 दिनांक 1 अप्रैल, 1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जुन रेंज, रोहतक

दिनांक : 12 अक्टूबर, 1981।

हस्ताक्षर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० अम्बाला-145-8081-अतः मुझे गो०सि० गोपाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक मजिली इमारत भूमि के साथ (4.07 एकड़ क्षेत्र) है तथा जो अम्बाला छावनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी 1981 में

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा :—

1. श्रीमती शनो देवी शर्मा पत्नी श्री पद्मा राम नि० सुजानगढ़ जि० बुरू (राजस्थान) (अन्तरक)

2. श्री रिसाब मित्तल पुत्र श्री दीपक मित्तल  
2. श्री अभिषेक मित्तल पुत्र श्री दीपक मित्तल नि० मकान नं० 234, बी०सी०, बाजार, अम्बाला कैन्ट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति एक मजिली इमारत भूमि के साथ (क्षे० 4.07 एकड़) अम्बाला कैन्ट में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 5185 दिनांक 24 फरवरी 1981 पर दिया है।

गो०सि० गोपाल,

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक 12-10-81

सिद्ध

प्ररूप आर्.टी.एम्.एस. -----

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक दिनांक 12 अक्टूबर, 1981

निर्देश सं० डबवाली/19/80/81—अतः मुझे गो०सि० गोपाल  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से  
अधिक है

और जिसकी सं० दुकान न० 24, नई अनाज-  
मन्डी है तथा जो डबवाली में स्थित है (और इससे उपा-  
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय, डबवाली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम  
1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ६—

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री हरदास राय
2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री हरदास राय
3. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री हरदास राय नि० मन्डी  
डबवाली (अन्तरक)
1. श्री प्यारे लाल पुत्र श्री काँडा राम
2. श्री राज कुमार पुत्र श्री उत्तम चन्द  
दुकान न० 24, नई अनाज मन्डी, डबवाली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

संपत्ति दुकान न० 24 नई अनाज मन्डी, डबवाली में  
स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय  
डबवाली में रजिस्ट्री सं० 3146 दिनांक 24 फरवरी 1981  
पर दिया है।

गो०सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 12 अक्टूबर, 1981

मोहर :

प्ररूप आह. टी. एन्. एस. -----

आयुकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० बल्लभगढ़-410/80-8-अतः मुझे गो०सि०गोपाल

आयुक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० औद्योगिक प्लॉट सं० 14,  
सेक्टर 6, फैक्टरी बिल्डिंग एवम् भूमि है तथा जो फरीदा-  
बाद (क्षेत्र 12, 18 ब०ग०) में स्थित है (और इससे  
उपामुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
मार्च 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
अधिक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनुकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. म० मिमेक इंडिया प्रा० लि०, 5-2, रूसल स्ट्रीट,  
कता ।

(अन्तरक)

2. म० खैतान इलेक्ट्रीकल्स लि०, 46-सी, जवाहर  
लाल नेहरू मार्ग, कलकता ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया  
है ।

### अनुसूची

सम्पत्ति घुमंजिली वस्तर की बिल्डिंग एवम्, फैक्टरी  
शेड भूमि सहित (क्षेत्र—12,183 ब०ग०) सेक्टर नं० 6,  
फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता  
के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्री संख्या 13256, दिनांक  
31 मार्च, 1981 पर दिया है ।

गो०सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 12 अक्टूबर 1981  
मोहर:



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निवेश सं० देहली/54/80-81—अन: मुझे गो०सि० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 69-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

जिसकी सं० भूमि 2 कनाल 18 मरले है तथा जो गांव पल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकर) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कांभित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अमूर्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अधीन:--

1. श्री मोहनलाल पुत्र फकीरानि० पल्ला, तं० बरलभ-गढ़।

(अन्तरक)

2. मै० ग्रेटर देहली प्लानरस (प्रा०) लि०, प्लैट नं०, 3, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 2 कनाल 18 मरले गांव पल्ला में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री संख्या 78 दिनांक 13 फरवरी 1981 पर दिया है।

गो०सि० गोपाल,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख, 12 अक्टूबर, 1981।

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) की अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० रोहतक-53/80-81—अतः मुझे गो०सि० गोपाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ की अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयस करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 595, 596, वार्ड नं० 17, रेलवे रोड, है तथा जो रोहतक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, रोहतक में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसका दृश्यमान प्रतिफल से, एम्में दृश्यमान प्रतिफल का पुन्ः प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में शास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों पर, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. श्री अनिल कुमार जैन, एडवोकेट पुत्र श्री रामेश्वर दयाल जैन, एडवोकेट, मं० नं० 60013, डी० एल०एफ० कालोनी, रोहतक।

(अन्तरक)

2. श्री प्रीतम चन्द नारंग पुत्र श्री आत्माराम पुत्र श्री नानक चन्द नि०, मकान नं० 141/3 मौहल्ला मुगलामा, रोहतक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दृष्टबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 595, 596 वार्ड नं० 17, रेलवे रोड, रोहतक पर स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रोहतक में, रजिस्ट्री संख्या 4819 दिनांक 6 फरवरी 1981 पर दिया है।

गो०सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) में अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

तारीख : 12 अक्टूबर 1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० करनाल/185/80-81:—अतः मुझे, गो० सि०  
गोपाल,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
सके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन 130 कनाल 14 मरला है तथा जो ग्राम  
बरसत में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन, फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
एतद् प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती चन्द्रवती विधवा श्री कृष्णदास व किसन  
चन्द निवासी क्वाटर नं० 45-46, ब्लॉक नं० 4  
विजय नगर, नई दिल्ली मारफत श्री शंकर दास  
कटारिया।

(अन्तरक)

2. विरेन्द्र नाथ सुपुत्र श्री शंकर दास निवासी मकान  
नं० 36-37, गोल मार्केट, पानीपत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जमीन 130 कनाल 14 मरला जो कि ग्राम  
बरसत में स्थित है जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री नं० 5171  
दिनांक 13-2-1981 रजिस्ट्रीकर्ता, करनाल के कार्यालय  
में रिया हुआ है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख 12-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० जी० डी० आर० /90/80-81:—अतः मुझे,  
गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित  
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो तहसील जगाधरी में  
स्थित है (और इससे उपायद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप में  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगाधरी  
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित  
नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में लगी करने या उसमें बचने में सुविधा के  
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाता चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती निहालो विधवा श्री नीमना राम, सुपुत्र  
श्री कालू राम, जगाधरी  
(अन्तरक)
2. श्री हरपाल सिंह सुपुत्र श्री अफलातून सिंह निवासी  
ग्राम व डाक खाना सहजादपुर तह० जगाधरी।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की  
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में  
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से  
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है,  
वही प्रर्थ होगा, जो उन अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जो कि तहसील जगाधरी में स्थित है और  
जिसका पूरा विवरण रजिस्ट्री नं० 5743 दिनांक 3-2-1981  
रजिस्ट्रीकर्ता, जगाधरी के कार्यालय में दिया हुआ है।

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)  
अर्जन रंज, रोहतक

तारीख : 12-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

सं० देहली/56/80-81:—मतः मुझे, गो० सि० गोपाल,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा  
269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 33 कनाल 7 मरला है तथा जो ग्राम  
आलमपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और,  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
देहली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृहत्मान  
प्रतिफल के लिए अर्पित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके बृहत्मान प्रतिफल से, ऐसे बृहत्मान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से उचित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उधसे बचने में इच्छा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय धारक अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ के अनु-  
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा  
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

13—316GI/81

1. श्री अमर नाथ सुपुत्र श्री राधा राम निवासी 11/28  
पंजाबी बाग, नई दिल्ली, मारफत श्री मुन्शी राम।  
(अन्तरक)

2. श्री अनील नन्दा सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा, निवासी  
12 जोहर बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन  
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धारण:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

संपत्ति भूमि 33 कनाल 7 मरला जो कि ग्राम आलम  
पुर में स्थित है और जिसका विवरण रजिस्ट्रीकर्ता देहली  
के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 45 दिनांक 9-2-81 पर  
दिया है।

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, रोहतक

दिनांक : 12-10-81

सोहट :

प्ररूप आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

सं० देहली/57/81-82:—यतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन 30 कनाल 18 मरला है तथा जो ग्राम आलमपुर तह० बल्लभगढ़ में स्थित है (और इससे उराबड़ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से है कि किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री विशम्बर लाल सुपुत्र श्री राधा राम नि० 11/28  
पंजाबी बाग, नई दिल्ली, मार्फत  
श्री मुन्शी राम।

(अन्तरक)

2. श्री अनील नन्दा सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा निवासी.  
जोहर बाग, देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 30 कनाल 18 मरला ग्राम आलमपुर में स्थित है जिसका विवरण रजिस्ट्रीकर्ता देहली के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 46 दिनांक 9-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 12-10-81

मोहर:

प्रकृष आर्इ० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निदेश सं० देहली 58/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वाभर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूप से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 26 कनाल 3 मरला है तथा जो ग्राम भालमपुर तहसील बल्लभगढ़ में स्थित है (और इससे उपाय्य भू-सूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिब्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधाडा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री मुन्शी राम सुपुत्र श्री राधाराम नि० 2/6 बी०, अंगपुरा नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अनील नन्दा, सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा निवास जोहर बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वाभर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 26 कनाल 3 मरला जो ग्राम भालमपुर तहसील बल्लभगढ़ में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता, देहली के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 35 दिनांक 6-2-1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
मर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 12-10-1981  
मोहर :

प्ररूप आइ. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 12 अक्तूबर 1981

सं० देहली/45/81-82:—प्रतः मुझे गो० सि० गोपाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 26 कनाल 3 मरला है तथा जो ग्राम भालमपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकोषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन विम्बित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री मुन्शी राम सुपुत्र श्री राधा राम निवासी 2/6 बी०, जंगपुरा, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अनील नन्दा सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा, निवासी 12 जोर बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि नाम में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 26 कनाल 3 मरला ग्राम भालमपुर में स्थित है जिसका विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 474 दिनांक 8-6-1981 पर दिया है

गो० सि० गोपाल;

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख: 12-10-81

माहुर :



प्ररूप आर्ह. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं० गुड़गावा /136/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्टरी बिल्डिंग प्लॉट नं० 72 पर, औद्योगिक क्षेत्र, महारौली रोड है तथा जो गुड़गावा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री रविन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री विधान सरूप गोयल मार्फत पटवारी जी की बुकान, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० डेम आटो इंजिनियरिंग वर्क्स, प्लॉट नं० 72, इण्डस्ट्रियल एरिया, महारौली रोड, गुड़गावा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संपत्ति फैक्टरी बिल्डिंग प्लॉट नं० 72, औद्योगिक क्षेत्र, महारौली रोड, गुड़गावा पर स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्री संख्या 5145 दिनांक 24-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 19-10-81

माहूर :

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.—  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं० गुड़गावां/196/80-81:—प्रतः मुझे गो० सि०  
गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन  
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर  
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं० मकान नं० 79 एल०, न्यू कालोनी, है  
तथा जो गुड़गावां में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची  
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय, गुड़गावां में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम  
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अक्षरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित  
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अक्षरक (अक्षरकों) और अक्षरिती  
(अक्षरितियों) के बीच ऐसे अक्षरक के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अक्षरक लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अक्षरक से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अक्षरक के वायिख  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के  
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को,  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि-  
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अक्षरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया  
जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ के अनुसरण में,  
में उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन  
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री गोपाल बिहारी लाल पुत्र श्री रंग बिहारी लाल  
श्री धनश्याम दास, म० नं० 72 एल०, न्यू कालोनी,  
गुड़गावां।

(अक्षरक)

2. श्रीमती राम कली देवी पत्नी श्री धनश्याम दास,  
म० नं० 79-एल०, न्यू कालोनी, गुड़गावां।

(अक्षरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी  
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया  
है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 79 एल०, न्यू कालोनी, गुड़गावां  
में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय,  
गुड़गावां में रजिस्ट्रीकरण संख्या 5374, दिनांक 16-3-81  
पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख 19-10-81  
मोहर :

प्ररूप आहूँ.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

जंन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं० अम्बाला/141/80-81:—अत मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकानों सहित एक दुमंजिली दुकान, है तथा जो अम्बाला शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा:--

(1.) सर्वश्री

1. डा० सेवक प्रसाद पुत्र सीता राम
2. सुशील चन्द गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद
3. सतेन्द्रवीर गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद।
4. देव अमृत गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद  
निवासीयान 15 एल० एफ०, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री जगमन्दिर दास जैन पुत्र श्री चेतन लाल जैन  
नि० 670, राधा कृष्ण बाजार, अम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमसूची

सम्पत्ति दुकानों सहित एक दुमंजिली दुकान, अम्बाला शहर में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अम्बाला में, रजिस्ट्री संख्या 4930, दिनांक 10-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख 19-10-81

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं० अम्बाला/148/80-81:—अतः मुझे, गो० सि०  
गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु.  
से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 4551, 4552, 4553, एवं 4554  
है तथा जो अम्बाला कैंट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध  
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-  
कारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1981  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री राजेश्वर प्रसाद पुत्र हरीकिशन दास नि० बजाजा  
बाजार, अम्बाला कैंट।

(अन्तरक)

2. श्रीमती तारण कौर पत्नी श्री जगदीश सिंह मार्फत  
जगदीश दी हट्टी, केसरा बाजार, अम्बाला कैंट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अधिक  
बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान नं० 4551, 4552, 4553, एवं  
4554, अम्बाला छावनी में स्थित है जिसका अधिक विवरण  
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्री संख्या 5527  
दिनांक 13-3-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख: 19-10-81

मोहर :

प्रकृत आर्द्र, टी., एन. एस. -----

1. श्रीमती विद्या वन्ती पत्नी श्री लोक नाथ शर्मा  
नि० हिसार रोड, अम्बाला शहर।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. सरदार रतन सिंह पुत्र सरदार बसन्त सिंह 334,  
माडल टाउन, अम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981

क्यों यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

सं० अम्बाला/147/80-81:—अतः मुझे, गो० सि०  
गोपाल,

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

और जिसकी सं० 334 है तथा जो माडल टाउन, अम्बाला  
शहर में स्थित है (और इससे उपायबद्ध अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
अम्बाला में, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:--

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उममें बचने में सूचिधा  
के लिए; और/या

सम्पत्ति मकान नं० 334 माडल टाउन, अम्बाला में  
स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय  
अम्बाला में, रजिस्ट्री संख्या 5130, दिनांक 23-2-81 पर  
दिया है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सूचिधा के लिए;

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

तारीख: 19-10-81

मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) की अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

निदेश सं० अम्बाला/18/81-82:—प्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आयकर अधिनियम, 1981 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सख्त प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 334 है तथा जो डल माँडल टाउन, अम्बाला में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उनमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री लोकनाथ शर्मा नि० अम्बाला शहर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती चांद रानी पत्नी रतन सिंह मकान नं० 334, माँडल टाउन, अम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 334, माँडल टाउन, अम्बाला शहर में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अम्बाला में, रजिस्ट्री संख्या 1415, दिनांक 15-6-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सख्त प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 19-10-81  
रोहतक

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

निदेश सं० बल्लभगढ़/270/80-81:—अतः मुझे, गो०  
सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु० से अधिक है,

और जियकी सं० रिहायसी मकान नं० 5 पी/37-सी० है  
तथा जो टाउनशिप, फरीदाबाद में स्थित है (और इससे  
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख  
फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती मार्गरेट दास पत्नी श्री ए० एल० दास;  
एवम हूमन दास पुत्र श्री होनक यु०, नि० 5-एच०—  
55, न्यू टाउन, फरीदाबाद।

(अन्तरक)

1. श्रीश्रीम प्रकाश भाटिया पुत्र श्री चुनी लाल  
2. श्रीमती राज कुमार पत्नी श्री श्रीम प्रकाश भाटिया  
नि० म० नं० 5 पी/37-सी०, टाउनशिप, फरीदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो  
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में  
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति रिहायसी मकान नं० 5 पी/37-सी०, टाउनशिप  
फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता  
के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्री संख्या 10889, दिनांक  
फरवरी 1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 19-10-81

माहुर:

**प्रकृत आई० टी० एन० एस०**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981

निदेश सं० पानीपत/104/80-81,—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 482 एल० का 2/3 हिस्सा है तथा जो मांडल टाउन, पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-2-1981 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय. की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः

1. श्रीमती आशु मखीजा पत्नी श्री भीम सेन नि० 5-सी०/94, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

2. 1. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री राम लाल।  
2. श्रीमती शान्ता कुमारी पत्नी सुभाष चन्द्र नि० जे०-5/121, लाजपत नगर, दिल्ली।  
3. श्रीमती सन्तोष भाटिया पत्नी श्री प्रेम कुमार नि० 48, मांडल टाउन, पानीपत।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदोंका, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं; नहीं बर्ने होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 482 एल० का 2/3 हिस्सा है जो मांडल टाउन पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 5/39 दिनांक 20-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 19-10-81

मोहर :



प्ररूप आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 21 अक्टूबर 1981

निदेश सं० गुड़गावा/145/80-81—अतः, मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 258, सेक्टर 4 है तथा जो गुड़गावा में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. सर्वश्री सुरेश कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, शिव कुमार, सुनील कुमार पुत्रान श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता नि० डब्ल्यू० जेड-172, पालम कालोनी, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. 1. सर्वश्री सुरेश चन्द, हरीश गुप्ता पुत्रान श्री बलराज गुप्ता  
2. श्री पवन कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द।  
3. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री राम रतन, नि० 258/4, अर्जन एस्टेट, गुड़गावा।

(अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुत्पत्ति

सम्पत्ति मकान नं० 258, सेक्टर 4 अर्जन एस्टेट, गुड़गावा में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्री संख्या 5290, दिनांक 10-3-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 21-10-81  
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 अक्तूबर 1981

सं० बराडा/4/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
र० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 132, वार्ड नं० 18 है तथा  
जो जीन्द में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
बराडा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच के अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) का उक्त अधिनियम या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बन्सी लाल पुत्र श्री दीवान चन्द पंजाबी बाजार,  
जीन्द।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री मेहर चन्द दुकान नं० 132,  
वार्ड नं० 18, केशियान मौहल्ला, जीन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त  
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

संपत्ति दुकान नं० 132, वार्ड नं० 18, पंजाबी बाजार,  
केशियान मौहल्ला, जीन्द में स्थित है जिसका अधिक विवरण  
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बराडा में, रजिस्ट्री संख्या 4194,  
दिनांक 17-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 20-10-81  
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर 1981

सं० बल्लभगढ़, /284/80-81:--अत मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 38, ब्लॉक-I, है तथा जो औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाखण्ड शगुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लभगढ़, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पञ्चम प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री गुलशन राय खुराना पुत्र श्री जी० एल० खुराना श्री रमेश सूरी पुत्र श्री एल० सी० सूरी, दिल्ली।  
(अन्तरक)

2. मै० गुप्ता कन्सट्रक्शन कम्पनी, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

ये वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपे:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संपत्ति प्लॉट नं० 38, ब्लॉक-I, क्षेत्रफल 650 ब० ग० औद्योगिक क्षेत्र नं० 1, मेवला महाराजपुर फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण 11450 दिनांक 20-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षीय)  
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 19-10-1981

मोहर :

अख्य आर्इ० टी० एन० एस०-----  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981

सं० ताबडू/3/80-81.--अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
 है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
 रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 61 कनाल 11 मरले है तथा जो  
 ताबडू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण  
 रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
 ताबडू में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
 मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक)  
 और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
 उय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
 विधि में उल्लिखित रूप से किया गया होगा :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
 अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
 अन्तर्गत में क्या कर या उसमें कटने में सुविधा  
 के लिए; और/या

(ख) ऐसी कितने या कितने या प्रत्येक प्राप्ति, या,  
 कि, जिन्हें भारत में आय-कर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 अन्य-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के अन्तर्गत अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
 सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
 में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. श्री खुशी राम--नारायण दास पुत्र श्री तुला राम  
 नि० जोरासी (ताबडू)।  
 (अन्तरक)
2. कु० अनीशा राजगारिया पुत्र श्री गोपाल राजगारिया  
 नि० 9, महारानी बाग, नई दिल्ली।  
 (अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
 लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
 अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताधरी के पास  
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
 अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं,  
 वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 61 कनाल 11 मरले खोरी कला में  
 स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय  
 ताबडू में रजिस्ट्री संख्या 689 दिनांक 11-2-81 पर दिया  
 है।

गो० सि० गोपाल  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 19-10-1981  
 मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

1. श्री मुहम्मद अहमद एण्ड अदर्स।

(अन्तरक)

2. श्रीमती निर्मला देवी जईन एण्ड अदर्स।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 22 सितम्बर 1981

सं० हि० आर 573/80-81/एस० एन० 589—मुझे, आई०

वी० एस० जुनेजा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 4 है तथा जो चांदनी चक, कल० में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कल० में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पक्ष प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

15—316G1/81

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

4 चांदनी चक, कल, अवस्थित, 11 कट्टा, 9 छटाक 12 वर्ग फीट, जमीन जो डीड नं० I-1161, अनुसार 18-2-81 तारीख में रजिस्ट्रार आफ एयसुरन्स कलकत्ता का पत्र में रजिस्टर्ड हुआ।

आई० वी० एस० जुनेजा,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कलकत्ता।

तारीख : 22-9-1981

मोहर :

## प्रकृत धार्ई० डी० एन० एस०—

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 25 सितम्बर 1981.

सं० ए० सी०/रेंज-IV/कल/19:—यतः मुझे धार्ई० बी० ए० जुनेजा, धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सञ्चन प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 1 है तथा जो करिम बक्स मेन कलकत्ता स्थित है। और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्णरूप से वर्णित है। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-2-81।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की वादत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायिष्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी धाय या किसी धन या अन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरिन्दरा नाथ दस। (अन्तरक)
2. खलिल अहमद एण्ड आदर्स। (अन्तरिती)
3. (1) मुहम्मद सकिरीया एण्ड आदर्स। (वह व्यक्ति, जिसके अधिमोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कस्ता हूँ।

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धमोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

1 नं० करिम बक्स मेन कलकत्ता में, अवस्थित, 4 कट्टा 9 छटाक, 21 वर्ग फुट जमीन पर एक तल्ला मकान जो 25-2-81 तारीख में डीड नं० I-1377 अनुसार रजिस्ट्रार आफ एसुरेंसेस दफतर में रजिस्टर हुआ।

धार्ई० बी० ए० जुनेजा,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक धायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 26-9-1981  
मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०—  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
 269-घ (1) के अधीन सूचना  
 भारत सरकार  
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जन रेंज-3, बम्बई।

बम्बई, दिनांक 14 अक्टूबर, 1981

सं ए० आर०-III/1963/5/81-82—धतः  
 मुझे सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
 कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो सी० टी० एस० नम्बर  
 60 (1 से 4) एस न० 12, हिस्सा न० 2 (पी० टी०)  
 सी० टी० एस० नं० 61 (1 से 3) एस० नं० 13 (पी०  
 टी०) अण्डमैरिंग 398.94 स्क्वेयर यार्ड्स सिन्धुएट अंटे  
 गोरेगांवकर वीडी निअर गोरेगांवकर, विहलेज, एस० वी०  
 रोड, अन्धेरी (पश्चिम) में स्थित है और इससे उपावद्ध  
 अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-  
 कारी के कार्यालय, बम्बई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
 मूल्य, उसके अद्यतन प्रतिफल से, ऐसे अद्यतन प्रतिफल का  
 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
 (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
 फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
 रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण तो है कि किसी एक की काल उक्त अधि-  
 नियम की अधीन कर देने के अन्तरक के बावजूद में  
 करी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
 और/या

(ख) एसी किसी एक या किसी भू-या अन्य अस्ति-  
 का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
 सुविधा के लिए;

1. श्री बसन्त कृष्ण राव गोरेगांवकर  
(अन्तरक)
2. श्री विष्णु बाबू राव देसाई।  
(अन्तरिती)
3. श्री विष्णु बाबू राव देसाई।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-  
 वाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद  
 में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
 से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-  
 बंद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
 पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
 अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
 हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
 गया है।

अनुसूची

अनुसूचित जैसा कि, विदेख सख्या एस० 2736/80।  
 बम्बई, उपरजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 21-2-1981 को रजिस्टर्ड  
 किया गया है।

सुधाकर वर्मा,  
 सक्षम प्राधिकारी,  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
 अर्जन रेंज, बम्बई।

धतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण  
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के  
 अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधि-  
 कारितां:--

तारीख : 14-10-1981  
 मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सचन

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अक्टूबर, 1981

सं० ए० आर०-1/4532-1/81-82:—अतः मुझे,  
सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है', की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1441/66 (बांम) न्यू  
एस० नम्बर 2 ए० /7014 (पी० टी०) एण्ड सी० एस०  
नम्बर 1/665 (पी० टी०) आफ मलवार हिल और कंवाला  
हिल डिविजन, बम्बई-400007 में स्थित है (और इससे  
उपान्वृत्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्री-  
कर्ता के कार्यालय अल्टामाउट रोड में, रजिस्ट्रीकरण अधि-  
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख  
6-2-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जी० एम० सोलंकी।

(अन्तरक)

2. दि अलटग्यु को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड  
(अन्तरिती)

3. (1) श्री एस० बी० डोले,
- (2) श्रीमती आई० बी० वकील
- (3) श्री डी० पी० गांधी
- (4) श्रीमती के० बी० पारीख
- (5) श्रीमती एस० एन० अम्बानी
- (6) श्रीमती सी० एन० पटेल
- (7) श्री जी० पी० गांधी
- (8) श्री वाई० जी० वेनकर
- (9) श्री एन० एल. डागा
- (10) श्री जे० डी० सोलंकी
- (11) श्री डुंगरशी मुरजी
- (12) श्री विशानजी मुरजी
- (13) श्री प्रेमजी शिवजी।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या 1441/66 (बांम),  
बम्बई उप रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 6-2-1981 को रजिस्टर्ड  
किया गया है।

सुधाकर वर्मा,  
सक्षम प्राधिकारी;  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, बम्बई।

तारीख: 14-10-1981

मोहर:



प्ररूप आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० ए० आर०-आई०/4542-11/81/82---

अतः मझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. में अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नम्बर 556 है तथा जो मलवार और कंबाला हिल रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध भूतमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय बम्बई, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26 फरवरी 1981 (डाकूमेंट नं० वॉम/652/80)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरज्यों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें वचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

मोहर ३

- (1) श्री छोटा भाई शंकर भाई पटेल और अन्य  
(अन्तरक)
- (2) ओगस्ट क्रांती प्रिमायसेस को-ऑप० ही सो०  
लिमिटेड  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि, विलेख संख्या बम्बई/652/80, बम्बई उप-रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 26/2/1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, बम्बई

दिनांक : 14-2-1981

मोहर :

प्रकृप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , बम्बई

बम्बई, दिनांक 15 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० आई० 2/3147/फेब81—अतः मझे संतोष  
रहता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 383 एस० एस० नं० 7, सी०  
टी० एस० ई०/293 है तथा जो खार घाण्डा में स्थित है  
(और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
तारीख 21-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरिक्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी  
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,  
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किय जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथात् :—

- (1) श्री बिहारीलाल दौलतराम छात्रिया  
श्री किशनलाल दालतरा छात्रिया  
श्री अर्जुनलाल दौलतराम छात्रिया  
खार द्वारका को-अप हाउस सी० लिमिटेड  
(अन्तरक)
- (3) श्री द्वारकादास बी० वाच्छा  
श्री मूलचन्द जी० छात्रिया  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शक्यता—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद  
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में  
से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

शुद्धीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या एस० 441/78 बम्बई  
उपरजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 21-2-1981 को रजिस्टर्ड किया  
गया है।

संतोष इत्ता  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, बम्बई

तारीख 15-10-1981

मोहर :

**प्राकृत धार्. टी. एन. एस.—**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० एफ० नं० पी० आर० नं० 1419 अर्जन रेंज 23-I/81-82—अतः मझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 349 चौकी है। या जो पटवान और सुरेन्द्र नगर में स्थित हैं हैं (और इससे उपायसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटवान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धन प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुरेन्द्र नगर प्रोजेक्शन सोसायटी सुरेन्द्रनगर (अन्तरक)

(2) मे० महावीर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से भागीवार श्री परमार इन्द्रसिंहजी धीरुमा इन बजार, सुरेन्द्रनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तदनुवन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खुली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 25.5 है। सर्वे नं० 349 चौकी न्य असे० टी० बस स्टेन्ड, पटवान रोड, सुरेन्द्रनगर में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन पटवान रजिस्ट्रीकर्ता विफ्रीकृत नं० 225/23-3-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I,  
अहमदाबाद

तारीख 5-10-1981

साहूर :

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

## 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० एफ० नं० पी० आर० नं० 1420 अर्जन रेंज 23-1/81-82—यतः मुझे जी० सी० गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इनमें इनके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति विपत्ता उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० नं० 189 ए०-2-2 नं० 2 पैकी टी० पी० ए० 14 है तथा जो एफ जी० नं० 232, ए० पी० नं० 2 बरीयापुर काजीपुर में स्थित है। है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उत्तम बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धार्यातु :-

(1) दूस्टी:—लेट मर हस्तम जहांगीरजी वकील, रावश्री फिरोज करामगज फेफाबाद प्रेलिसब्रीज नौ गार्ड के नजदीक, (भारत निवास) अहमदाबाद श्री नरीमान जहांगीरजी कामा और अन्य गुलमार्ग, शाहीबाग, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) 1 श्री भीका भाई के० पटेल, पुनीत आफ, शाहीबाग, गचनमन्ट गोडडिन रोड, अहमदाबाद  
2 कान्तीभाई खोडीदास पटेल, खोदीदास की चाल्ड, असाखा, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

संपत्तीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन और मकान जो दरियापुर काजीपुर, टी. तालुका में स्थित है। जिसका सर्वे नं० 189 ए०-2-2 हिस्सा नं० 2 पैकी टी० पी० ए० 14 एफ पी० नं० 232 ए० पी० नं० 2 पैकी 8829 वर्ग गार्ड, तथा जिसका पूर्ण वर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता बित्री खत नं० 497/2-2-81 में, दिया गया है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 7-10-1981

माहुर :

प्रकथन नं० डी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1421 अर्जन रेंज  
23-I/81-82—प्रतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)- (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित  
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं० प्लॉट नं० 20 सेक्टर 9 है तथा जो  
गांधीधाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
अंजार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधीन 4-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह  
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का  
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे  
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तविक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री करणदास दयालजी कोठारी, बीड बाजार,  
भुज

(अन्तरक)

(2) श्री कुमार गोपालजी शाह श्री भानु कान्त लालजी  
ठाकर, प्रिन्स होटल, भुज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पस लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 20, सेक्टर 9 गांधीधाम में स्थित है जिसका  
पूर्ण वर्णन अंजार रजिस्ट्रीकर्ता विक्री खत नं० 205 दिनांक  
4-2-1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-10-81

मोहर

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निवेश सं० पी० आर० नं० 1422 अर्जन रेंज 23-I/-

81-82—अतः मुझे, जे०सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० टी०पी०एम० 19, एफ० पी० नं० 203, पैकी० एस० पी० नं० 4 है। तथा जो वर्ग याई 959, शेखपुर, खानपुर तालुका सं० टी० अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-2-1981

को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रावजीभाई शंकरभाई पटेल, खाडीया, खाडीयाभी पोल अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) जगदीश एपार्टमेंट अोनर्स एसोसियेशन की ओर से प्रमुख :—श्री अशोकभाई चामनलाल शाह, 7, हरिकृष्णा सोसायटी वासना बराज रोड, वासना, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो शेखपुर-खानपुर, तालुका सिटी में स्थित है, जिसका टी० पी० एस० 19, एफ० पी० 203, पैकी एस० पी० नं० 4, जिसका कुल क्षेत्रफल 959 वर्ग याई है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता धिक्की खत नं० 15874 दिनांक 2-3-1981 में दिया गया है।

जे० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 12-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन्.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर, 1981

निवेश सं० पी० आर० नं० 1423 अर्जन रेंज 23-I/  
81-82—अतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 201, 202 है तथा जो साहिजपुर, गोपालपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-2-1981,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री नानालाल मोतीलाल पटेल, 24, कीरतीकुंज को-  
ऑप० हाउ० सोसायटी, दाना-ल.म.म. अहमदाबाद ।  
(अन्तरक)

(2) श्री इकबाल अब्दुल रहमान सुरती जमासपुर, मोटा-  
बंवा, अहमदाबाद ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो साहिजपुर-गोपालपुर में स्थित है जिसका सर्वे नं० 201 और 202 है जिसका कुल क्षेत्रफल ए०-2-04 और ए० 11-22+0-12 है तथा जिसका पूर्ण वर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 851 दिनांक 3-2-1981 में दिया गया है ।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद ।

दिनांक : 12-10-1981  
मोहर

प्ररूप आहूँ. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1424 अर्जन रेंज 23-I/81-82—अतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

अहमदाबाद अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके अतिरिक्त 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कर्तव्य है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० पी० नं० 100 पैकी ए० पी० नं० 26 का० टी० पी० एम० है। तथा जो नं० 4, राजपुर-हिरपुर सिटी तालुका, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम 3-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के अतिरिक्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्रीमती समरथ अंबालाल मूलचन्द पटेल की पत्नि 2733, लांबापाडानी पोल, रायपुर, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) तिरुपती ऐपार्टमेण्ट अोनर्स एसोसियेशन, चैयरमेन, श्री प्रशांत चंद्रकांत शाह 9, शिवबाग कोलोनी, भैरवनाथ रोड, अहमदाबाद।

सेक्रेटरी : नयनाबेन रमेशभाई पटेल, 11-ए, बाडनगर, पाटीदार सोसायटी अहमदाबाद-8।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभूतस्वामी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन और मकान जो रायपुर-हिरपुर, सिटी तालुका, मनीनगर में स्थित है, जिसका टी० पी० ए० नं० 4, एफ० पी० नं० 100 पैकी, ए० पी० नं० 26 है जिसका कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग-गार्ड है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता बिस्कीखत नं० 830 दिनांक 3-2-1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 12-10-1981

मोहर

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1425 अर्जन रेंज 23-I/81-82

—प्रतः मुझे, जं० स० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० सर्वे नं० 26 पैका, ऐम० पी० नं० 11 पैका, पूर्वाय है तथा जो प्रस्ताव ऐफ० पी० नं० 59, पैका वाडाज मिटा तालुका अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अघ.न 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमता लीलावती शान्तानाल शाह शक्ति, पार्क, नजदीक देरासरफे नारणपुर, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) महावीर घा. भण्डार दिल्ली, दरवाजा के बाहर 28, अडवानो मार्केट, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन और मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग यार्ड है तथा जो वाडाज, मिटा तालुका अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 26 पैकी, ऐम० पी० नं० 11 पैका; पूर्वाय दिशा की मलकियत और ऐफ० पी० नं० 59, पैका पूर्वाय दिशा की मलकियत तथा जिसका पूर्ण वर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्रकर्ता बिक्र.खत नं० 1532 दिनांक 5-2-1981 में दिया गया है।

जं० सा० गर्ग

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक . 12-10-981

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1426 अर्जन रेंज 23-I/81-82

—अतः मुझे, जो० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 6/1, 7/1, 14 पैकी प्लॉट नं० 1, ए-2 है तथा जो हाथी कालोनी जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अध्याय 9-2-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री भानुशाली हीरालाल गोकुलदास 49, विजयीजय प्लॉट, जामनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दिवालीबेन दिनेशचन्द्र जोषी (2) अरुण-कुमार दिनेशचन्द्र जोषी, जमानगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो जामनगर में स्थित है, जिसका रेवेन्यू सर्वे नं० 6/1, 7/1, 14 पैकी प्लॉट नं० 1, ए-2 है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता जामनगर बिक्री खत नं० 445 दिनांक 9-2-81 में दिया गया है।

जो० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद।

दिनांक : 12-10-1981

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर 1981

निर्देश सं० एफ० पी० आर० नं० 1427 अर्जन

रेंज 23-I/81-82—अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 44 मीडिचुर सीटी तालुका है तथा जो ग्रहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री चंपकलाल छवीलराय इनामदार कर्ता मुख्तार श्री जीनेन्द्रकुमार गोरधनदास पटेल और अन्य, ग्रहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) 1 श्री विष्णु श्रोतांमोवाइल के भागीदार  
2 श्री हेमेश्वरकुमार गोरधनदास पटेल  
3 श्री जीनेन्द्र कुमार गोरधनदास पटेल (जीनेन्द्र नीवास), पुराना मनीनजर पुलिस चौकी के समाने, ग्रहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

जमीन और मकान जिसका सर्वे नं० 44 पैकी कुल क्षेत्रफल 3800 वर्ग यार्ड है, तथा जो भीदीपेर, सीटी तालुका में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन ग्रहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता विक्रीखत नं० 1540 दिनांक 5-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद।

तारीख : 12-10-81

मोहर :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

प्ररूप आई. टी. एन. एन.-----  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
 धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार  
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० पि० आर० नं० 1205/काकची/23-81-  
 82—यतः सूझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख  
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
 है कि श्यावर मणानि, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
 रु० से अधिक है

और जिनकी सं० आर० एस० नं० 589 और 590 (भाग)  
 है। तथा जो प्लॉट नं० 3, कसानु बीनगर कोओ हौ सो,  
 साथाजी गानज बैराडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनु-  
 सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
 के कार्यालय, बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
 (1008 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
 का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
 उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
 पश्चह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
 अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए  
 तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
 लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
 अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
 में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
 और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों  
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
 सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण  
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती रोताबेन ब्रजलाल तक्राटी कसनु बीनगर,  
 साथाजीगनज। बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) श्री (1) गोविन्दलाल कनथालाल सावमी 1,

(2) रमनलाल सोमनाथ पानचाल 1, नवा बैजार 1,  
 बेरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
 कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो  
 भी अवधि जाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में  
 हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त  
 अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित  
 हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
 गया है।

अनुसूची

खुल्ला जमीन जो आर० एस० नं० 589 और 590 (भाग),  
 प्लॉट नं० 3, कसानु बीनगर कोओ-हौ सोसायटी, साथाजीगनज,  
 बेरोडा में स्थित है और और जो बिलेख नं० 4832 पर संपुडी  
 में स्थित है और जो विकखत नं० 4832 पर संपुर्ण वर्णित  
 पर बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में फेब्रवरी मासिक,  
 1981 में रजिस्ट्रीक गयी है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख 13-10-1981

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० नं० पि० आर० नं० 1206/साकची-23-II/81-81—अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 666 प्लॉट नं० 1 (भाग) है। तथा जो बेरोडा कामब. बेरोडा में स्थित (और और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्धत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अधिनियम विधि में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी राशि या अन्य प्राप्ति को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकृत नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, रिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

17—316GI/81

(1) श्रीमती नीतामेन दया भट्टि पटेल। बसानत', भानेहगनज, बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जयश्रीबेन नीनीशाचन्द्रा शाह मोसेदापन आयु), सनताक्रुसा, बेवे।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जागे करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए कार्यवाहिया करवाई हैं।

उक्त सम्पत्ति के प्रवर्तन के संबंध में हाई को आशयः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रधारा 20-घ में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

## अनुसूची

खुला जमीन जो बेरोडा कासबा, सवे नं० 666, प्लॉट नं० 1 (भाग) और जो बक्रिखत नं० 576 पर संपूर्ण वर्णित पर बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 20-2-1982 में रजिस्ट्री कि गयी है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 13-1-1981

दि हर :

प्ररूप आर्द. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० पि० आर० नं० 1207/एक्स/23-II/81-82—अतः मुझे जी० मी० गर्ग,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है); की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 666, प्लॉट नं० 1 (भाग) है। तथा जो बारोडा कामवा, बेरोडा में स्थित है (और इससे उपापद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्रीमती बीसाबेन दयाथाडे पटेल 1, 'वासाना' फानेहग-नजा बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) श्री हारीकीडानलाल कालीदास शाह मोसेदानाथ पहिकय अवनयु, सानमाक्रुस 1, बंवे।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमिन जो बेरोडा कासवा सर्वे नं० 666, प्लॉट नं० 1, और जो त्रिक्रीखन पर बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंञ्चरी महिने, 1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी० सी० गर्ग),

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 13-10-1981

सोहर :

प्ररूप आर्द. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 1981

निर्देश सं० पि० आर० नं० 1188/एकपी० /23- /  
81-82—अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 51, (टिका नं० 5, लिमडा ओली; रानदेर में है। तथा जो मुण में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुणा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्री याकुब हासीम नुल्ला कुलयूकायार :—

अहमदा महद पटेल 1,  
मेमीना बीबी मोहमद कासम पटेल 1,  
अबदुल करीम मोहम्मद कासय पटेक 1,  
अबदेल रहीम मोहमद कासय पटेल 1,  
हासीला कानन मोहमद कासय पटेल 1,  
मरिथम बीबी मोहमद कासय पटेल 1,  
रेहमान बोबी मोहमद कासय पटेल 1,  
अबदुल बेबी मोहमद कासय पटेल 1,  
अथसाबीबी मोहमद कासय पटेल 1,  
इसमेलिल असिना बीबी मोहमद कासय पटेल 1,  
नाबोवेगली रानर सुरत ।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद अहमद नाना 1, लिमडा ओलिड ।  
रानदेर सुरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो एस० नं० 51 टिका नं० 5 लिमडाओली, राजपुर सुरत में स्थित है और जो यथाविधि तारीख 7-2-81 म रजिस्ट्री की गयी है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख 30-9-1981  
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1186/एकवी :23-II/81-

82—यतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नोनद नं० 1929 के 5-के० 2 है तथा जो काडीवाला स्कूल, रिग रोड, सूरत में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मानहरलाल गोदर्न दास काडीवाला । श्रीमती पार्वती बेन मनहरलाल काडीवाला । श्री सतीश कुमार मनहरलाल काडीवाला साभ्रापुरा । सानदा शेरी ।, सूरत ।

(अन्तरक)

(2) श्री रामनलाल देकाराम श्री हीरालाल शीवलाल रेडामवाला ।, दी निरुपति एवदिमनद को०ओ०हो०-सोसयिटी 1, साभ्रापुरा ।, हनुमान शेरी ।, सूरत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मिलकत जो नोद नं० 1929-के-5 के-2 काडीवाला हाई स्कूल के पास रिग रोड, सूरत में स्थित है और जो लाविधी तारीख 12-2-1981 में रजिस्ट्री की गयी है ।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख 30-9-1981

मोहर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद,

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1187/एकजी०/23-II/  
81-82—अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-  
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रु. से अधिक है

और जसकी सं० टिका नं० 642/, एस० नं० 37, वाई  
नं० 2 है। तथा जो पोहली सड़िट, नवसारी में स्थित है  
(और इसमें उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के  
अधीन 9-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री अशोकथाई रायन थाई पटेल । मोटा पुलिसिया,  
सीसोदरा, तालूका नवसारी ।

(अंतिक)

(2) डाबल जामा मासजीद जमाथम इस ढीथो :—

(1) सुलेमान मोहमद मानजीरा ।

(2) सुलेमान डेब्राहीम नावसा ।

(3) डेब्राहीम मोहमद वासा ।

(4) मौलाना मरमुदीन अबतुल कदार 1, गांव डाबाल  
सा नवसारी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

मिलकत जो एस० नं० 87, टिका नं० 6/2, वाई नं० 2,  
पोछी सड़िट, नवसारी में स्थित है और जो पविही तारीख 9-2-  
1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 3-10-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री बल्लभभाई नानजीभाई फळाडीया एस० टी० बस स्टैण्ड के पीछे गोंडल, जिला राजकोट।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

(2) ओलम्पिक बोल बेरिंग आ० ली० मेनाजीग डायरेक्टर श्री जे० पी० पटेल अनेरीया हाउस, डेवर रोड राजकोट

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश सं० एफसें नं० पी० आर० नं० 1415 अर्जनरेंज

23ब/81ब82---अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 391/1 4 2 शैफी नेशनल ड्राइपे रोड है। तथा जो गोंडल जिला-राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गोंडल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

द्विती लायक जमीन जिसका सर्वे नं० 391/1 और 2 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2 अकर है तथा जो गोंडल सीटी के बाहर, नेशनल हारवे, गोंडल जिला राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वरणन रजिस्ट्रीकर्ता बीक्रीखत नं० 119/ फरवरी 1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 26-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) मैं धीपरमार टेडीटाइम्स इन्डस्ट्रीज ट्रामवे रोड  
सुरेन्द्रनगर

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना(2) मैं गुभालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज 40/45 उद्योगनगर  
सुरेन्द्रनगर

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

क्यों यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश सं० एफ० नं० पी० आर० नं० 1414

अर्जन रेंज 23-I /81-82—अतः मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/रु. से अधिक हैऔर जिसकी सं० प्लॉट नं० 40 से 45 हिस्सा-II है।  
तथा जो 40/45 उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पढवान में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-2-81  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :--(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्नियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा :--

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फेक्टरी मकान जिसका प्लॉट नं० 40 से 45 हिस्सा-  
II है जिसका जमीनका कुल क्षेत्रफल 8231.75 वर्ग यार्ड  
है तथा जो 40/45 (गुभालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज) उद्योगनगर  
सुरेन्द्रनगर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण परणत बढवान  
रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 567/24-2-1981 में दिया गया  
है।जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख : 26-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० आर० नं० 1413/अर्जन

रेंज 23-I/81-82—यतः, मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 40 से 45 हिस्सा-I है तथा जो 40/45, उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बढवान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-2-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं दि घरमार टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, ट्रामवे रोड,  
सुरेन्द्र नगर

(अन्तरक)

(2) धनलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, 40/45, उद्योगनगर,  
सुरेन्द्रनगर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फेक्टरी मकान जिनका प्लॉट नं० 40 से 45 हिस्सा-I है जिसका जमीन का कुल क्षेत्रफल 3017-22 वर्ग गज है तथा जो 40/45 (धनलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज), उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर में स्थित है तथा जिसका पूरण अर्जन बढवान रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 570/24-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 26-9-1981

माहूर :

प्ररूप आर्.टी.एन.एस.-----

(1) श्री हंसराज हरखा पटेल, महेन्द्रनगर, मोरबी,  
जिला राजकोट

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना(2) श्री अरुणोदय मीत्स लिमिटेड की धीर से श्री मधुसूदन  
डी० बोरा (जी० एम०)

भारत सरकार

वेजीटेबल मार्किट मोरबी जिला राजकोट

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(अन्तरिती)

अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

क यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

अहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० आर० नं० 1412/अर्जना-

23-J/81-82—पतः, मुझे, जी० सी० गग,

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/ रु. से अधिक है(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;और जिसकी सं० सर्वे नं० 160 है तथा जो महेन्द्रनगर,  
मोरबी, जिला राजकोट में स्थित है (और इससे उपाय  
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-  
कारी के कार्यालय, मोरबी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1981(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
कारणों का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तर्को) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।(क) अन्तरण से हूँ किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 160 है जिसका कुल क्षेत्रफल  
6 एकड़ 15 गुठा है तथा जो महेन्द्रनगर, मोरबी, जिला राजकोट  
में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन मोरबी रजिस्ट्रीकर्ता विनोद  
नं० 5168/फरवरी 1981 में दिया गया है।जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1 अहमदाबादअतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—तारीख : 26-9-1981  
मोहर :

प्ररूप आइ.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० आर० नं० 1411/अर्जन-  
23-I/81-82—यतः, मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सावसर प्लॉट, गली नं० 4 खुली जमीन  
है। तथा जो सावसर प्लॉट्स, मोरवी में स्थित हैं (और  
इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोरवी में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-2-81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल से लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वायित्व में कमी करने या उससे बचन में सूचक  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य सम्पत्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः उक्त उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. (1) श्री मगनलाल गिरधरलाल  
(2) श्री कान्तीलाल चक्रुभाई दोनों मोरवी के, जिला  
राजकोट (अन्तरक)
2. (1) श्री दिनकरराय कालजी भाई कोठरानी  
(2) श्री लालजीभाई देवसीभाई दोनों  
10, वसन्त प्लाट, निर्देशकुंज, मोरवी  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

रण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

खुली जमीन, गली नं० 4, सावसर प्लॉट, जिसका कुल क्षेत्रफल  
3117 वर्ग फुट-1 3117 वर्ग फुट है तथा जो सावसर प्लॉट,  
मोरवी में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णित मोरवी रजिस्ट्रीकर्ता  
बिक्रीखत नं० 11 और 12/2-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 24-9-1981  
मोहर :

परूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० आर० नं० 1410/अर्जन-  
23-I/81-82—यतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि रथावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० सर्वे नं० 345, गोंडल रोड, स्वामीनारायण है तथा जो गुरुकुल मंदिर, राजकोट में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनूसूची में श्रेष्ठ वर्ण में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से; ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दत्त के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या -

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाँहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्रीमती उर्मिलाबेन मंगलदाम पटवारी भवन,  
जवाहर रोड, राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्री नंदलाल रामजीभाई राजा, 'पद्म शोभा',  
सदर, डा० मोदी अस्पताल के सामने, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनूसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 360.5-56 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 345 है तथा जो गोंडल रोड, स्वामी नारायण, गुरुकुल मंदिर, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन बिक्रीखत नं० 666/फरवरी 1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 24-9-1981  
मोहर :

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 17th October 1981

No. F. 2/31-SCA(1)—The Hon'ble the Chief Justice of India has confirmed the following Officers of this Registry with effect from the forenoon of October 16, 1981 and appointed them substantively to the post shown against each :—

S. No.	Name & Designation	Post to which confirmed
1.	Shri S. Banerjee, Offg. Deputy Registrar	Deputy Registrar
2.	Sari B. M. Chandwani, Offg. Assistant Registrar	Assistant Registrar
3.	Sari Niko Ram, Offg. Assistant Registrar	Assistant Registrar
4.	Sari C. Balasubrahmanian, Offg. Assistant Registrar	Assistant Registrar

R. NARASIMHAN  
Registrar (Admn.)  
Supreme Court of India

(ADMN. BRANCH I)

New Delhi, the 15th October 1981

No. F. 6/81-SCA(1)—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Mrs. Krisna Baia Sood, Stenographer as offg Court Master in the Registry of the Supreme Court of India wef October 15, 1981, until further orders.

The October 17 1981

No. F. 6/81-SCA(1)—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Shri T. R. Bakhsni, Assistant as offg Court Master in the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of October 10, 1981 to November 14, 1981.

S. GHOSH  
Assistant Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th September 1981

No. A. 32013/1/81-Admn. I—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS to officiate as Under Secretary in the Office of Union Public Service Commission on an ad-hoc basis for the period shown against each :—

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1.	Y. R. Gandhi	w.e.f. 26-5-81 to 25-8-81
2.	Vaid Parkash	w.e.f. 26-5-81 to 31-7-81
3.	B. K. Bhattacharya	w.e.f. 16-6-81 to 15-9-81
4.	S. K. Mishra	w.e.f. 29-6-81 to 28-9-81

H. C. JATAV,  
Joint Secy.  
Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 18th September 1981

No. A-19013/2/81-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri R. Natarajan, IA & AS, as Deputy Secretary in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 16th September, 1981 until further orders.

The 30th September 1981

No. A-26013/2/81-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri J. L. Sud a permanent Assistant and officiating Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 30th September 1981, in terms of Department of Personnel & A. R. O.M. No. 33/12/75-Ests(A), dated the 24th November, 1973.

Y. R. GANDHI  
Under Secy.  
Union Public Service Commission

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

LBS BANSIDOR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

Mussoorie, the 13th October 1981

No. 2/40/75-EST.—In continuation of this office Notification of even number dated 3rd March and 30th June, 1981, the Director is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri A. S. Saxena to the post of Deputy Librarian in the LBS National Academy of Administration, Mussoorie, for a further period of six months with effect from 15th October 1981 or until regular success is made, whichever is earlier.

S. S. RIZVI  
Deputy Director (Senior)

(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

New Delhi, the 21st September 1981

No. A-2020/71/80-AD.III.—Consequent upon his promotion on ad-hoc basis to the post of Stenographer Grade 'B' in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—220—35—340, Shri M. P. S. Chauhan has taken over charge of the post of Senior P. A. (Grade 'B' Stenographer) in the C.B.I. with effect from 5th September 1981 (Forenoon).

DWARKA NATH  
Supdt. of Police (HQ)  
CBI (HO)

New Delhi, the 16th October 1981

No. J-12/65-AD.V.—Shri Jalinsingh Umraosingh Thakore, Sr. Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation, EOW : Bombay on attaining the age of 58 years retired from Government service with effect from 30th September 1981 (A.N.).

No. A-20023/4/78-AD.V.—The services of Shri Raj Pal Vig an officer of Haryana Chandigarh working as Public Prosecutor in CBI at Chandigarh were placed back at the disposal of State Government with effect from the afternoon of 9th September 1981, on repatriation.

No. A-20014/485/80-Ad.I.—Shri S. A. Namde, an officer of the Maharashtra State Police on deputation to CBI as Inspector of Police, has been relieved of his duties in the C.B.I., GOW Bombay on the afternoon of 15th September 1981, on repatriation to the Maharashtra State Police.

No. A-19036/3/81-AD.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri S. Dorendra Singh, a deputationist Dy. Supdt. of police of Manipal Police, as Dy. Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation from the forenoon of 6th October 1981 until further orders.

Q. L. GROVER  
Administrative Officer (E)  
Central Bureau of Investigation



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL  
(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-19, the 16th September 1981

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to Sindri, Shri S. K. Banerjee relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF Unit, BCL Jharia with effect from the afternoon of 21st May, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer from Bhitai, Shri Isham Singh assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, HIL, Rasayari, with effect from the forenoon of 8th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer from Madras, Shri B. P. Prabhakaran assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, Cochin Port Trust, Cochin with effect from the forenoon of 9th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to Cochin, Shri B. P. Prabhakaran relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, SZ Trg Reserve Force, CISF, Madras with effect from the afternoon of 4th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to SHAR Centre, Shri L. V. Joseph relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, V.S.S.C. Thumba with effect from the forenoon of 1st July, 1981.

No. E-38013(4)/11/81-PERS.—On his transfer from Cochin, Shri R. G. Thampi assumed the charge of Asstt. Comdt. CISF Southern Zone HQrs, Madras with effect from the forenoon of 29th July, 1981.

No. E-38013(4)/11/81-PERS.—On his transfer to Madras, Shri R. G. Thampi relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, Cochin Port Trust, Cochin with effect from the afternoon of 21st July 1981.

No. E-38019/29/80-PERS.—On his transfer to Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad, Shri A. S. M. Rao relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, India Govt. Mint, Hyderabad with effect from the afternoon of 28th July 1981.

SURENDRA NATH  
Director General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL—(II)  
(UTTAR PRADESH—ALLAHABAD)

No. Welfare/1131.—Shri Bhagwan Singh Chauhan an Accounts Officer of the Office of the Accountant General—(II) U.P., Allahabad expired on 27th August, 1981.

S. J. S. AHLUWALIA  
Sr. D.A.G. (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT  
(DEFENCE SERVICES)

New Delhi, the 17th October 1981

No. 3804/A-Admn/130/78-81.—Shri A. C. Saha, a substantive member of the S.A.S. of the Audit Department, Defence Services, on deputation to the Department of Science & Technology, has been allowed "Proforma Promotion" as offg. Audit Officer in the Department w.e.f. 27th July 1981, until further orders.

I. P. SINGH  
Joint Director of Audit, Def. Services

MINISTRY OF DEFENCE  
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE  
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 12th October 1981

No. 41/G/81—On attaining the age of superannuation the undernoted officers retired from service with effect from the dates shown against each :-

S. No.	Name & Designation	Date of Retirement
	S/Shri	
1.	Narayan Chandra De, Offg. T. S. O. (Subst. & Permt. SA)	31st August, 1981 (AN)
2.	Hari Bhusan Ghosh, Offg. S. O. (Subst. & Permt. A. S. O.)	31st August, 1981 (AN)
3.	Amiya Ranjan Basu, Offg. S. O. (Subst & Permt. A. S. O.)	31st August, 1981 (AN)

V. K. MEHTA,  
Assitt. Director General  
Ordnance Factories

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND  
DISPOSALS

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi-110001, the 16th October 1981

No. A-17011/199/81-A6.—The Director General of Supplies and Disposals has appointed Shri G. D. Dhir, Examiner of Stores (Engg.) in the Calcutta Inspectorate to officiate on ad-hoc basis as Assistant Inspecting Officer (Engg.) in the same Inspectorate w.e.f. the forenoon of 18th August, 1981 and until further orders.

The 19th October 1981

No. A-6/247(383).—The President is pleased to appoint Shri V. V. Rao, Assistant Inspecting Officer (Engg.) in the Hyderabad sub-office under Madras Inspection Circle to officiate as Inspecting Officer (Engg.) (Grade III of Indian Inspection Service Group 'A') on ad-hoc basis in the office of the Director of Inspection Madras under the same Circle w.e.f. the forenoon of 1st October, 1981 and until further orders.

S. L. KAPOOR  
Deputy Director (Administration)  
For Director General of Supplies and Disposals

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA  
(KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-703916, the 15th October 1981

No. 6405B/A-19012(2-CBM)/81/19B.—Shri C. Bhanu Murthy, Senior Technical Assistant (Geophy.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 6th July 1981 until further orders.

No. 6416B/A-19012(2-GRP)/81-19B.—Shri G. Rama Prabh, Senior Technical Assistant (Geophy.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 6th July 1981 until further orders.



## COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE &amp; CUSTOMS

Madurai, the 11th September 1981

## NOTICE

C. No. II/39.21/81-VC In pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary) Rules, 1965, notice is hereby given to Shri R. C. Mathews, Operator, Telecommunication, Cuddalore Custom Division, to the effect that his services will stand terminated with effect from the date of expiry of period of one month from the date of publication hereof.

P. N. VITTAL DASS,  
Assistant Collector (Hqrs)

## CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 29th September 1981

No. A-19012/976/81-Estt. V—Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-EB-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of six months or till the posts are filled on regular basis, whichever earlier with effect from the dates noted against their names :

Sl. No.	Name of officer with designation	Date of assumption of charge as EAD/AE	Where posted
1.	2	3	4
	S/Shri		
1.	S. K. Das, Supervisor	11-9-81 (FN)	C. M. D. D.-I Dte.
2.	Sachin Prasad, Design Assistant	23-7-81 (FN)	Foundation Engg. Design Dte.
3.	N. C. Dey, Supervisor	17-8-81 (FN)	P & D Circle, New Delhi
4.	B. S. Bhandari, Supervisor	11-9-81 (FN)	C. B. W. R. O., New Delhi
5.	G. S. Srikantharam, Supervisor	1-4-81 (FN)	Central Flood Forecasting Control Room, Nizamabad
6.	V. B. Singh, Supervisor	6-10-80 (FN)	W. R. Sub-division, Darbhanga.
7.	J. V. R. Setty, Supervisor	8-5-81 (FN)	Chanda (West) Gauging Sub-Dn., Chanda
8.	B. K. Sinha, Supervisor	17-7-81 (FN)	Sone River Commission, Patna
9.	A. K. Koley, Supervisor	22-7-81 (FN)	Sone River Commission, Patna
10.	M. Basak, Supervisor	31-8-81 (FN)	G. F. C. C., Patna
11.	A. K. Roy, Supervisor	22-8-81 (AN)	R. D. (JRC) Inv. Dn., Shillong

The 15th October 1981

No. A-19012/918/81-Estt.V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following Supervisors on promotion to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer on a regular basis in an officiating capacity, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates shown against each :—

- Shri V. Vivekananda, EAD, G. F. C. C., Patna.—26-8-81 (FN).
- Shri R. C. Sharma, EAD, E. R. D. D.-I Dte.—19-6-81 (FN).

2. The above officers will be on probation in the post of Extra Assistant Director/Assistant Engineer for a period of two years with effect from the aforesaid date.

A. BHATTACHARYA  
Under Secy.  
Central Water Commission.

## CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110 022, the 23rd September 1981

No. 22/1/81-Admn.I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri Hardayal Singh-I, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 14th September, 1981, until further orders.

The 14th October 1981

No. 22/1 81-Adm.I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri Y. D. Shirbad, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 24th September, 1981, until further orders.

S. BISWAS  
Under Secy.

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE &amp; COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

## COMPANY LAW BOARD

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jodhpur Commercial Bank Limited, Jodhpur*

Jaipur, the 12th October 1981

No. STAT/242.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jodhpur Commercial Bank Limited, Jodhpur has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. DIXIT  
Registrar of Companies  
Rajasthan, Jaipur

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Arrow Pharma Laboratories Private Limited*

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 855/TA.I/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Arrow Pharma Laboratories Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ramseas Teas (India) Limited*

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 1089/TA.I/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Ramseas Teas (India) Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Swapna Plastics Private Limited*

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 1430 TA.I/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Swapna Plastics Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. S. RAJU,  
Registrar of Companies,  
Andhra Pradesh, Hyderabad

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER,  
OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-I/81-82/7381.—Whereas,  
I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Main Road, situated at Chandrawal Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Sushil Mohan Behal,  
B. L. 50, Jail Road, Hari Nagar,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Arora,  
1544, Dina Nath Bld Chandrawal Road,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Main Road, Chandrawal Road, Delhi

SMT VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
H-Block, Vikas Bhavan,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

**FORM ITNS****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,

'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/81-82/2-81/4215.—Whereas, I, VIMAL VASISHT,

Competent Authority under Section 269B

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land,

situated at 8 Bighas 17 Biswas, Vill. Dichan Kalan, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

19—316GT/81

(1) Shri Suraj Bhan Sharma & Chander Bhan Sharma, s/o Shri Ram Prasad, r/o Village Dichan Kalan, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kirpal Singh HUF, s/o Partap Singh Chawla, r/o C-4, Rajouri Garden, Delhi.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Agricultural land 8 Bighas 17 Biswas, Village Dichan Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income  
Acquisition Range-II,  
H-Block, Vikas Bhavan,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, H BLOCK, VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-II/81-82/2-81/4207,—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land situated at 24 Bighas 8 Biswas, Village Qadipur, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajinder Singh s/o Sh. Narian Singh  
r/o Village Qadipur, Delhi State,  
Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Subhash Khanna &  
Shri Chander Khanna, S/o  
Sh. Kedar Nath Khanna, r/o  
22-B/1, Original Road,  
Karol Bagh,  
New Delhi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agri. land 24 Bighas 8 Biswas,  
Village Qadipur, Delhi State, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
H-Block, Vikas Bhavan,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
'11' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 7th August 1981

Ref. No. IAC/Acq.-ii/SR-II/2-81/4192.—Whereas, I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land, situated at Village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (f) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Asha Ram S/o Sh. Bhola Ram, Village Nakpur, Ghaziabad, presently r/o Holambi Kalan, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kali Ram, S/o Shri Sher Singh, r/o 239, Holambi Kalan, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

4 Bighas 16 Biswas of Kh. No. 59/15, 4 Bighas 16 Biswas of Kh. No. 59/16 and 5 Bighas 14 Biswas of Kh. No. 59/25 in the Village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 7-8-1981  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. 1AC/Acq.JI/SR-I/81-82/2-81/7387.—Whereas, I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

1049, Ward No. 3, situated at Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanwar Kishore S/o  
Sh. Nawal Kishore,  
r/o 1063, Gandhi Gali, Fatehpuri,  
Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ram Kishan Jain, S/o  
Shri Sher Singh Jain,  
r/o 1049, Gandhi Gali, Fatehpuri,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

No 1049, Ward No. 3, Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II SR-I 81-82 2-81 7431—Whereas,  
I, VIMAL VASISHT,being the Competent Authority under section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-  
movable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.Shop No. 1,  
situated at Village Bassai Darapur, Abadi Punjabi Bagh,  
New Delhi(and more fully described in the Schedule annexed  
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908  
(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at  
New Delhi on  
February, 1981for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer,  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957  
(27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of section 269D of the said Act to the following  
persons, namely :—

- (1) Shri Kedar Nath,  
S/o Late Shri Jia Lal,  
r/o 20, East Avenue, Main Market, 2nd Floor,  
Punjabi Babb, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Shiv Narain Gupta, S/o  
Shri Satya Pal Gupta, r/o  
1/15, Jai Dev Park, Rohtak Road,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immova-  
ble property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 1, Village Bassai Darapur, Abadi Punjabi Bagh,  
New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 169D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7471.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 78, situated at Rajouri Garden, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Bhupinder Singh, Tarlochan Singh, Sukhdev Singh, Sons of S. Thai Singh, Smt. Jasmer Kaur & Amarjit Kaur, d/o S. Tehal Singh r/o 3162, Sect. 28-D, Chandigarh. (Transferor)
- (2) Shri Bodh Raj Gupta, S/o L. Shanker Dass, r/o F/78, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 78, Rajouri Garden, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I '81-82/2-81/7451.--Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 56, situated at Bali Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Harnam Shah Bhatia, s/o  
Shri Balak Ram,  
r/o H. No. 35, Block 'G', Siriganga Nagar,  
Rajasthan.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Manjit Kaur, w/o  
S. Charanjit Singh and  
2. Shri Raj Pal Singh, s/o  
S. Balwant Singh,  
r/o H-28, Bali Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 56, Bali Nagar, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 14-10-1981  
Seal

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK, VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I 81-82/2-81/7462.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding, Rs. 25,000/- and bearing

Prop. No. 1/11, situated at Gali Badyan, Ganda Nala, Ward No. I, K. Gate, Delhi

(more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Krishna Wanti w/o Laxmi Dags,  
r/o 2282, Gali Hinga Begh,  
Phatak Habas Khan,  
Delhi.

(Transferor)

(2) Inhabitant Food Corporation,  
Qrt. No. 15,  
Manisha Building, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 1/11 Gali Badyan, Ganda Nala, Ward No. 1,  
Kashmeri Gate, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,'H' BLOCK, VIKAS BHAVAN,  
I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR. I/81-82/2-81/7448.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 11, Block No. 23,

situated at East Patel Nagar Market, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kumari Shanta, w/o  
L. Sh. Des Raj Bajaj,  
r/o Co. S.R. Bajaj, H-48, Kirti Nagar,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ram Nath Bajaj, S/o  
Late Shri Parma Nand Bajaj, r/o  
23/11 East Patel Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 11 Block No. 23, East Patel Nagar Market,  
New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Subhash Chand, Mahesh Chand, Kamlesh Kumar, Denesh Kumar, ss/o Shri Siri Chand.  
r/o 1371, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Parmeshwari Devi, w/o Ganpat Rai and others  
1295, Maliwara, Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7450.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Prop. No. 1205, situated at Maliwara, Ward No. 5, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 1295 Maliwara Ward No. 5, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7384.—Whereas I, VIMAL VASISH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 1, situated at Malkaganj, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jai Devi, w/o  
Ram Chand,  
r/o 1169, Chah Raht, Delhi and others.

(Transferor)

(2) Shri Rajinder Singh S/o  
Rattan Singh, r/o  
No. C-4/176, Lawrance Road,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 1 Main Road Malkaganj, Delhi.

SMT. VIMAL VASISH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-II,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 1st October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-1/81-82/2-81/7420.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 310 House, situated at Naya Bans, Ward and Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Kishori Lal, S/o Hemraj,  
r/o 226, Kucha Sanjogiram, Naya Bans,  
Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Sharbati Devi, w/o  
Parmeshwari Dass,  
108, Naya Bans;  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

H. No. 310, Kucha Sanjogi Ram, Naya Bans, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7337.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 65/22, situated at New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering at New Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Jiwan Lal Khanna, S/o Shri Ganpat Rai Khanna, r/o 1-C/19, New Rohtak Road, New Delhi.  
2. Sh. Kharaiti Ram Khanna, S/o Sh. Ganpat Rai Khanna, R/o N-160, Greater Kailash-I.  
3. Shri J. N. Khanna, S/o Ganpat Rai Khanna, r/o N-198, G.K.-I, New Delhi. (Transferor)
- (2) S. Shri Parduman Singh Jain, Mohiner Singh Jain, Ss/o Shri Babu Lal Jain, r/o 4799, Deputy Ganj, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

65/22, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM TINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7422.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop Nos. 329 and 330, situated at Dariba Kalan, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shakti Kumar Rajput s/o  
L. Sh. Dhanna Singh,  
r/o 1560, Kucha Seth, Dariba Kalan,  
Delhi. (Transferor)(2) M/s Ganda Ram & Sons,  
through Ganda Ram, s/o  
Jagat Ram,  
r/o 28, Siri Fort Road, Masid Modh,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop No. 171. Shop Nos. 329 &amp; 330, Dariba Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7326.—Whereas  
I, VIMAL VASISHT,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.Shops 5105 & 5106,  
situated at Mandi Rui, Sadar Bazar, Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Delhi on February, 1981for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefore by more than  
fifteen per cent of each apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-  
tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely :—

- (1) Shri Ram Narain Gupta s/o  
Ram Nath Gupta,  
330 Gali Prakash, Bazar Tellwara,  
Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Satyn Prakash s/o L. Hargu Lal,  
r/o 4232, Gali Barna, Sadar Bazar,  
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shops No. 5105 and 5106, Ward No. 13, Mandi Rui,  
Sadar Bazar, Delhi.SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
I. P. Estate, New DelhiDate : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,  
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,  
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/2-81/7440.—Whereas  
I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Prop No. 2691-A,  
situated at Ward No. 11, Darya Ganj, Delhi  
(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) Smt. Sarla Devi, w/o  
Sheetal Parkash Taneja,  
r/o A-47, Preet Vihar, Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Saroj Gupta w/o Sh. Ram Kishan Gupta,  
r/o 1950 Gali Neela Wali,  
Sita Ram Bazar, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop No. 2691-A, Ward No. 11, Darya Ganj, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Acquisition Range-II.  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

- (1) Shri Saudagar Mal s/o Shri Gurditta Mal R/o H. No. 11, Jiwani Block, Ganga Ram Vatika, Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Vishwa Nath s/o Faqir Chand R/o A-2/41, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4212.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S-12 situated at Rajouri Garden, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
21—316GI/81

## THE SCHEDULE

Prop. No. S-12 Rajouri Garden, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

**FORM ITN****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX****ACQUISITION RANGE-II**

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4240.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 7 bighas situated at 11 biswas of VW Dichan Kalan, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Singh Ram, Jai Pal Singh, Ram Pal Singh, and Suresh Singh S/o Shri Shankar all R/o V.P.O. Shahpur Jat, Delhi.  
(Transferor)
- (2) S. Nand Singh Chawla karta HUF S/o Shri Pratap Singh Chawla R/o C-4, Rajouri Garden, Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Land Measuring 7 bighas 11 biswas of V.W. Dichan Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4225.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 27, situated at Krishna Park, Vill. Possangipur, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Ajit Singh Anand S/o S. Beant Singh Anand R/o 3027, Gali No. 2, Chuna Mandi, Pahar Ganj, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ramesh Chander Agnihotri S/o Shri Baldev Ram Agnihotri, and Smt. Vipla Agnihotri W/o Shri R. C. Agnihotri, D-II/20, Janakpuri, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 27, Krishna Park area of Vill. Possangipur, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

**FORM ITNS-----****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,****ACQUISITION RANGE-II**

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4264.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 44 situated at Vill. Tatarpur Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ram Sahai Ahlowalia s/o L. Atma Ram R/o A-2/194, Janakpuri, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Charan Dass Chhabra s/o L. Khem Chand Chhabra R/o J-13/44-B, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Plot No. 44-B, Block J-13, Vill. Tatarpur, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4251.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agri. Land situated at Vill. Dindarpur, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Kasim s/o Iddu R/o Vill. Dindarpur, Delhi. (Transferor)  
 (2) Shri Sat Pal Malhotra s/o Late Ram Chand Malhotra r/o BF-25, Tagore Garden, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agri. Land. Vill. Dindarpur, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
 Seal :

FORM NO. IT.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1207 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 666, Plot No. 1 (Part), situated at Baroda Kasba, Baroda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda in February 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under sub-aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Nitaben Dahyabhai Patel; 'Vasanth', Fatehganj, Baroda. (Transferor)
- (2) Shri Harkishanlal Kalidas Shah; 'Mosedayan West Avneuc', Santa Cruz, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open land bearing Baroda Kasba Survey No. 666, Plot No. 1, and as fully described in the sale deed registered in the Office of Sub-Registrar, Baroda in the month of February, 1981.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 13-10-1981  
Seal:

## FORM LT.N.9.—

- (1) Shri Tilak Raj S/o Shri Sardari Lal R/o WZ-9,  
Mukh Ram Park, New Delhi-18.  
(Transferor)
- (2) Shri Ranjeet Kumar Kohli s/o Shri Om Parkash  
Kohli R/o WZ-105, Mukh Ram Park P.O. Tilak  
Nagar, New Delhi.  
(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4294.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. WZ-9 situated at Plot No. 10, Mukh Ram Park Residential Colony Vill. Chaukhandi, Delhi

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. WZ-9, Plot No. 10, Mukh Ram Park Residential Colony, Vill. Chaukhandi, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4250.—Whereas I VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Agri Land situated at Vill. Dindapur, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kasim S/o Iddu R/o Vill. Dindarpur, Delhi State Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Parshotam Lal Malhotra S/o Late Shri Ram Chand Malhotra R/o BF-25, Tagore Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agriculture Land, Vill. Dindarpur, Delhi, State Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM FTNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Lucknow, the 15th October 1981

G.I.R. No. D-40/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1 and 2 situated at I.T. College Crossing, Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 7-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—  
22—316G1/81

- (1) Pragatisheel Sakhari Griha Nirman Samiti Ltd., Nirala Nagar, Lucknow through its Secretary Shri S. P. Misra. (Transferor)
- (2) Smt. Dharam Rajee Devi. (Transferee)
- (3) Smt. Dharam Rajee Devi. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot Nos. 1 and 2 measuring 2060 and 3960 sq. ft. respectively out of Nazul plot No. 12, Khasra No. 992, situate at I.T. College crossing, Lucknow, forming total area of 6020 sq. ft. and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 874 which have duly been registered at the office of the Sub-Registrar,

A. S. BISEN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Lucknow

Date : 15-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II

Madras-600 006, the 6th October 1981

Ref. No. 11289.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Plain View, Coonoor situated at Coonoor (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coonoor (Doc. 287/81) in February 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri S. H. Syed Yusuff, 18, 19, Bava Rowther Road, Madras-18.  
(Transferor)
- (2) Shri B. M. Gill, Plainview, Tiger Hill, Coonoor Nilgiris.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at Plain view, Tiger Hill, Coonoor, Nilgiris. (Doc. 287/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date: 6-10-1981  
Seal ;

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-II

Madras-6, the 8th October 1981

Ref. No. 3919.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 236, Anna Salai, situated at Pondicherry, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pondicherry (Doc. 358/81) in February 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Palani R. Sivaraman R. Jeevanandan, 236, Anna Salai Pondy-1.

(Transferor)

(2) K. Sundararaju, 7, Thirumudi Nagar, Pondy-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 236, Anna Salai Pondicherry.

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 8-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-II

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref. No. 16143.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 29, Gill Nagar I St., situated at Puliur, Kodambakkam, Madras, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Kodambakkam (Doc. 930/81) in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) V. Balasubramanian, 15, Sarojini St., Madras-17. (Transferor)

(2) Ammini Babukuttan, 6/7, Kuppuswamy Road Srinivasa Nagar, Madras-31. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 29, Gill Nagar I St., Puliur, Kodambakkam, Madras. (Doc. 930/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Madras-6

Date: 8-10-81

Seal:



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11336.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11/45, Raja St., situated at Coimbatore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 697/81) in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) P. Thirumalaiswamy,  
25/33, Pattu Noolkarar Lane,  
Coimbatore.

(Transferor)

(2) C. A. Kannayyan and K. Raja,  
516, Trichy Road, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 11/45, Raja St., Ramnagar, Coimbatore (Doc. 697/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006

Date : 8-10-1981  
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9268.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. A-3, I Cross St., situated at Thillainagar, Trichy (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichy (Doc. 372/82) in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid, exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) A. K. Natarajan  
A3, I Cross St., West Extension  
Thillainagar, Trichy.

(Transferor)

(2) Subramaniam  
Chellammal  
A3, Rukmani Illam, I Cross St.,  
Thillainagar, Trichy.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at A3, Rukmani Illam, I Cross St., Thillainagar, Trichy (Doc. 372/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006

Date : 8-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11356.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 25/50, 49, Thomas St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1504/81) in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Narayani Ammal,  
S. Dhamayanthi,  
M. S. Balakrishnan  
Decorina, Kalai Road,  
Calicut-2.

(Transferor)

(2) S. Muni Lal, S. Ghandhilal  
26/18, Uppukinar Lane, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 25/50, Thomas St., Coimbatore (Doc. 1504/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006

Date : 8-10-1981  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) S. N. Sundaraj  
C. Rajagopal,  
33, Rajabather St., Madras-17.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) P. Vijayalakshmi  
35, Rajabather St., Madras-17.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 16161.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 33, Rajabather St., situated at Madras-17 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T. Nagar, (Doc. 543/81) in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Land and building at 33, Rajabather St., Madras-17 (Doc. 543/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 8-10-1981  
Seal;

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9320.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5, Lawsons Road, Venkata Park, situated at Trichy (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Trichy (Doc. 734/81) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—  
23—316GI/81

(1) Sitamma Desikachary,  
Savithra Ammal  
5, Lawsons Road, Cantonment, Trichy. (Transferor)

(2) Savithri Ammal  
W/o Gopalakrishnan  
C-101, 7th Cross, Eastern Extension,  
Thillainagar, Trichy. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 5, Lawsons Road, Venkata Park, Trichy. (Doc. 734/81).

**RADHA BALAKRISHNAN**  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006.

Date : 8-10-1981  
Seal :

~~FORM 118~~

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9257.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. TS. No. 1000, situated at Pudupalayam, 4, Yadhava St., Cuddalore

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Cuddalore (Doc. 190/81 (Item No. 17, 18) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) ~~Krishnakrishna~~ Mudaliar  
No. 11, Clive St., Cuddalore.

(Transferor)

(2) Baskaran  
Revathi Ammal  
53, Seetharam Nagar,  
Pudupalayam, Cuddalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at 4, Yadhava St., Cuddalore. (Doc. 190/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II  
Madras-600 006.

Date: 8-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 6th October 1981

Ref. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1220/81) in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore  
Coimbatore (Doc. 1220/81) on February 1981

(1) R. Balavenkatarama Chettiar  
120, K. G. St., Coimbatore.

(Transferor)

(2) N. Muthuswamy Gounder  
10, Teppakulam St.,  
Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 1220/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-10-1981

Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) R. Balavenkatarama Chettiar  
120, Karuppa Gounder St.,  
Coimbatore.

(Transferor)

(2) S. Vijayalakshmi  
W/o Chellakumar, Karuppampalayam  
Kulathupalayam, Erode Tk.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property.  
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1221/81) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 1221/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 8-10-1981  
Seal :



## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

MADRAS-600 006, the 8th October 1981

Re. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1222/81) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) P. Balavenkatarama Chettiar  
120, Karuppa Gounder St.,  
Coimbatore. (Transferor)
- (2) Sampurnam Ammal  
W/o Palaniappa Gounder  
12, Kothukara Nalla Gounder St.,  
Erode. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette** or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 1222/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
MADRAS-600 006.

Date: 8-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 2371/81) on April 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Balavenkatarama Chettiar  
120, Karuppa Gounder St.,  
Coimbatore.

(Transferor)

(2) Sampooranam Ammal  
12, Kothukara Nalla Gr. St., Fort  
Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 2371/81).

RADHA BALAKRISHNAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II,  
Madras-600 006.

Date : 8-10-1981  
Seal :

## FORM FINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I,  
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref. No. 31/February/81.—Whereas, I R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.S. No. 22/2, Ward-E, situated at Block No. 8, Pallapatti village, Salem Town (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. II, Salem on 25-2-1981 (Document No. 861/81) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri R. Kuppusamy Chettiar,  
S/o Shri V. M. Ramasamy Chettiar,  
No. 19, Syed Jaffar Street,  
Arisipalayam,  
Salem Town. (Transferor)
- (2) Shri V. Manickam,  
S/o Shri Venkadasamy Naidu,  
No. 21, Govinda Chetty Street,  
Salem. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. R. No. 22/2, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem Town—Document No. 861/81).

R. RAVICHANDRAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
Madras-600 006.

Date: 3-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 32/February/81.—Whereas, I R. RAVICHANDRAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, situated at Pallapatti village, Salem

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. No. II, Salem on 25-2-1981. (Document No. 862/81) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Shri R. Kuppusamy Chettiar,  
(2) Shri K. Mahendran,  
(3) Minor Sakthivel,  
(4) Minor Suresh,  
(5) Minor Senthilkumar and  
(6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar.  
No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.

(Transferor)

- (2) Smt. Gowri Ammal,  
No. 21, Govinda Chetty Street,  
Arisipalayam,  
Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(Land and building at T.S. No. 29, Ward-E, Block 8, Pallapatti village, Salem—Document No. 862/81).

R. RAVICHANDRAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
Madras-600 006.

Date : 3-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

1. (1) Shri R. Kuppusamy Chettiar,  
 (2) Shri K. Mahendran,  
 (3) Minor Sakthivel  
 (4) Minor Suresh  
 (5) Minor Senthilkumar and } Guardial No. 1  
 (6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy  
 Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.  
 (Transferor)

2. Shri M. Ravi,  
 No. 21, Govindasamy Street,  
 Salem.  
 (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-I.

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 33/February/81.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T. S. No. 29, Ward-E, Block-8, situated at Pallapatti Village, Salem Town (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at J. S. R. II, Salem (Document No. 863/81) on 25-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—  
 24—316GI/81

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(Land and Building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem—Document No. 863/81)

R. RAVICHANDRAN,  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
 Acquisition Range-I,  
 Madras-600 006.

Date : 3-10-1981.  
 Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-1, MADRAS  
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 70/February/81.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

T. S. No. 29 Ward-E & Block No. 8, situated at Pallapatti village, Salem (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer J. S. R. II, Salem on 25-2-1981 (Document No. 979/81)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri R. Kuppusamy Chettiar,  
(2) Shri K. Mahendran,  
(3) Minor Sakthivel  
(4) Minor Suresh  
(5) Minor Senthilkumar and  
(6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.  
(Transferor)

- (2) Shri M. Ramesh,  
No. 21, Govindasamy Street,  
Salem.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(Land and Building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem-Document No. 979/81)

R. RAVICHANDRAN,  
Competent Authority,  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
Madras-600 006.

Date: 3-10-1981.

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER,  
OF INCOME TAX,ACQUISITION RANGE-I,  
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 71/February/81.—Whereas, I,  
R. RAVICHANDRAN,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

T. S. No. 29, Ward-E &  
Block No. 8, situated at Pallapatti village, Salem  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at  
J. S. R. II, Salem on 25-2-1981  
(Document No. 980/81)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly, stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri R. Kuppasamy Chettiar,  
(2) Shri K. Mahendran,  
(3) Minor Sakthivel  
(4) Minor Suresh  
(5) Minor Senthilkumar and  
(6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppasamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.  
(Transferor)(2) Shri M. Raja  
No. 21, Govindasamy Street,  
Salem.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem—Document No. 980/81.)

R. RAVICHANDRAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
Madras-600 006.

Date : 3-10-1981.

Seal :

## FORM ITNS

(1) Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari, Niwasi 30-31 New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri H. M. Rahamat Ali S/o Ibrahim Ji Bohra, Niwasi Sabzi Bazar, Jhalarampan City.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

Ref. No. IAC/Acq./1081.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56, New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 464 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-10-81.

Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(1) Dr. Udhister Deo Sharma S/o Surya Narain  
Sharma, Niwasi Sokinyo Ka Rasta, Chokari Top-  
khana Desh, Kishanpole Bazar, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shrimati Ishwari Bai W/o Shri Khiyal Das,  
Niwasi Kanwar Nagar, Jaipur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1082.—Whereas, I,  
M. L. CHAUHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.

House situated at Jaipur  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer  
at Jaipur on 4-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of—

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of publica-  
tion of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property Deshehara Kothi Village Vijay Mahal Jaipur  
measuring 571 sq. mtr. & more fully described in the sale  
deed registered by S. R. Jaipur vide his registration No. 313  
dated 4-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Date : 14-10-81.

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1080.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 56 situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota. (Transferor)
- (2) Shri Abbas Ali S/o Shri Rahamat Ali, Niwasi Jhalarpatan. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56 New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 467 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Date : 14-10-81.

Seal .

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1079.—Whereas, I,  
M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons namely:—

(1) Shrimati C. Manju W/o C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari,  
Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota.  
(Transferor)(2) Shri Nijamuddin S/o Rahamat Ali Khan  
Niwasi Jhalrapatan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56 New Grain Mandi, Kota &amp; more fully described in the sale deed registered by S. R., Kota vide his No. 466 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Jaipur.Date : 14-10-81,  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1085.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 45 situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaipur on 2-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Nain Kunwar W/o Late Shri Thakur Narain Singh Ji of Sakun, Niwasi 45 Gopal Bari, Jaipur. (Transferor)

(2) Shri Govind Singh Major & Man Singh, Karan Singh & Hanumant Singh Minor sons of Shri Madan Singh guardian (self) Niwasi 45, Gopal Bari, Jaipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of Plot No. 45 at Jaipur Nagar, Chokadi Hawali Shahar, Gopal Bari & more fully described in the sale deed registered by S. R., Jaipur vide his registration No. 289 dated 2-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Date : 14-10-81.

Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE,

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1078.—Whereas, I,

M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—316GT/81

(1) Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shrimati Amina Bai W/o Shri Rahamat Ali Ji Bohra, Niwasi Jhalrapatan City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of property situated at Plot No. 56, New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 465 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Date : 14-10-81

Seal :

FORM ITNS

(1) Kumari Niti Kapoor D/o Raghuvir Kapoor,  
86, Gopal Bari, Jaipur.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Bhajan Lal Meena S/o Shri Ram Pal Meena,  
A-7, Bajaj Nagar, Jaipur

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE,

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1089.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 7 situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 4-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Plot No. 7, at Mahavir Udhyan Path, Bajaj Nagar, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 314 dated 4-2-81.

M. L. CHAUHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range,  
Jaipur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 16-10-81  
Seal .

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE,

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1086.—Whereas, I,

M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 348 situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 2-2-1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mishri Lal S/o Shri Joga Ram Ji Sirvee  
R/o Bhavi Teh. Bilara Distt. Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Ravindra Pal Singh S/o Shri Ujagar Singh  
Rajput Bhati R/o Jodhpur, Fertilizer Corporation  
of India, Paota, Jodhpur.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 348, Iaxmi Nagar, Paota Area, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S. R. Jodhpur vide his registration No. 681/181 dated 2-2-81.

M. L. CHAUHAN.  
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 16-10 81

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 16th October 1981

No. IAC/Acq./1088.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 16 situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 27-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sbri Lal Singh Ujjawal S/o Het Dan Ji Ujjwal  
R/o Paota B-Road, Jodhpur. (Transferor)
- (2) Shrimati Bhenro Bai W/o Shiv Narain Ji & Shyam Sunder S/o Shri Shiv Narain Ji, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 16 situated at 1st Polo Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 428 dated 27-2-81.

M. L. CHAUHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Jaipur

Date : 16-10-1981  
Seal :



FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1087.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

**Rs. 25,000/- and bearing**

No. House situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 10-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Madho Singh S/o Bahadur Singh  
R/o Rasala Road,  
Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Chand Mal S/o Jabar Chand Ji Bhandari,  
R/o Osiya Dist. Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of house property situated at Paota, Rasala Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 231 dated 10-2-81.

M. L. CHAUHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Jaipur

Date : 16-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Madho Singh S/o Bahadur Singh  
R/o Rasala Road,  
Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Kalpna Bhandari W/o Prakash Bhandari,  
R/o Jodhpur.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. 1099.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 10-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

'Ground floor of House' property situated at Paota Area, Rasala Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 232 dated 10-2-81.

M. L. CHAUHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Jaipur

Date: 16-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR  
Amritsar, the 25th September 1981

Ref. No. ASR '81-82/238 —Whereas, I, ANAND SINGH I.R.S., being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. one plot in Guru Nanakwara situated at Amritsar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SR Amritsar on Feb 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Sat Pal Sharma s/o Ganda Ram Sharma r/o H. No. 4763 Guru Nanakwara Amritsar.  
(Transferor)
- (2) Shri S. Gurmukh Singh s/o Gurmej Singh r/o village Ghasitpura Tehsil Tara Tara, Dist. Amritsar.  
(Transferee)
- (3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.  
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other.  
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

One plot of land measuring 340 sq. yds. (kh. No. 104 mn) situated in Guru Nanakwara Amritsar Urban as mentioned in the sale deed No. 3543/I dated 25-2-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Amritsar

Date : 25-9-81.  
Seal .

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

3, CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 5th October 1981

Ref. No. ASR/81-82/239.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No.

One plot of land in Ranni Ka Bagh situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S R Amritsar on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shmt. Rattan Bhandari d/o Padam Chand Bhandari 10 Rani Ka Bagh, Amritsar. (Transferor)
- (2) Shmt. Indra Khosla w/o Sh. Roshan Lal r/o Katra Dado, Amritsar. (Transferee)
- (3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

One plot of land measuring 250.29 sq. yds. (Khasra No. 691, 692) situated in Rani Ka Bagh, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 3393/I dated 9-2-81 of the registering Authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Amritsar

Date : 5-10-81.  
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,

3. CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 5th October 1981

Ref. No. ASR/81-82/240.—Whereas, I, ANAND SINGH I.R.S. being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 208-East Mohan Nagar situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar on 24-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—  
26—316G1/81

- (1) The Chairman, Amritsar Improvement Trust, Amritsar. (Transferor)
- (2) M/s. Viridi Industries (Shuttles) Pvt. Limited, 208 East Mohan Nagar, Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 overleaf and tenant(s) if any (Person in occupation of the property)
- (4) Any other. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 604.8 Sq. Mts. situated in East Mohan Nagar, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 3531 dated 24-2-1981 of the Registering Authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range,  
3-Chanderpuri, Taylor Road,  
Amritsar

Date : 5-10-81.  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 188, situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Smt. Rabab Banoo  
Wd/o Gulam Abbas Daudi Bohra,  
R/o 288, Orapura Bakha, Ujjain.  
2. Hakimuddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra,  
R/o Siya Ganj, Indore. (Transferor)
- (2) Smt. Gayatri Bai  
R/o Gol Ganj, Near Bank of India,  
Main Road, Chhindwara. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on Main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area—736.67 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 188 situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Bilkish Banoo  
D/o Gulam Abbas Daudi Bohra,  
W/o Shabber Hussain Tambawala,  
14/1 Maharani Road,  
Indore.

(Transferor)

- (2) Smt. Sumitra Bai W/o Shankerlal Tamrakar,  
R/o Gol Ganj, Near Bank of India,  
Main Road, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area—734.69 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 188 (Part) situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Nasib Banoo  
D/o Gulam Abbas Dandi Bohra,  
W/o Inayat Hussain Surasara Wala,  
R/o Rahmanli Colony, Mambra,  
Maharashtra.

(Transferor)

(2) Smt. Mathuramati W/o Kundanlal Tambrakar  
R/o Gol Ganj, Near Bank of India,  
Main Road, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on Main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area—732.41 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :



FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of triple storeyed house No. 20/447 situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Dr. Fakruddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o Sayeen Hospital, Bombay & others. (Transferor)
- (2) Shri Kundanlal S/o Budhulal Tamrakar, R/o Gol Ganj, Chhindwara. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house bearing No. 20/447, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara. Area 569.36 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.

part of triple storeyed house No.

situated at Gol Ganj, Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Hakimuddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra,  
R/o Siya Ganj, Indore & Others.  
2. Smt. Rabab Baqoo Wd/o Gulam Abbas,  
R/o 288, Orapura, Bakhhal,  
Ujjain. (Transferor)
- (2) Shri Harilal S/o Budhulal Tamrokar,  
R/o Gol Ganj, Chhindwara. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara. Area 569.87 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :

## FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of triple storeyed house No. 20/447 situated at Gol Ganj, Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Sajjad Hussain  
S/o Gulam Abbas Daudi Bohra,  
R/o 288, Orapura Bakhal, Ujjain & Others.  
(Transferor)
- (2) Shri Shankerlal S/o Budherlal Tamrakar,  
R/o Gol Ganj, Chhindwara.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house bearing No. 20/447, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg,  
Behind Sharda Talkies. (Transferor)
- (2) Shri Mishrilal Kankaniya  
S/o Gherarchand Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 193-A.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 22-9-81

Seal :

**FORM ITNS****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

27—316GI/81

(1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg.  
(Transferor)

(2) Smt. Champadevi  
W/o Mishrilal Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building, situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81

Seal :

## FORM ITNS

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg.  
(Transferor)
- (2) Shri Mohanlal S/o Mishrilal Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg.  
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 193-A.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 22-9-1981  
Seal :

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg.  
Behind Sharda Talkies. (Transferor)
- (2) Shri Ashkaram S/o Mishrilal Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated at behind Sharda Talkies, Motipara, Durg—  
Plot No. 193-A.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981

Seal:

## FORM ITNS

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg.  
Behind Sharda Talkies. (Transferor)
- (2) Shri Prakashchand S/o Mishrilal Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 13-A.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981  
Seal:



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing.

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh,  
R/o Motipara, Durg.

(Transferor)

(2) Shri Surajmal S/o Mishrilal Kankriya,  
R/o Sadar Bazar, Durg.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 13-A.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 22-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 3rd October 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Mucl. H. No. 173 situated at Jaiprakash Ward, Katni (and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Katni on 11-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Premchand  
2. Harilal S/o Basamal Lalwani,  
R/o 91, Podar Road, Bombay.  
3. Nirmalkumar S/o Basamal Lalwani,  
91, Podar Road, Navrang, Bombay No. 26.  
4. Smt. Nanki Bai  
Wd/o Chandra Bhan Lalwani,  
Bavli,  
Vijaykumar, Kanhaiyalal, Mohanlal, Virendrakumar,  
R/o Jivan Jyoti Co-op. Society, Kabdi Road,  
Nagpur. (Transferor)
- (2) 1. Shri Lophumal S/o Ishwardas,  
2. Mohanlal S/o Lokmal Sindhi,  
R/o Kymore, Mudwara, Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 173, situated at Jaiprakash Ward, Katni.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 3-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Shri Babulal S/o Ramchandra Agarwal,  
R/o 699, Dana Galli, Mhow.  
(Transferor)
- (2) Sh. Kamal Kumar Surajmal Badjatiya (HUP),  
Karta Kamal Kumar Sarajmal Badjatiya,  
14, Dimond Colony, Indore.  
(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land Kh. No. 672, 673, 674, 674/1/2, situated at Village : Mhowgaon, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 19-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land at Village Mhow gaon, Kh. No. 672, 673, 674 & 674/1/2.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 23-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 21st September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Open land and 2 garrage situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on 17-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Bai W/o Shri Amrithlal, Overseer, Petlawat, Jhabua (2) Champalal S/o Nanalal Jain, R/o Jharkawat.

(Transferor)

(2) (1) Johar Ali  
(2) Mazar Ali  
(3) Mustafa,  
(4) Yusuf Ali C/o Hakmuddin  
S/o Aobas Bhai, Bohaia and  
Nazmuddin S/o Abbas Bhai,  
Chandni Chowk, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land and 2 garrage situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam—area 6253.44 Sq. ft.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range  
4th, Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 21-9-81

Séal :

FORM ITNS—

(1) Shri Gulab Rao S/o Waman Rao (2) Smt. Manorma Bai W/o Waman Rao Desh Mukh,  
R/o Shahpur, Burhanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Hari Bhau S/o Sonji, Nimbhorkar,  
R/o Shahpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.--Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land of 6.88 Acres situated at Shahpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Shahpur on 10-2-1981

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land at Shahpur measuring 6.88 Acres with well—Motor Pump & Trees with crop of Banana.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th, Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 19-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 8.30 Acres situated at Village: Phophnar, Burhanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Burhanpur on 17-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Madho S/o Ganpat Choudhary,  
R/o Badsinghji, Burhanpur. (Transferor)
- (2) (1) Shri Waman S/o Dingru  
(2) Shri Narain S/o Waman, Choudhary,  
R/o Badsinghji, Burhanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 8.30 Acres with well—Elec. Motor & Pump at village Phophnar, Burhanpur.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 19-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 23.89 Acres situated at Village : Sangrampur, Burhanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Burhanpur on 26-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Smt. Dwarika Bai W/o Prabhakar  
(2) Ramesh  
(3) Arun, Both S/o Prabhakar,  
R/o Sangrampur, Burhanpur. (Transferor)
- (2) (1) Siaram Garwad  
(2) Tuka Ram Garwad, Mahajan,  
R/o Phophnar, Teh : Burhanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land at Village Sangrampur Teh : Burhanpur—measuring 23.89 Acres with Trees.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th, Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 19-9-1981  
Seal

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land of 20.25 Acres, situated at Village : Badsingi, Burhanpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Burhanpur on 13-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Shanker S/o Kishan Mahajan Turak,  
Gurda Tehsil : Burhanpur. (Transferor)
- (2) (1) Shri Sonji S/o Dongru Choudhary  
(2) Shree Ram S/o Sonji  
(3) Badi Ram S/o Sonji,  
(4) Smt. Geeta Bai W/o Somji,  
R/o Badsingi Teh : Burhanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land—20.25 Acres with well and trees at Village : Badsingi, Burhanpur.

MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 19-9-1981  
Seal :



FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 2.25 Acres situated at Village : Amagirid Burhanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer Burhanpur on 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Shri Ramchand S/o Nilman  
(2) Ganpat S/o Nilam  
(3) Shanker S/o As above,  
R/o Alamganj, Burhanpur.

(Transferor)

- (2) Shree Ansar Housing Society,  
Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring  $0.75+0.75+0.75=2.25$ , Acre at Amagirid of Burhanpur.

VIJAY MATHUR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 19-9-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 110, situated at Prakash Nagar, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 23-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Kalawati w/o Shri Devendrakumar,  
11, Prakash Nagar,  
Indore. (Transferor)
- (2) Shri Fakirchand Bhojraj Agarwal,  
.63, R.N.T. Marg,  
Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 110, situated at Prakash Nagar, Indore.

VIJAY KUMAR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land of 3.218 Hectore,  
situated at Village Mhowgaon, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Babulal, s/o  
Ramchandra Agarwal,  
r/o 699, Dana Gali, Mhow. (Transferor)
- (2) Shri Kamal Kumar Surajmal Badjatiya (IIUF)  
Karta Kamal Kumar Surajmal Badjatiya,  
14, Dimond Colony,  
Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land at Village Mhowgaon, 3.218 Hectore with two well and trees etc.

VIJAY KUMAR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 23-9-1981  
Seal :

## FORM I.T.N.S.-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 21st September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 2.150 Hector, situated at Ratlam,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) 1. Shri Sajjad Hussain s/o Saraf Ali Bohra,  
2. Yogendra Kumar, s/o Motilal Porwal,  
Ramgarh, Ratlam,  
3. Mukesh Kumar Ashok Kumar,  
New Bank Colony,  
Ratlam. (Transferor)
- (2) Model Steel & Alloys Ltd.,  
Ratlam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 2.150 Hectors, situated at Ratlam.

VIJAY KUMAR  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
4th Floor, Gangotri Building,  
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 21-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. SPT/1/81-82.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 21 K 9 M with building situated at Jetheli (Sonepat) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sonepat in April, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—  
29—316GI/81

- (1) M/S Rai Engineering Company, Rai, through Sh. Dalip Singh, s/o Shri Harphool Singh, Rai. (Transferor)
- (2) M/S Sungta Seeds Pvt. Ltd., C-33, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being land with building situated in Village Jatheri District Sonepat and as more mentioned in the sale deed registered at No. 7 dated 1-4-1981 with the Sub-Registrar, Sonepat.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. AMB/145/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Single storey building with land area 4.07 acre situated at Ambala Cantt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than, fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Shanno Devi Sharma, w/o  
Shri Padma Ram,  
r/o Sujangarh, Distt. Churu (Rajasthan),  
(Transferor)
- (2) 1. Shri Rishab Mittal, s/o  
Shri Deepak Mittal  
2. Shri Abhishek Mittal, s/o  
Shri Deepak Mittal,  
r/o House No. 234, B.C. Bazar,  
Ambala Cantt.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being single storey building with land measuring 4.07 acre, situated in Ambala Cantt. and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5185 dated 24-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 12-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DBW/19/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 24, New Anaj Mandi, situated at Dabwali

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dabwali in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) 1. Smt. Sita Devi w/o Shri Hardass Rai,  
2. Shri Vijay Kumar s/o Shri Hardas Rai,  
3. Shri Satish Kumar s/o Shri Hardas Rai,  
r/o Mandi Dabwali.  
(Transferor)
- (2) 1. Shri Payre Lal s/o Shri Kanra Ram,  
2. Shri Raj Kumar s/o Shri Uttam Chand,  
Shop No. 24, New Anaj Mandi,  
Dabwali.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning, as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being Shop No. 24, New Anaj Mandi, Dabwali and as more mentioned in the sale deed registered at No. 3146 dated 24-2-1981 with the Sub Registrar, Dabwali.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. BGR/410/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Industrial plot No. 14 Sector 6, Factory building and land measuring 12,182 sq. yards situated at Faridabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in March 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s Mimec India Private Limited,  
5/2, Russel Street,  
Calcutta. (Transferor)
- (2) M/s Khaitan Electricals Limited,  
46-C, Jawaharlal Nehru Road,  
Calcutta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Property being double storey office building and factory sheds alongwith land measuring 12,183 sq. yards, situated in Sector No. 6, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 13256 dated 31-3-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981  
Seal :



**FORM ITNS**

- (1) Shri Mohan Lal s/o Fakira,  
r/o Village Palla, Teh. Ballabgarh. (Transferor)
- (2) M/s Greater Delhi Planners (P) Ltd.,  
Flat No. 3, Shanker Market,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferee)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D. I. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/54/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land measuring 2 kanal 18 marla situated at Village Palla

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Property being land measuring 2 kanal 18 marla situated at Village Palla and as more mentioned in the sale deed registered 78 dated 13-2-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. RTK/53/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Property No. 595, 596, situated in Ward No. 17, Railway Road, Rohtak

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rohtak in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Anil Kumar Jain, Advocate,  
s/o Shri Rameshwar Dayal Jain, Advocate,  
House No. 600/3, DLF Colony,  
Rohtak. (Transferor)
- (2) Shri Pritam Chand Narang, s/o  
Shri Atma Ram s/o Shri Nanak Chand,  
r/o House No. 141/3, Mohalla Muglama,  
Rohtak. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being No. 595, 596 Ward No. 17 Railway Road, Rohtak and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4819 dated 6-2-1981 with the Sub Registrar, Rohtak.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. KNL/185/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land measuring 130.14 Marla, situated at Village Barsat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karnal in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Chanderwati wd/o  
Shri Krishan Dass alias Kishan Chand,  
r/o Q. No. 45-46, Block No. 4, Vijay Nagar,  
New Delhi. through  
Shri Shankar Dass Kataria. (Transferor)
- (2) Varinder Nath s/o Shaker Dass,  
r/o House No. 36-57, Gol Market,  
Panipat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being land measuring 130 K 14 M situated in Barsat Teh. Karnal and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5171 dated 13-2-1981 with the Sub-Registrar, Karnal.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D.L.F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. JDR/90/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Property situated in Teh. Jagadhari, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagadhari in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nihalo wd/o Shri Bishna Ram,  
s/o Shri Kalu Ram,  
Jagadhari. (Transferor)

(2) Shri Harpal Singh, s/o  
Shri Aphlatoon Singh,  
r/o Village & P.O. Sahjadpur,  
Teh. Jagadhari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property situated in Teh. Jagadhari and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5743 dated 3-2-1981 with the Sub Registrar, Jagadhari.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/56/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 33 kanals 7 marlas, situated at Village Alampur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 9-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—  
30—316GI/81

- (1) Shri Amar Nath s/o  
Shri Radha Ram, r/o  
11 28, Punjabi Bagh, New Delhi  
through his General Attorney,  
Shri Munshi Ram. (Transferor)
- (2) Shri Anil Nanda s/o Shri H. P. Nanda,  
r/o 12 Jor Bagh, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 33 kanals 7 marlas in revenue estate of Village Alampur, Tehsil Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered with the Sub-Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981  
Seal :

## FORM NO. LT.N.S. \_\_\_\_\_

## NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D.L.F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/57/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under the Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land measuring 30 Kanals 18 marlas, situated at Village Alampur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Mr. Bishamber Lal, s/o  
Shri Radha Ram, r/o  
11/28, Punjabi Bagh, New Delhi  
through his General Attorney, Munshi Ram.  
(Transferor)
- (2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda,  
r/o 12 Jor Bagh, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being land measuring 30 Kanal 18 marlas, situated in the Revenue state of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 46 dated 9-2-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Ref. No. DLI/58/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land measuring 26 kanals 3 marlas,

situated at Village Alampur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(1) Shri Munshi Ram, s/o  
Sh. Radha Ram, r/o  
2/6B, Jangpura-A,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda,  
r/o Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being land measuring 26 kanals 3 marlas, situated in the Revenue Estate of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 35 dated 6-12-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-10-1981  
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE.

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/45/81-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

land measuring 26 kanals 3 marlas situated at Village Alampur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi, on May, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Munshi Ram, s/o  
Sh. Radha Ram, r/o  
2/6B, Jangpura,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda,  
r/o Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being land measuring 26 kanals 3 marlas, situated in the Revenue Estate of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 474 dated 8-5-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981  
Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. GRG/136/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property Factory building at plot No. 72, Industrial area Mahrauli Road, situated at Gurgaon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Ravinder Kumar Goel, s/o  
Shri Bishan Sarop. Goel,  
c/o Patwari ji ki Dukan, Karol Bagh,  
New Delhi.

(Transferor)

- (2) M/S Demm Auto Engineering Works,  
Plot No. 72, Industrial Area,  
Mahrauli Road, Gurgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being factory building at Plot No. 72, Industrial area, Mahrauli Road, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5145, dated 24-2-1981, with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 12-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,

ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. GRG/146/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property being H. No. 79-L, New Colony, situated at Gurgaon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in March 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Gopal Behari Lal, s/o  
Shri Rang Behari Lal, c/o  
Shri Ghansham Dass,  
H. No. 79-L, New Colony,  
Gurgaon.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Kali Devi, w/o  
Shri Ghandham Dass,  
H. No. 79-L, New Colony,  
Gurgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being house No. 79-L, New Colony, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5374 dated 16-3-1981 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981  
Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/148/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shops No. 4551, 4552, 4553 & 4554, situated at Ambala Cantt.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Ambala in March, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajeshwar Paishad, s/o  
Hari Kishan Dass,  
r/o Bazaza Bazar,  
Ambala Cantt.

(Transferor)

(2) Smt. Taran Kaur, w/o  
Shri Jagdish Singh,  
c/o Jagdish Di Hatti, Kesara Bazar,  
Ambala Cantt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being shops No. 4551, 4552, 4553 and 4554, situated at Ambala Cantt. and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5527 dated 13-3-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/141/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property being double storey building with shops, situated at Ambala City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Dr. Sewak Parshad s/o Sita Ram.  
2. Shushil Chand Gupta,  
both ss/o Sewak Parshad,  
3. Satinder Vir Gupta,  
4. Dev Amit Gupta s/o Dr. Se Parshad,  
all r/o 15 LF Tansain Marg,  
New Delhi.

(Transferor)

- (2) Shri Jagmandir Dass Jain, s/o  
Shri Chetan Lal Jain,  
r/o 678 Radha Krishan Bazar,  
Ambala City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being double storey building with two shops situated in Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4930 dated 10-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE,  
D. L. F. COLONY,  
ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/147/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property No. 334, situated at Model Town, Ambala City and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Smt. Vidya Wanti, w/o  
Shri Lok Nath Sharma,  
r/o Hissar Road,  
Ambala City.

(Transferor)

(2) S. Rattan Singh, s/o  
S. Basant Singh,  
334, Model Town,  
Ambala City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being house No. 334, situated in Model Town, Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5130 dated 23-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, RohtakDate : 19-10-1981  
Seal :Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
31—316GI/81

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
ROHTAK, D.L.F. COLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/18/81-82.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 334, situated at Model Town, Ambala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ambala in June 2, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Vidya Wati  
W/o Shri Lok Nath Sharma,  
R/o Ambala City. (Transferor)
- (2) Smt. Chand Raji  
W/o Rattan Singh,  
House No. 334, Model Town,  
Ambala City. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being house No. 334, Model Town, Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1415 dated 15-6-1981 with the Sub Registrar, Ambala,

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. BGR/270/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Residential house No. 5P/37-C, Township situated at Faridabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property at aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the the consideration for such transfer as agreed to between the transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Margreat Dass W/o Shri A. L. Dass and Heman Dass S/o Shri Honak U., R/o 5-H-55, New Town, Faridabad.

(Transferor)

- (2) 1. Shri Om Parkash Bhatia  
S/o Shri Chuni Lal.  
2. Smt. Raj Kumar  
W/o Shri Om Parkash Bhatia  
R/o H. No. 5P/37-C, Township,  
Faridabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being residential house No. 5P/37-C, Township Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 10889 with the Sub Registrar, Faridabad.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. PNP/104/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/3rd share of house No. 482-L Model Town, situated at Panipat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Panipat in 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Ashu Makhija  
W/o Shri Bhim Sain,  
R/o 5-C/94, New Rohtak Road,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Subhash Chander  
S/o Shri Ram Lal  
2. Smt. Shanta Kumari  
W/o Subhash Chander  
R/o J-5/121, Lajpat Nagar,  
Delhi.  
3. Smt. Santosh Bhatia  
W/o Shri Prem Kumar  
R/o 48, Model Town, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property 2/3rd share of house No. 482-L, Model Town, Panipat and as mentioned in the sale deed registered at No. 5139 dated 20-2-1981 with the Sub Registrar, Panipat.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981

Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 21st October 1981

Ref. No. GRG/145/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 258, Sector-4, situated at Gurgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in March, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) S/Shri Suresh Kumar, Vinod Kumar, Vijay Kumar, Shiv Kumar, Sunil Kumar  
Sons of Shri Jagdish Parshad Gupta,  
WZ-172, Palam Colony, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. S/Shri Suresh Chand, Harish Gupta  
Ss/o Shri Balraj Gupta,  
2. Shri Pawan Kumar  
S/o Shri Naresh Chand,  
3. Shri Sushil Kumar  
S/o Shri Ram Rattan,  
R/o 258/4 Urban Estate, Gurgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being house No. 258 Sector-4, Urban Estate, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5290 dated 10-3-1981 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date: 21-10-1981

Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 20th October 1981

Ref. No. BRR/4/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 132 Ward No. 18, situated at Jind (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Barara in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Bansi Lal s/o Shri Dewan Chand Punjabi Bazar, Jind.  
(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal S/o Shri Mehar Chand Shop No. 132 Ward No. 18, Kessiayan Mohalla, Jind.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property\* being shops No. 132 Ward No. 18, Punjab Bazaar Kassiayana Mohalla, Jind and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4194 dated 17-2-1981.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date: 20-10-1981

Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
ROHTAK, D.L.F. COLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. BGR/284/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 38, Block-I, situated at Industrial Area, Faridabad (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gulshan Rai Khurana  
S/o G. L. Khurana, and  
Shri Ramesh Suri  
S/o Shri L. C. Suri,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Gupta Construction Company,  
Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property being Plot No. 38 Block-I measuring 650 sq. yds. situated in Industrial Estate No. 1, Mewla Maharajpur, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 11450 dated 20-2-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Scale :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

FORM ITNS—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
ROHTAK, D.L.F. COLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. TRu/3/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 61 kanals 11 marla situated at Tauru (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Tauru in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

19/10/81

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1) Shri Khushi Ram—Narain Dass  
Ss/o Shri Tula Ram,  
R/o Jorasi (Tauru).

(Transferor)

(2) Kumari Anisha Rajgaria  
D/o Shri Gopal Rajgaria,  
R/o 9-Maharani Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 61 kanals 11 marla situated in Khori Kalan and as more mentioned in the sale deed registered at No. 689 dated 11-2-1981 with the Sub Registrar, Tauru.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Md. Ahmed & ors.  
4, Chandney Chowk Street,  
Calcutta.

(Transferor)

(2) Smt. Nirmala Devi Jain & ors.  
35/1, Jawaharlal Nehru Road,  
Calcutta.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 22nd September 1981

Ref. No. TR-573/80-81 Sl. No. 589/Acq.R-I.—Whereas, I, J. V. S. JUNEJA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 4 situated at Chandney Chowk, Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 18-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

32—316GJ/81

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 11 K 9 Ch 12 Sq. ft. at 4, Chandney Chowk Street, Calcutta registered by Deed No. 1-1161 dated 18-2-1981 registered before the Registrar of Assurances, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700016

Date : 22-9-1981

Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 25th September 1981

Ref. No. TR-572-80-81/Sl. No. 590 IAC, Acq. R-I/Cal.—  
Whereas, I, I. V. S. JUNEJA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1, situated at Karim Box Lane, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri Sourindra Nath Datta  
114, Regent Park, Calcutta--40. (Transferor)
- (2) Khalil Ahmed & ors. (Transferee)
- (3) (1) Md. Zakaria (2) Mr. Osman (3) Md. Zuber Ahmed (4) Md. Sayeed (5) Rahmatullah (6) Wahad Bux (7) Md. Karim (8) Md. Answer (9) Mr. Neichales. (Persons in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A portion of premise No. 1, Karim Box Lane, Calcutta, P.S. Taltala, land measuring 4 cottahs 9 chittacks 21 sq. ft. with common passage and one storied building which is registered on 25-2-1981 vide Deed No. I-1377 in the office of Registrar of Assurances, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700016

Date : 25-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-III/1963-5/81-82.—Whereas, I, SUDHAKAR VARMA

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C.T.S. No. 60 (1 to 4), S. No. 12, Hissa No. 2 (pt),

C.T.S. No. 61 (1 to 3) S. No. 13 (pt) admeasuring 398.94 sq. yds. situated at Goregaonkar Wadi, near Goregaonkar Villa, S. V. Road Andheri (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 21-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Vasant Krishnarao Goregaonkar. (Transferor)
- (2) Shri Vishnu Baburao Desai. (Transferee)
- (3) Shri Vishnu Baburao Desai. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-2736/80 registered with the Sub-Registrar, Bombay, on 21-2-1981.

SUDHAKAR VARMA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-I/4532-1/80-81.—Whereas, I, SUDHAKAR VARMA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. New S. No. 2A/7014 (Pl) &amp; C.S. No. 1/665 (pt) of Malabar &amp; Cumballa Hills Division situated at Altamount Road Bombay

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 6-2-1981 (Doc. No. 1441/66 Bom)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri D. M. Solanki. (Transferor)
- (2) The Altview Co-op. Housing Society Ltd. (Transferee)
- (3) 1. Smt. S. B. Dholo  
2. Smt. I. B. Vakil  
3. Shri D. P. Gandhi  
4. Smt. K. B. Parikh  
5. Smt. S. N. Ambani  
6. Smt. C. N. Patel  
7. Shri G. P. Gandhi  
8. Shri Y. G. Benkar  
9. Shri M. L. Daga  
10. Shri J. D. Solanki  
11. Shri Doongarsi Moorji  
12. Shri Visanji Murji  
13. Shri Premji Shivji  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 1441/66 (Bom.) registered with the Sub-registrar, Bombay, on 6-2-1981.

SUDHAKAR VARMA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 14-10-1981  
Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-I/4542-11/81-82.—Whereas, I SUDHAKAR VARMA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.S. No. 356 of Malabar & Cumballa Hill Divn August Kranti Marg.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registering Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 26-2-1981 Document No. BOM/652/80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(t) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Chhotabhai Shankerbhai Patel.
2. Shri Manibhai Shankerbhai Patel
3. Shri Amratlal Rambhai Patel and
4. Smt. Bhavnaben Dhirubhai Patel.

(Transferor)

- (2) August Kranti Premises CHSL.

(Transferee)

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. Bom/652/80 and registered with the Sub-Registrar, Bombay, on 26-2-1981.

SUDHAKAR VARMA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 14-10-1981

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 15th October 1981

Ref. No. AR-II/3147-5/Feb. 81.—Whereas, I SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 383, S.S. No. VII, C.T.S. No. E/293 situated at Khar-Danda

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 21-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) S/Shri 1. Beharil Daulatram Chhabria 2. Kishanlal Daulatram Chhabria and 3. Arjunlal Daulatra, Chhabria. (Transferor)
- (2) Khar Dwarka Co-op. Hsg. Soc. Ltd. (Transferee)
- (3) 1. Shri Dwarkadas B. Vachha  
2. Shri Mulchand G. Chhabria.  
(Person in occupation of the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in Registered Deed No. S-441/78 with the Sub-Registrar, Bombay, on 21-2-1981.

SANTOSH DATTA  
Competent AuthorityInspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 15-10-1981

Seal :

FORM I.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

- (1) Sbri Surendranagar Education Society, Surendranagar.  
(Transferor)
- (2) M/s. Mahavir Construction Co.  
Through : Partner Shri Parmar Indrasinhji Dhirubha.  
In Bazar, Surendranagar.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 5th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1419 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 349 palki situated at Wadhawan Road, Surendranagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on 27-3-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open land admeasuring 25.5—bearing S. No. 349 palki situated at New S. T. Bus Stand, Wadhawan Road, Surendranagar duly registered by Registering Officer, Wadhawan vide sale-deed No. 225/27-3-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 5th October, 1981.  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM  
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 7th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1420 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I,  
G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing

S. No. 189-A-2-2 No. 2 paiki TPS. 14 situated at F.P. No.  
232, S.P. No. 2, situated at Dariapur-Kazipur, Tal. City  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Ahmedabad on 2-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act,  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957  
(27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

(1) Trustees of Late Sir Rustom Jahangirjee Vakil;  
S/Shri Phiroz Faramraj Kekabad, Ellisbridge,  
Nr. Law Garden, "Bharat Nivas", Ahmedabad,  
Shri Narjman Jahangirjee Kama & others;  
"Gulmarg", Shahibaug, Ahmedabad. (Transferor)(s)

(2) 1. Shri Bhikhabhai K. Patel;  
Punit Park, Shahibaug, Govt. Godown Road,  
Ahmedabad.  
2. Kantibhal Khodidas Patel;  
Khodidas-ni-Chawl, Asarva, Ahmedabad. (Transferor)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land and building situated at Dariapur- Kazipur Tal. City,  
S. No. 189-A-2-2 Part No. 2, paiki TPS. 14, F.P. No. 232  
S.P. No. 2 paiki 8829 sq. yds. as fully described in sale-deed  
duly registered with registering authority, Ahmedabad vide  
Regn. No. 497 dated 2-2-81.

G. C. GARG  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 7th October, 1981.

Seal :

FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Karsandas Dayalji Kothari;  
Bhid Bazar, Bhuj.

(Transferor)

(2) Shri Kumar Gopalji Shah;  
Shri Bhanu Kant Lalji Thacker;  
Prince Hotel, Bhuj.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA .

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM  
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1421 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I  
G. C. GARG,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearingPlot No. 20, Sector 9 situated at Gandhidham  
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Anjar on 4-2-1981for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer:  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

33—316GI/81

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons, which-  
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are  
defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 20, Sector 9, situated at Gandhidham as fully  
described in sale-deed registered with Registering Authority,  
Anjar, vide Regn. No. 205, dated 4-2-1981.G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.

Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1422 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

TPS 19, F.P. No. 203, Paiki S.P. No. 4, Sq. yd. 959 situated at Shaikhpur-Khanpur, Tal. City, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 2-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Raojibhai Shankerbhai Patel;  
Khadia, Lakhia-ni-Pole, Ahmedabad.  
(Transferor)(s)
- (2) On behalf of Jagdish Apartment Owners' Association—President—  
Shri Ashokbhai Chimanlal Shah;  
7, Harikrishna Society, Vasana Baraj Road,  
Vasana, Ahmedabad-7.  
(Transferee)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open land situated at Shaikhpur-Khanpur Taluka City, T.P.S. 19, F.P. 203 paiki S.P. No. 4, admeasuring 959 sq. yds. as fully described in sale-deed registered with the Registering Authority, vide Regn. No. 15874 dated 2-3-1981.

G. C. GARG.  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM  
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1423 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I  
G. C. GARG,being the Competent Authority under Section 269B  
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter re-  
ferred to as the said Act), have reason to believe that  
the immovable property having a fair market value exceeding  
Rs. 25000/- and bearingS. No. 201, 202 situated at Sahijpur-Gopalpur,  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the Office of the Registering Officer at  
Ahmedabad on 3-2-1981for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have  
reason to believe that the fair market value of the  
property as aforesaid exceeds the apparent consideration  
therefor by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer  
as agreed to between the parties has not been truly  
stated in the said instrument of transfer with the object  
of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

- (1) Shri Nanalal Motilal Patel;  
24, Kartikunj, Coop. Housing Society,  
Dana-Limbada, Ahmedabad. (Transferor) (s)
- (2) Shri Iqbal Abdulrhman Surati;  
Jamalpur, Mota-Bamba, Ahmedabad. (Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

Land situated at Sahijpur-Gopalpur, S. No. 201, & 202,  
admeasuring A-2-04 and A. 11-2 0-12 as fully described in  
sale-deed registered with registering Authority at Ahmedabad  
registered vide No. 851 dated 3-2-1981.G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.

Seal :

## FORM ITNS—

- (1) Smt. Samarath wife of Ambalal Mulchand Patel;  
2733, Lamba Padani Pole, Raipur, Ahmedabad-1.  
(Transferor) (s)
- (2) Tirupati Apartments Owners Association;  
Chairman : Shri Prashant Chandrakant Shah;  
9-Shivbaug Colony, Bhairavnath Road, Ahmedabad-8.  
Secretary : Nayanaben Rameshbhai Patel;  
11-A, Vadnagar Patidar Society, Ahmedabad-8.  
(Transferee) (s)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

## OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1424 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

F.P. No. 100 paiki S.P. No. 26 of TPS. No. 4 situated at Rajpur-Hirpur, Tal. City, Ahmedabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 3-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building situated at Rajpur-Hirpur Tal. City, Maninagar, T.P.S. 4, F.P. No. 100 paiki S.P. No. 26, adm. 603 sq. yds. as fully described in sale-deed duly registered with registering Authority, Ahmedabad vide Regn. No. 830 dated 3-2-81.

G. C. GARG.  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12th October, 1981.

Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 QF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM  
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1425 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I  
G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.

S. No. 26 paiki, S. P. No. 11 paiki Prop. of Eastern side  
F.P. No. 59 paiki Prop. of Eastern side situated at Vadaj, Tal.  
City, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto).  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Ahmedabad on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have reason  
to believe that the fair market value of the  
property as aforesaid exceeds the apparent consideration  
therefor by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer  
as agreed to between the parties has not been truly  
stated in the said instrument of transfer with the object  
of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or  
any moneys or other assets which have not  
been or which ought to be disclosed by the  
transferee for the purposes of the Indian Income-tax  
Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the  
Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) Leelavati Shantilal Shah;  
Zaveri Park, Nr. Derasar, Naranpura,  
Ahmedabad.

(Transferor) (s)

(2) Mahavir Ghee Bhandar;  
Out-side Delhi Darwaja,  
28, Advani Market, Ahmedabad.

(Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said  
immovable property, within 45 days from the  
date of the publication of this notice in the  
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building constructed area 250 sq. yds. situated  
at Vadaj Tal. City, Ahmedabad S. No. 26 paiki S.P. No. 11  
paiki property of Eastern side and F.P. No. 59 paiki property  
Eastern side—as fully described in sale-deed duly registered  
with the registering authority, Ahmedabad vide sale-deed  
registration No. 1532 dated 5-2-1981.

G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.

Seal :

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX  
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1426 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 6/1, 7/1, 14 paiki Plot No. 1-A-2 situated at Hathi Colony, Jamnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 9-2-1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Bhanushali Hiralal Gokuldas;  
49, Digvijaya Plot, Jamnagar. (Transferor) (s)
- (2) 1. Smt. Divaliben Dineshchandra Joshi;  
2. Shri Arunkumar Dineshchandra Joshi;  
Jamnagar. (Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land and building situated at Jamnagar Rev. Sur. No. 6/1, 7/1, 14 paiki Plot No. 1-A-2 as fully described in sale-deed duly registered with the Registering Authority, Jamnagar vide sale-deed regn. No. 445 dated 9-2-81.

G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1427 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 44, situated at Mithipur Tal. City, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 5-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Champaklal Chhabilrai Inamdar; P.A. Holder Shri Jitendrakumar Gordhandas Patel & others, Ahmedabad. (Transferor)
- (2) Partners of Vishnu Automobiles; 1. Shri Hemendrakumar Gordhandas Patel; 2. Shri Jitendrakumar Gordhandas Patel; 'Titendra Nivas', Opp. Old Maninagar Police Chowky, Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Mithipur Tal. City, S. No. 44 paiki admeasuring 3800 sq. yds. as fully described in sale-deed registered with registering authority at Ahmedabad duly registered vide Regn. No. 1540 dated 5-2-81.

G. C. GARG,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12th October, 1981.  
Seal :

## FORM LT.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1205 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

R.S. No. 589 and 590 (Part) situated at Plot No. 3, Kasturbanagar Coop. Hsg. Society, Sayaji Ganj, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269G of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ritaben Varajlal Talati;  
Kasturbanagar, Sayajiganj, Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Govindlal Kanaiyalal Swami;  
2. Ramanlal Somnath Panchal;  
Nava Bazar, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open land bearing R.S. No. 589 & 590 (Part), Plot No. 3, Kasturbanagar Coop. Housing Society, Sayaji-Ganj, Baroda and as fully described in sale-deed bearing Regn. No. 4832 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda in the month of February, 1981.

G. C. GARG,

Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 13th October, 1981.  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II  
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P.R. No. 1206 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 666 Plot No. 1 (Part) situated at Baroda Kasba, Baroda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 20-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

34—316GI/81

- (1) Shri Nitaben Dahyabhai Patel; 'Vasanth', Fatehganj, Baroda. (Transferor)
- (2) Shri Jayashriben Nitishchandra Shah; 'Mosedayan View', Santa Cruz, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official-Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open land bearing Baroda Kasba, Survey No. 666, Plot No. 1 (Part) and as fully described in sale-deed bearing Registration No. 576 and registered in the office of the Sub-Registrar, Baroda on 20-2-1981.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 13-10 1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

## ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-1/81-82/2-81/7417.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop No. 42 situated at Old Rohtak Road, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Karam Chand s/o Makhan Lal R/o 42 Old Rohtak Road, Delhi.  
(Transferor)
- (2) Shri Dewan Chand s/o Roshan Lal R/o 98, Janta, Or. Janakpuri, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION:—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 42 Old Rohtak Road, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Madras  
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1185 Acq. 23-11/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 51, Tika No. 5, Limda Oli, Rander situated at Surat, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 7-2-1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Yakub Hasim Mulla—P. A. Holder of;  
2. Ahmad Mohamad Patel;  
3. Meminabibi Mohamad Kasam Patel;  
4. Abdul Karim Mohamad Kasam Patel;  
5. Abdul Rahim Mohamad Kasam Patel;  
6. Hasiakhatan Mohamad Kasam Patel;  
7. Mariambibi Mohamad Kasam Patel;  
8. Rehmanbibi Mohamad Kasam Patel;  
9. Abdul Rehman Mohamad Kasam Patel;  
10. Ayasabibi Mohamad Kasam Patel;  
11. Ismail Mohamad Kasam Patel;  
12. Asinabibi Mohamad Kasam Patel;  
Jasod Gali, Rander, Surat.

(Transferor)

- (2) Shri Mohamad Ahmad Nana; Limda Oli, Rander, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property at S. No. 51, Tika No. 5, Limda Oli, Rander, Surat duly registered on 7-2-1981.

G. C. GARG  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 30-10-1981

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER,  
OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1186 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I,  
G. C. GARG,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearingNondh No. 1929-K-5-K-2 situated at Kadiwala High School,  
Ring Road, Surat,(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908  
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at  
Surat on 12-2-1981,for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have  
reason to believe that the fair market value of the  
property as aforesaid exceeds the apparent consideration  
therefor by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer  
as agreed to between the parties has not been truly  
stated in the said instrument of transfer with the object  
of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or  
any moneys or other assets which have not  
been or which ought to be disclosed by the  
transferee for the purposes of the Indian Income-tax  
Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the  
Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section  
(1) of Section 269D of the said Act to the following persons,  
namely :—

- (1) Shri Manharlal Gordhandas Kadiwala; Smt.  
Parvatiben Manharlal Kadiwala; Shri Satish Kumar  
Manharlal Kadiwala; Sagrampura, Zanda Sheri,  
Surat.  
(Transferor)
- (2) Shri Ramanlal Ichharam; Shri Hiralal Shivalal  
Reshamwala; The Tirupati Apartment Coop. Hous-  
ing Society, Sagrampura, Hanuman Sheri, Surat.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

Property at Nondh No. 1929-K-5-K-2 situated at Near  
Kadiwala High School, Ring Road, Surat duly registered on  
12-2-1981.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 30-9-1981  
Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 31d October 1981

Ref. No. P. R. No. 1187 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Tika No. 6/2, S. No. 87, Wd. No. 2 situated at Pochi Street, Navsari,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Navsari on 9-2-1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ashokbhai Ramanbhai Patel; Mota Falia, Sisodra, Taluka; Navsari.  
(Transferor)

(2) Dabhal Jama Masjid Jamayat Trustees;  
1. Shri Suleman Mohamad Mangera;  
2. Shri Suleman Ibrahim Navsa;  
3. Shri Ibrahim Mohamad Waza;  
4. Shri Maulana Sarfuddin Abdul Kadar;  
Village Dabhal—Taluka Navsari.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property at S. No. 87, Tika No. 6/2, Wd. No. 2, Pochi Street, Navsari duly registered on 9-2-1981.

G. C. GARG  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-10-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Vallabhbhai Nanjibhai Kavchadiya; Behind S. T. Bus Stand, Gondal, Dist. Rajkot. (Transferor)
- (2) Olympic Ball, Bearing Pvt. Ltd., Managing Director, Shri J. V. Pate Kaneria House, Dhebar Road, Rajkot. (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1415 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 391/1 & 2 Palki situated at National Highway Road, Gondal, Dist. Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gondal in February 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing, to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land bearing S. No. 391/1 & 2 adm. 2 Acres situated outside Gondal City National Highway, Gondal, Dist. Rajkot, duly registered by Registering Officer, Gondal, vide sale-deed No. 119/February, 1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 26-9-1981  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. The Parmar Textiles Industries; Tramway Road, Surendranagar.  
(Transferor)
- (2) M/s. Shublaxmi Industries; 40/45, Udhyanagar, Surendranagar.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I  
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1414 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I  
G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- Plot No. 40 to 45-Part-II, situated at 40/45, Udhyanagar, Surendranagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Wadhawan on 24-2-1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Factory Building bearing Plot No. 40 to 45 Part-II, standing on land adm. 8231.75 sq. yds. situated at 40/45, (Shublaxmi Industries), Udhyanagar, Surendranagar duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan vide sale-deed No.-567/24-2-1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 26-9-1981  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1413 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 40 to 45-Part-I, 40/45, Udhyognagar, Surendranagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on 24-2-1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. The Parmar Textile Industries; Tramway Road, Surendranagar. (Transferor)
- (2) Dhanlaxmi Industries; 40/45, Udhyognagar, Surendranagar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Factory building bearing Plot No. 40 to 45, Part-I, standing on land 3017.22 sq. yds., situated at 40/45 (Dhanlaxmi Industries), Udhyognagar, Surendranagar, duly registered by Sub-Registrar, Wadhwana, vide sale-deed No. 570/24-2-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 26-9-1981  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1412 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 160 situated at Mahendranagar, Morvi, Dist. Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Morvi in February 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 29C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hansraj Harkha Patel; Mahendranagar, Morvi, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) Arunodaya Mills Ltd., Through Shri Madhusudan D. Vora, G.M., Vegetable Market, Morvi, Dist. Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing S. No. 160, adm. 6 Acre—15 Gunthas situated at Mahendranagar, Morvi, Dist. Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Morvi, vide sale-deed No. 5166/February 1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 26-9-1981  
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Maganlal Girdharlal and Shri Kantilal Chakubhai; both of Morvi, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Dinkatrai Laljibhai Kotharani and Shri Laljibhai Devshibhai; both at 10, Vasant Plot, Dinesh Kunj, Morvi.

(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-I  
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHIRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 24th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1411 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Savsar Plot, Street No. 4, Open land situated at Savsar Plots, Morvi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Morvi on 2-2-1981,

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considerations therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Open plots of land in the by lane of Street No. 4, Savsar Plots, admeasuring 3117 sq. ft. and 3117 sq. ft. situated at Savsar Plots, Morvi, duly registered by Registering Officer, Morvi, vide sale-deeds Nos. 11 & 12/2-2-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date: 24-9-1981

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD  
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 24th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1410 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 345 situated at Gondal Road, Near Swaminarayan Gurukul Temple, Rajkot,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajkot on February 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Urmilaben Mangaldas Patwari; 'Patwari Bhuwan', Jawahar Road, Rajkot. (Transferor)

(2) Shri Nandlal Ramjibhai Raja; 'Padma Shobha', Sadar, Opp. Dr. Modi's Hospital, Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of open land bearing S. No. 345, admeasuring 360.5-56 sq. yds. situated at Gondal Road, Near Swaminarayan Gurukul Temple, Rajkot, duly registered by registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 666/February 1981.

G. C. GARG  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 24-9-1981  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR,  
PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th October 1981

Ref. No. III-518/Acq/81-82.—Whereas I, H. NARAIN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

part of Plot No 98 of the Patliputra Co-operative House Construction Society Limited, Patna-13 situated at Patliputra Colony, P.S Patliputra, District, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 21-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. K. Saran s/o  
Late Babu Ram Nandan Sahay,  
r/o 98 Patliputra Colony,  
P.S. Patliputra, District Patna-13.

(Transferer)

(2) Shri Prof. (Dr.) Uma Kant Mishra,  
S/o Shri Girija Prasad Mishra of  
29, Patliputra Colony, Patna, and  
originally resident of Village Mishrapur,  
PO. Kumaitha, P.S. Sultanganj,  
District Bhagalpur.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land measuring 6.6 Kathas more or less equivalent to 9,000 square feet situated in the Patliputra Colony, P.S. Patliputra Dist. Patna morefully described in deed No. 1259 dated 21-2-81 registered with D.S.R., Patna.

H. NARAIN  
Competent Authority,  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 14-10-1981  
Seal :